खण्ड-220, अंक-5
गुरूवार, 25 फाल्गुन, शक संवत् 1882
(16 मार्च, 1961 ई0)

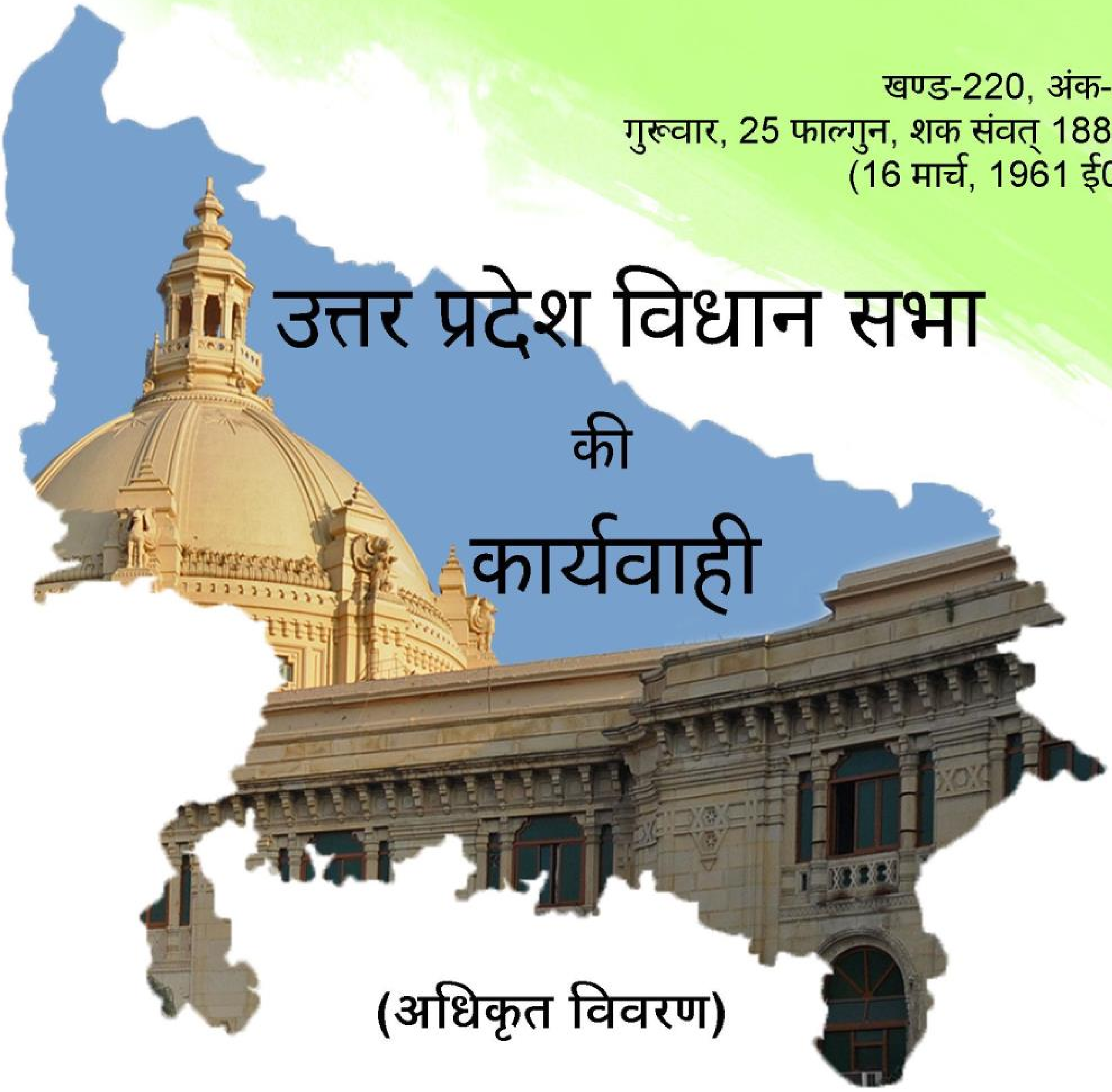

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 220 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९६१

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विधान सभा
मुजफ्फरपुर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

वृहस्पतिवार १६ मार्च, १९६१

विधान सभा की बैठक, सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में, अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—(३८४)

अक्षयवरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अतीकुल रहमान, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल लतीफ गोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमोला देवी, श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेशकुमार सिनहा, डाक्टर
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
अवधेशप्रताप सिंह, श्री
असलम खां, श्री
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
आदिराम सिंघल, श्री
इन्दुभूषण गुप्त, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उग्रसेन, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
उल्फतसिंह, श्री
ऊदल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
ओंकारनाथ, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमरुद्दीन, श्री
कमलकुमारी गोईंदी, कुमारी
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलेशचन्द्र, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण अग्रवाल, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किशनसिंह, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
केशभानराय, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशकुमारसिंह, श्री
कैलाशनारायण गुप्त, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खजानसिंह चौधरी, श्री
खमानीसिंह, डाक्टर
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गजेंद्रसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयूर अली खां, श्री
गरीबदास, श्री

गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविन्दसिंह विष्ट, श्री
गौरीराम गुप्त, श्री
गौरीशंकर राय, श्री
घनश्याम डिमरी, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छत्तरसिंह, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छेदीलाल, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जगदीशनारायण, श्री
जगदीशनारायणदत्तसिंह, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगबीरसिंह, श्री
जमुनासिंह, श्री (बदायूं)
जयगोपाल, डाक्टर
जयदेवसिंह आर्य, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जरगाम हैदर, श्री सैयद
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जागेश्वर, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
झारखंडेराय, श्री
टम्बरेश्वरप्रसाद, श्री
टीकाराम, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
डूंगरसिंह, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तिरमलसिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दशरथप्रसाद, श्री
दाताराम चौधरी, श्री
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्तसिंह, श्री
देवनारायण भरतीय, श्री
देवराम, श्री
देवीप्रसाद मिश्र, श्री
द्वारिकाप्रसाद मित्तल, श्री (मुजफ्फरनगर)
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मपालसिंह, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (बरेली)
नत्थूसिंह, श्री (मैनपुरी)
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नन्दराम, श्री
नरदेवसिंह दतियानवी, श्री
नरेंद्रसिंह भंडारी, श्री
नरेंद्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास पासी, श्री

निरंजनसिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
पब्बरराम, श्री
परमानन्द सिनहा, श्री
परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतापबहादुरसिंह, श्री
प्रतापभानप्रकाशसिंह, श्री
प्रतापसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बसंतलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालकराम, श्री
बालेश्वरप्रसादसिंह, श्री
बिन्दुमती दास, श्रीमती
बिशम्बरसिंह, श्री
बिहारीलाल, श्री
बुद्धीलाल, श्री
बुलाकीराम, श्री
बृजबासीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भीखालाल, श्री
भीमसेन, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंजूरुलनबी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन, श्री
मन्नालाल, श्री
मलखानसिंह, श्री
मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूद अली खां, कुंवर (मेरठ)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महमूद हुसैन खां, श्री
महादेवप्रसाद, श्री
महाबीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महाबीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
महेंद्ररिपुदमनसिंह, राजा
माताप्रसाद, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुकुटबिहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथ राय, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्रपालसिंह, श्री
मुबारक अली खां, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुल्लाप्रसाद 'हंस', श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मूलचन्द, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यमुनासिंह, श्री (गाजीपुर)
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त दुबे, राजा
रऊफ जाफरी, श्री
रघुनाथसहाय यादव, श्री
रघुरनतेजबहादुरसिंह, श्री
रघुबीरराम, श्री
रघुबीरसिंह, श्री (एटा)
रघुबीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकांत सिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवराम पांडेय, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायण, श्री

राजनारायणसिंह, श्री
राजबिहारीसिंह, श्री
राजाराम, शर्मा, श्री
राजेंद्रकिशोरी, श्रीमती
राजेंद्रकुमारी, श्रीमती
राजेंद्रदत्त, श्री
राजेंद्रसिंह, श्री
राजेंद्रसिंह यादव, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअभिलाख, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार वैद्य, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामचन्द्र उनियाल, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलक्षण तिवारी, श्री
रामलखन, श्री (वाराणसी)
रामलखन, मिश्र, श्री
रामलखन सिंह, श्री (जौनपुर)
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह चौहान, वैद्य, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रूमसिंह, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लक्ष्मीनारायण बंसल, श्री
लखमीसिंह, श्री
लायकसिंह चौधरी, श्री
लालबहादुर, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लोकनाथसिंह, श्री
वजरंगबिहारीलाल रावत, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी, सुमन श्रीमती
विशालसिंह, श्री
विश्रामराय, श्री
विश्वेश्वरानन्द, स्वामी
वीरसेन, श्री
वीरेंद्र वर्मा, श्री
वीरेंद्रशाह, राजा
ब्रजगोपाल सक्सेना, श्री
ब्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुंतलादेवी, श्रीमती
शब्बीर हसन, श्री
शमसुल इस्लाम, श्री
शम्भुदयाल, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद श्री (देवरिया)
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमंगल सिंह, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराजबहादुर, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवशंकरसिंह, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री

शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामलाल यादव, श्री
श्रद्धादेवी शास्त्री, कुमारी
श्रीकृष्ण गोयल, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनाथ भार्गव, श्री (मथुरा)
श्रीनिवास, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
संग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अन्सारी, श्री
सजीवनलाल, श्री
सत्यवती देवी रावल, श्रीमती
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सीताराम शुक्ल, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सुरथबहादुर शाह, श्री
सुरेंद्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेंद्रसिंह, राजकुमार
सूर्यबली पांडेय, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीदुल्ला खां, श्री
हरकेशबहादुर, श्री
हरदयालसिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिदत्त कांडपाल, श्री
हरिश्चन्द्रसिंह, श्री
हरिहरबख्शसिंह, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन (राहत मौलाई), श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह, बिसेन, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट—श्रम मंत्री, श्रीमती सुचेता कृपलानी तथा वित्त मंत्री, श्री हरगोविन्दसिंह भी उपस्थित थे ।

प्रश्नोत्तर

बृहस्पतिवार, १६ मार्च, १९६१

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३० (४) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

कुमायूं नियोजन समिति की सिफारिशें

*१—**श्री प्रतापसिंह** (जिला नैनीताल)—मुख्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या दिनांक ३० जनवरी, १९६१ को कुमाऊं नियोजन समिति की बैठक हुई थी ? यदि हां, तो उसमें कितने एम० एल० ए०, एम० एल० सी० व एम० पी० उपस्थित थे और उनके नाम क्या हैं ?

सूचना उप-मंत्री (श्री रऊफ जाफरी)—३० जनवरी, १९६१ को कुमाऊं मण्डल के विधायकों तथा विभागाधिकारियों की बैठक हुई थी । इस बैठक में सर्वश्री एच० डी० कान्डपाल, नारायणदत्त तिवारी तथा प्रतापसिंह उपस्थित थे ।

*२—श्री प्रतापसिंह—क्या मुख्य मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उसमें किन-किन प्रमुख सिफारिशों को सरकार के पास भेजा गया और उन पर सरकार कब तक निर्णय ले लेगी ?

श्री रऊफ जाफरी—उक्त बैठक में की गई सिफारिशों की सूची संलग्न है। यह सिफारिशें सरकार के पास हाल ही में आई हैं और उन पर शीघ्र ही निर्णय लेने का प्रयत्न किया जा रहा है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ४२२ पर।)

श्री प्रतापसिंह—क्या माननीय मंत्री जी को इस बात की सूचना है कि यह कुमायूं मंडल नियोजन समिति की महत्वपूर्ण बैठक जो तृतीय पंचवर्षीय योजना पर बहस करने के लिये बुलायी गयी थी उसमें एम० पी० नहीं आये ? उनके न आने का क्या कोई विशेष कारण था ?

श्री रऊफ जाफरी—यह तो दरियाफ्त नहीं किया गया और उसका कोई विशेष कारण मुझे मालूम नहीं है।

श्री प्रतापसिंह—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो सिफारिशें उस बोर्ड ने यूनेनिमसली सरकार से की थीं उन पर सरकार कब तक विचार करना चाहती है ?

श्री रऊफ जाफरी—यह तो मैं जवाब दे चुका हूं कि उसमें जल्दी निर्णय लेने की कोशिश की जा रही है।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि चूंकि उस दिन बहुत बर्फ पड़ रही थी और ठंडक बहुत थी जिससे लोग नहीं आ सके और कई अच्छे सजेशन्स रह गये, तो उन सजेशन्स का समावेश हो सके, इसलिये वे यह हिदायत देंगे कि कमेटी की मीटिंग फिर बुलवायी जाय ?

श्री रऊफ जाफरी—मेरे पास यह सूचना है कि पहले मीटिंग काल की गयी थी जिसे मेम्बर आफ पार्लियामेन्ट के रिक्वेस्ट पर पोस्टपोन कर दिया गया था, उसके बाद यह मीटिंग की गयी।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि केवल एक पार्लियामेन्ट के मेम्बर के निवेदन करने पर मीटिंग स्थगित कर दी गयी और उसमें अन्य मेम्बरों की राय क्यों नहीं ली गयी ?

श्री रऊफ जाफरी—अक्सर यह कोशिश की जाती है कि जहां तक हो सके पार्लियामेन्ट के सदस्यों तथा यहां के विधायकों की राय ली जाय और चूंकि उन्होंने खासतौर से लिखा था कि वह नहीं आ सकते और मीटिंग पोस्टपोन कर दी जाय इस वास्ते मीटिंग पोस्टपोन कर दी गई, उसमें कोई हर्ज नहीं समझा गया और स्थगित कर दिया।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—क्या इस बात को देखते हुए कि डिवीजनल प्लानिंग कमेटी में केवल अफसर लोग ही हैं और उसका पहले सुझाव भी था, कि उसमें गैर-सरकारी लोग या जनप्रतिनिधि भी लिये जायं, इस सिफारिश को क्या सरकार कार्यान्वित करेगी ताकि वह लोग भी इस कमेटी के सदस्य हो सकें ?

श्री रऊफ जाफरी—मैंने अर्ज किया कि इन तमाम बातों पर विचार हो रहा है और जल्द फैसला किया जायगा।

श्री प्रतापसिंह—क्या सिफारिश नम्बर ५ के अनुसार सरकार इस थारू हाई स्कूल को शीघ्रातिशीघ्र अपने हाथ में लेने की कृपा करेगी ?

श्री रऊफ जाफरी—एक-एक के मुताल्लिक तो पूछना ठीक न होगा सब पर विचार किया जा रहा है ।

आगरा जिले के बाढ़ क्षेत्रों में भट्ठों के लिए कोयला

*३—**स्वामी विश्वेश्वरानन्द** (जिला आगरा)—मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या आगरा जिले के बाढ़ क्षेत्र के ईंटों के भट्ठों के लिये मंजूर किये गये कोयले के कोटे को रेगुलर भट्ठे वालों को दिया जा रहा है? यदि हां, तो क्यों ?

सार्वजनिक निर्माण उप-मंत्री (श्री धर्मसिंह)—केवल रेगुलर भट्ठे वालों को ही नहीं बल्कि इस कोटे में से बाढ़ क्षेत्र के अन्य भट्ठे वालों को भी कोयला दिया जा रहा है । वर्तमान परिस्थिति तथा जनता के हित को ध्यान में रखते हुए ऐसा करना उचित समझा गया ।

*४—**स्वामी विश्वेश्वरानन्द**—क्या मुख्य मंत्री भविष्य के लिये ऐसी व्यवस्था कराने की कृपा करेंगे कि बाढ़ क्षेत्र के लिये मंजूर किये गये भट्ठों को नियमित रूप से कोयला मिलता रहे ?

श्री धर्मसिंह—अस्थाई भट्ठों के लिये वर्तमान स्थिति में रेगुलर कोटा देना संभव नहीं है ।

स्वामी विश्वेश्वरानन्द—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि आगरा जिले में कौन-कौन से स्थायी और रेगुलर भट्ठों को १९६०-६१ में कितने वैगन कोयला दिया गया है ?

श्री धर्मसिंह—जहां तक जिले के अलाटमेन्ट का संबंध है बाढ़ क्षेत्र के संबंध में एडहाक कोटा ४६५ वैगन के करीब था, कितना उसमें से आया इसकी सूचना नहीं है और जो टेम्पोरेरी और स्थायी भट्टे हैं उनकी अलग-अलग सूची है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि बाढ़ क्षेत्र में कितने स्थायी और कितने अस्थायी भट्टे हैं ?

श्री रऊफ जाफरी—यह एक लम्बी सूची है लेकिन इससे यह मालूम नहीं होता कि स्पेसिफिकली बाढ़ क्षेत्र में कितने हैं; स्थानों के नाम तो हैं लेकिन बाढ़ क्षेत्र में कितने हैं यह ब्योरा नहीं है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—श्रीमन्, मैं यह जानना चाहता हूं....

श्री अध्यक्ष—उन्होंने तो जवाब दे दिया ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि बाढ़ क्षेत्रों के भट्ठों के अलावा जो दूसरे भट्टों को कोयला दिया गया वह उनसे बच गया था या पूरा न होने पर भी दे दिया गया?

श्री धर्मसिंह—बात इस तरह की है कि हमारे यहां ए० बी० कैटेगरी के भट्टे स्थायी हैं और उनमें कोयले की कमी होती है तो मुश्किल हो जाती है; और टेम्पोरेरी जो होते हैं वह लाइसेंस जिले से लेते हैं उनको कोयला मिलने का सवाल था । यह परिस्थिति इसलिये हुई कि कोयले की कमी थी और इसीलिये उन को प्रोत्साहन दिया गया कि जो बाढ़ क्षेत्र में स्थित थे और स्थायी थे । भट्टों की स्कीम एक दो साल में तो डेवलप होती नहीं, जब स्थायी के लिये ही प्रबन्ध नहीं था तो अस्थायी के लिये कैसे इंतजाम किया जाता ।

श्री भगवतीसिंह विशारद (जिला उन्नाव)—क्या मंत्री जी ऐसे भट्ठे जो बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों को सर्व करते हैं उनके लिये ऐसे आदेश जिला अधिकारियों को देंगे जिससे इन भट्ठों को प्राथमिकता देकर कोयला दिया जाय ?

श्री धर्मसिंह—वह ऐसा तो नहीं कर सकते लेकिन जैसा कि मैंने निवेदन किया कि जो स्थायी भट्टे हैं वह बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में भी हैं पहले उनका इंतजाम होना चाहिये, क्योंकि वह भट्टे बाढ़ से संबंधित लोगों को ही ईंट देंगे।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या यह सही है कि बाढ़ क्षेत्रों के लिये कोयला जिला मैजिस्ट्रेट के नाम से गया है और उसे केवल बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों के लोगों को न देकर जिले भर के रेगुलर भट्टों को दे दिया गया है ?

श्री धर्मसिंह—इसके लिये नोटिस चाहिये।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—जैसा कि पांडेय जी ने कहा वास्तविकता यह है कि जब कोयला अलाट किया जाता है तो बाढ़ क्षेत्र में जो टेम्पोरेरी या स्थायी भट्टे स्थित हैं उनके अलावा जिले के दूसरे भट्टों को भी प्राथमिकता दी जाती है। तो सरकार कोई ऐसा आदेश देगी कि जो भट्टे बाढ़ क्षेत्र में स्थित हैं पहले कोयला उनको दिया जाय और अगर बच जाय तब दूसरों को दिया जाय ?

श्री धर्मसिंह—जो आदेश भेजा गया है उसमें यह कह दिया गया है कि बाढ़ क्षेत्र में जो परमानेंट कैटेगरीज के भट्टे हैं पहले उनको कोयला दिया जाय और अगर बच जाता है तो जो लोकल लाइसेंस लिये हुये हैं बाढ़ क्षेत्र में, यानी जो टेम्पोरेरी नेचर के हैं उनको भी दिया जाय।

श्री मदनगोपाल वैद्य (जिला फैजाबाद)—क्या सरकार को मालूम है कि बाढ़ का कोटा सहकारी भट्टों को नहीं दिया गया ?

श्री अध्यक्ष—आगरे जिले के संबंध में आप पूंछ रहे हैं ?

श्री मदनगोपाल वैद्य—जी हां।

श्री धर्मसिंह—जो यहां से आर्डर भेजा गया था उसमें यह लिख दिया गया था कि अगर कोआपरेटिव के भट्टे हैं बाढ़ एरिया में तो उनको भी कोयला दिया जाय।

श्री उग्रसेन—मंत्री जी बतायेंगे कि जो कोयला बाढ़ क्षेत्र के परमानेंट और अस्थायी भट्टों के लिये था वह जब नहीं दिया गया उनको और दूसरी जगह दे दिया गया तो इसकी जांच करायेंगे कि किन अधिकारियों ने ऐसा किया ?

श्री अध्यक्ष—यह उन्होंने ऐडमिट कहां किया है ?

स्वामी विश्वेश्वरानन्द—उनके पास लम्बी सूची है और प्रश्न बाढ़ क्षेत्र से ही संबंधित है। तो सूची से मालूम होना चाहिये कि बाढ़ क्षेत्र में कितने भट्टे हैं ?

श्री अध्यक्ष—आपने यह नहीं पूछा था कि कितने भट्ठे हैं बल्कि यह पूछा कि नियमित रूप से उनको कोयला मिलता रहे ऐसा प्रयत्न क्या सरकार करेगी ?

स्वामी विश्वेश्वरानन्द—यह बाद का प्रश्न है। नियमित रूप से मेरा मतलब यह है कि जब तक बाढ़ की स्थिति है तब तक उनको कोयला मिलना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—वही तो मैं कह रहा हूं कि नम्बर आपने नहीं पूछा।

श्री ब्रजनारायण तिवारी (जिला देवरिया)—इस प्रश्न में जो यह पूछा गया है कि नियमित रूप से बाढ़ क्षेत्र को कोयला मिल जाय तो क्या सरकार ऐसी व्यवस्था करने जा रही है कि डी० एम० के अतिरिक्त एक ऐसी कमेटी बना दी जाय जिसके द्वारा कोयले का वितरण हो ?

श्री धर्मसिंह—जी नहीं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है।

टनकपुर जनाना अस्पताल में डाक्टर का न होना

*५—श्री प्रतापसिंह—क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या टनकपुर, जिला नैनीताल में जनाना अस्पताल में दवा और डाक्टर दोनों नहीं हैं ? यदि हां, तो क्या मुख्य मंत्री उन्हें भिजवाने की कृपा करेंगे ?

श्री धर्मसिंह—जी हां।

श्री प्रतापसिंह—यह अस्पताल कब प्रारम्भ हुआ था और आज तक डाक्टर न पहुंचने का क्या कारण है ?

श्री धर्मसिंह—टनकपुर अस्पताल को खोलने के आदेश १-१२-१९६० को भेज दिये गये और अभी इमारत बन रही है; जैसे ही सार्वजनिक विभाग इमारत को बना देगा और सिविल सर्जन को ट्रांसफर कर देगा उसके बाद में प्रबन्ध कर देंगे।

श्री प्रतापसिंह—मंत्री जी इस बात को देखते हुए कि इमारत चिकित्सा विभाग को दे दी गई और वहां का जो मेल अस्पताल है उसके डाक्टर से कहा गया है कि वह इस अस्पताल को भी देखें, लेकिन इन तमाम चीजों को देखते हुए टनकपुर बिलकुल तिब्बत बार्डर पर स्थित है, बार्डर एरिया है इसलिये शीघ्र से शीघ्र वहां डाक्टर भेजने की कृपा करेंगे ?

श्री धर्मसिंह—दवा तो हम भेज देंगे। जहां तक डाक्टर की बात है उसके लिये कोशिश करेंगे।

केन डेवलपमेंट, फरेंदा द्वारा नियुक्त समिति

*६—श्री गौरीराम गुप्त (जिला गोरखपुर)—विधान सभा के १६ फरवरी, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ८० के उत्तर के संदर्भ में क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उस कमेटी की ३ बैठकें बुलाई गईं परन्तु कमेटी के सदस्यों के एकत्रित न होने के कारण कोई कार्यवाही न हो सकी ? क्या सरकार उसको मुअत्तल करके दूसरी कमेटी चुनाव करा कर बनायेगी ?

श्री रऊफ जाफरी—जी नहीं। इस कमेटी को गन्ना समिति ने अपने वार्षिक साधारण सभा द्वारा निर्वाचित किया था, अतः उसको मुअत्तल करने का अधिकार भी उसी को है।

श्री गौरीराम गुप्त—क्या सरकार बतायेगी कि जब तीन मर्तबा कमेटी के सदस्य इकट्ठा नहीं हुए तथा उसी कमेटी को चुनने का भी और मुअत्तल करने का भी अधिकार है तो क्या सरकार उस कमेटी को मुअत्तल करने के लिये पुनः विचार करेगी ?

श्री रऊफ जाफरी—मैंने जो कहा वह यह कि जो यूनियन है उसको अधिकार है। उसने अपने वार्षिक अधिवेशन में उस कमेटी को मुकर्रर किया था। अब उसी यूनियन को अख्तियार है कि एक प्रस्ताव के जरिये उसे तोड़ दे। जहां तक कोशिश का ताल्लुक है, महादेव प्रसाद जी, जो उसके संयोजक थे उनके पास ८ दफा खत लिखा जा चुका है लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। लिहाजा इसके मुताल्लिक तो यही है कि यूनियन कार्यवाही करे, सरकार तो नहीं कर सकती।

श्री गौरीराम गुप्त—जब ८ मर्तबा लिखने के बावजूद भी उन्होंने रुपये का हिसाब नहीं दिया तो उनके खिलाफ कोई कार्यवाही करने पर सरकार विचार करेगी ?

श्री रऊफ जाफरी—यह तो यूनियन को अख्तियार है कि वह कार्यवाही करे और अगर सरकार को कोई ऐसी बात रेफर होगी कि यह फ्राड है या गबन है तो सरकार भी करेगी।

श्री ब्रजनारायण तिवारी—वह मेम्बर तीन बार बुलाने पर भी नहीं आये, तो क्या सरकार को इस तरह की भी शिकायत मिली है कि उन लोगों ने उस कमेटी का रुपया गबन कर लिया है ?

श्री रऊफ जाफरी—ऐसी सूचना नहीं है। यह जरूर है कि हिसाब उसका सामने नहीं आ रहा था। उन्होंने अपना सालाना जलसा किया और एक कमेटी चुनी। अब वे लोग इकट्ठे नहीं हो रहे हैं। डायरेक्टर्स को भी उस कमेटी को तोड़ने का अख्तियार नहीं है। तो वे जनरल मीटिंग करके ही उसको तोड़ सकते हैं।

श्री धनुषधारी पांडेय (जिला बस्ती)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जब सरकार की नोटिस में एक चीज आ गयी कि कमेटी काम नहीं कर रही है और रुपया भी खा कर बैठे हुये हैं तो ऐसी दशा में सरकार उस कमेटी को हटाने के लिये कोई उपाय कर रही है ?

श्री रऊफ जाफरी—सरकार के पास तो कोई उपाय है नहीं सिवाय इसके कि जनरल मीटिंग बुलाकर उस कमेटी को खत्म करने की बात की जाय।

डिवीजनल सुपरिंटेंडेंट आफ इंडस्ट्रीज का इण्टरव्यू

*७—श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—सरकार कृपया बतायेगी कि क्या उद्योग विभाग, उत्तर प्रदेश के दो डिवीजनल सुपरिन्टेन्डेन्ट आफ इंडस्ट्रीज (पहाड़ी योजना) (२००–१०–२५०–ई० बी०–१०–३१०–ई० बी०–१४–४५० रु० प्रति माह) के पदों की पूर्ति करने के लिये आवेदन-पत्र मांगे गये थे ?

श्री रऊफ जाफरी—जी हां।

*८—श्री राजनारायण—सरकार यह भी बतायेगी कि क्या उपर्युक्त स्थान के लिये दिनांक १७ नवम्बर, १९६० को इंटरव्यू भी हुआ ? यदि हां, तो कितने अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित हुये थे ?

श्री रऊफ जाफरी—जी हां। चुनाव के संबंध में ८ अभ्यर्थी सम्मिलित हुये थे।

*९—श्री राजनारायण—क्या सरकार को यह भी पता है कि दिनांक २८ दिसम्बर, १९६० को संचालक, उद्योग विभाग, उत्तर प्रदेश ने पुनः उन्हीं दो पदों—डिवीजनल सुपरिन्टेन्डेन्ट आफ इंडस्ट्रीज (पहाड़ी योजना) के लिये समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित कराया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री रऊफ जाफरी—जी हां। पिछले चुनाव में आये हुये अभ्यर्थी उपयुक्त नहीं समझे गये थे।

श्री राजनारायण—जो रेक्वीजिट क्वालिफिकेशन्स होते हैं उन्हीं की बुनियाद पर प्रार्थना-पत्र मांगे जाते हैं और उस की बुनियाद पर १३ प्रार्थना-पत्र दिये गये। १३ में से ८ इंटरव्यू के दिन आये। तो सरकार अब यह किस बुनियाद पर कहती है कि जो ८ इंटरव्यू के लिये आये उनमें से एक भी उस पद के लिये योग्य नहीं था ?

श्री अध्यक्ष—यह तो उन्होंने खुद ही जवाब दिया है कि जितने उम्मीदवार आये थे उनमें से कोई उपयुक्त नहीं समझा गया।

श्री राजनारायण—क्या सरकार बतायेगी कि जो दूसरे विज्ञापन द्वारा प्रार्थना पत्र मांगे गये तो उनका इंटरव्यू हुआ या नहीं ?

श्री रऊफ जाफरी—यह ऐसा हुआ जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि वह लोग उपयुक्त नहीं समझे गये तो एक ड्राफ्ट डी० आई० ने एप्रूवल के लिये भेजा कि उसको पब्लिक सर्विस कमीशन को भेज दिया जाय। लेकिन उससे पहले ही डायरेक्टर की तरफ से इश्तहार छप गया इन दोनों जगहों के लिये, तो सरकार ने यह कहा कि यह बिना मंजूरी के छाप दिया गया है इसलिये इस पर कोई कार्यवाही न करें और यह इश्तहार पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिये से छपेगा तब भर्ती किये जायंगे।

श्री राजनारायण—क्या सरकार यह स्पष्ट करेगी कि २८-१२-६० के विज्ञापन के द्वारा जो प्रार्थना-पत्र मांगे गये थे उसके अनुसार प्रार्थना-पत्र आये थे या नहीं ?

श्री रऊफ जाफरी—यह मैं नहीं बता सकता कि प्रार्थना-पत्र आये थे या नहीं। जरूर आये होंगे लेकिन इसकी सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री राजनारायण—क्या सरकार स्पष्ट करेगी कि जो प्रार्थना-पत्र आये थे उनमें पहले १३ थे और केवल आठ साक्षात्कार में आये थे और यह ५ छूट गये थे। तो इन ५ अभ्यर्थियों के प्रार्थना-पत्र दूसरे विज्ञापन में नहीं आये थे इसलिये फिर से इसको सरकार ने पब्लिक सर्विस कमीशन को भेजा है ?

श्री अध्यक्ष—यह प्रश्न उचित नहीं है।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, यही तो राज है कि जिनको कर्मचारी लेना चाहते थे वह नहीं आये थे।

श्री अध्यक्ष—उन्होंने जवाब दूसरा दिया है और आप जवाब के ऊपर ही प्रश्न पूछ सकते हैं। उनका जवाब यह है कि जब सरकारी अफसर द्वारा फिर से एडवरटाइजमेंट किया गया तो सरकार ने यह कहा कि हमारी इजाजत के बगैर आपने यह किया और इसको पब्लिक सर्विस कमीशन के सामने जाना चाहिये इसलिये उनको रोक दिया कि तुम कुछ न करो। उनका उत्तर इस प्रकार था।

श्री राजनारायण—क्या सरकार बतायेगी कि जो ५ अभ्यर्थी छूट गये थे उनके प्रार्थना-पत्र आये हैं या नहीं ?

श्री रऊफ जाफरी—मेरे पास सूचना नहीं है कि किस के प्रार्थना-पत्र आये थे।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि पहले प्रार्थना-पत्र जो १७ नवम्बर के लिये मांगे गये थे उस समय क्या डायरेक्टर को नहीं मालूम था कि यह पब्लिक सर्विस कमीशन से नियुक्त होंगे इसलिये उसको एडवरटाइजमेंट नहीं करना चाहिये था ?

श्रममंत्री (सुचेता कृपालानी)—यह पद पहले टेम्पोरेरी समझे गये थे और एडवरटाइजमेंट वैसे ही किया गया था कि टेम्पोरेरी भरे जायेंगे ; लेकिन बाद में दोनों पद खाली हुये थे और यह सुपरवाइजर्स उत्तराखंड में लग गये हैं। इसलिये अब यह पद परमानेंट समझे जा रहे हैं और पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा भरे जायेंगे।

श्री प्रतापसिंह—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि पहाड़ी योजना का क्या तात्पर्य है ?

न्याय मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)—जो पहाड़ से संबंध रखती हों यही मतलब हो सकता है।

श्री राजनारायण—क्या सरकार को जानकारी है कि जो ८ अभ्यर्थी आये थे उन्होंने सरकार के पास आवेदन-पत्र भेजा है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि भारत की भूखी जनता के घोर परिश्रम से कमाये हुये कोष का बराबर अपव्यय हो रहा है। हम लोग योग्य हैं और इच्छित लोग नहीं आये थे इसलिये हमें नहीं लिया जा रहा है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—मैंने पहले ही साफ कर दिया कि सिचुयेशन बदल गई है। पहले ये टेम्पोरेरी पोस्ट थीं। लेकिन अब यह परमानेंट पोस्ट्स हैं तो पब्लिक सर्विस कमीशन भरेगा।

श्री अध्यक्ष—सवाल उनका यह है कि दो एडवरटाइजमेंट्स पहले किये गये। इस प्रकार पब्लिक मनी वेस्ट किया गया और उन लोगों को तंग किया गया जो एप्लीकेशन देने वाले हैं और वह उनकी मर्जी के नहीं थे लिहाजा बार-बार एडवरटाइजमेंट किया जा रहा है और इस तरह से आज्ञाओं में चेंजेज की जा रही है। ऐसी कोई शिकायत सरकार के पास आई है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—ऐसा मुझे मालूम नहीं कि कोई शिकायत है। अगर होगी तो देख लेंगे, लेकिन शिकायत की कोई गुंजायश नहीं आती।

श्री अध्यक्ष—गुंजायश का तो कोई सवाल नहीं है। शिकायत भेजने वाला भेजता है तो क्या करें।

श्री प्रतापसिंह—जब कैंडिडेट्स को बुला लिया गया उसके बीच में मालूम हुआ कि इस पोस्ट को स्थायी करना है या उसके बाद मालूम हुआ ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—उसी दर्मियान में पता चला।

श्री प्रतापसिंह—क्या श्रम मंत्री बतलायेंगे कि जब सारे उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिये बुला लिया गया तो इंटरव्यू लेने के दो-तीन दिन के भीतर पता चला या उसके बाद पता चला ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—पहली दफा इंटरव्यू हुआ उसमें ८ आदमी एपियर हुए और एक आदमी ठीक समझा गया लेकिन वह पहले सरकारी मुलाजिम था इसलिये उसे वहां नहीं भेजा गया। फिर सोचा गया दोबारा एडवरटाइज किया जायगा। उसमें हरिजन भरने की बात कैसे आती है यह मुझे नहीं मालूम।

श्री राजनारायण—माननीय मंत्राणी जी कहती हैं कि एक आदमी ठीक था मगर इसलिये नहीं लिया गया और हमको जो लिखित उत्तर मिलता है उसमें है जी हां, पिछले चुनाव में हुआ अभ्यर्थी उपयुक्त नहीं समझा गया तो कौन-सा उत्तर सही माना जाय जो हमें लिखित मिला है या जो स्पष्ट किया गया ?

श्री अध्यक्ष—उसमें कोई कांट्रेडिक्शन नहीं है। उत्तर में कहते हैं कि उपयुक्त नहीं पाया गया और यहां कहते हैं कि इसलिये उपयुक्त नहीं पाया गया क्योंकि गवर्नमेंट सर्वेंट पहले था, लेकिन योग्य था। इसमें योग्यता के बारे में कुछ नहीं कहा है, उपयोगिता के बारे में कहा है कि उन्होंने उपयुक्त नहीं समझा।

श्री प्रतापसिंह—क्या श्रम मंत्री इस बात की जांच करेंगे कि यह जो कैंडिडेट छांटा गया था वह उपयुक्त था और नौकरी में जा सकता था लेकिन विभागीय अधिकारियों की इच्छा नहीं थी इसलिये नहीं भेजा गया ?

श्री रऊफ जाफरी—इसकी जांच की कोई जरूरत नहीं है। अब तो फिर एडवरटाइज-मेंट होगा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से और वह सेलेक्ट करेंगे, लिहाजा अधिकारियों का कोई सवाल पैदा नहीं होता और जैसा कि पहले जवाब दिया जा चुका है ये टेम्पोरेरी पोस्ट नहीं हैं परमानेन्ट पोस्ट हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी—प्वाइंट आफ आर्डर। यह संविधान की धारा १६४ में जो शब्द इस्तेमाल हुआ है वह है "मंत्री", "मंत्रि परिषद्" तो मंत्राणी शब्द क्या संवैधानिक होगा ?

श्री अध्यक्ष—मैंने एक रोज पहले भी इस प्रश्न पर कहा था कि मंत्री शब्द में सब आ जाते हैं। इसलिये मंत्री कहने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये।

श्री नारायणदत्त तिवारी—संविधान में शब्द है "मंत्री" और इस सदन में शब्द इस्तेमाल होते हैं "मंत्राणी" और "उप-मंत्राणी", तो इस प्रकार के शब्द इस्तेमाल करना संवैधानिक होगा ?

श्री अध्यक्ष—अवैधानिक तो नहीं होगा।

श्री गौरीशंकर राय—अध्यक्ष महोदय, इससे पहले कि आप इस पर रूलिंग दे दें मेरी बात सुन लें। मंत्राणी शब्द विधान की दृष्टि से उचित हो या अनुचित हो लेकिन भाषा की दृष्टि से ठीक नहीं है। मंत्राणी तो मंत्री की स्त्री हुई। इसलिये आप मंत्री कहलवाइये।

श्री अध्यक्ष—मैं पहले ही कह चुका हूं कि मंत्री कहना ही उचित होगा। मैं तो स्वयं उन्हें मंत्री कहना चाहता हूं। मैंने तो कहा कि मंत्री ही कहना उचित होगा।

कुंवर श्रीपालसिंह—श्रीमन्, उसी सिलसिले में मैं एक निवेदन करना चाहता था कि यह मंत्री शब्द जो है यह कौन से लिंग का वाचक होगा—नपुंसक लिंग होगा या पुल्लिंग होगा या स्त्रीलिंग होगा ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—अब जैसा आप महसूस करें।

श्री राजनारायण—माननीय अध्यक्ष महोदय, एक निवेदन मैं आपसे कर देना चाहता था। जो व्यवस्था आपने दी उस पर हमें कुछ नहीं कहना है। मंत्री ही कहा जाय, मगर यह चूंकि कह दिया गया कि मंत्री का मंत्राणी कहना मंत्री की स्त्री हो जाता है, यह गलत है। मंत्री स्वतः की जो स्त्री होगी वह मंत्राइन कही जायगी। मंत्राणी शब्द बाकायदे जो स्त्री मंत्री होंगी उनके लिए कहा जायगा और मंत्री की स्त्री जो होगी वह मंत्राइन कही जायगी, जैसे बनिया की स्त्री बनियाइन।

श्री टीकाराम पुजारी (जिला मथुरा)—श्रीमन्, मैं यह कह रहा हूं कि बिना मूंछ वाले जितने यहां बैठे हैं वह सब मंत्राणी होते हैं।

[१६ मार्च, १९६१ के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न]

*१—श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)—[१० मार्च, १९६१ को प्रश्न ५७ के अन्तर्गत उत्तर दिया गया।]

*२-३—श्री मदन पांडेय—[२३ मार्च, १९६१ के लिये स्थगित किये गये।]

*४-६—श्री ताराचन्द माहेश्वरी (जिला सीतापुर)—[२४ मार्च, १९६१ के लिये प्रश्न १०-१२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

*७-८—श्री रामसुन्दर पांडेय—[३० मार्च, १९६१ के लिये स्थगित किये गये।]

रिकवरी में गन्ना किसानों का शेयर

*९—श्री ताराचन्द माहेश्वरी—सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या जिन शक्कर मिलों ने वर्ष १९५५-५६, १९५६-५७, १९५७-५८, १९५८-५९ व १९५९-६० में अधिक "रिकवरी" की है, उस अधिक रिकवरी के आधार पर प्राप्त लाभ में से सरकार कुछ अंश काश्तकारों को भी दिलाये जाने की व्यवस्था पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो यह व्यवस्था कब तक हो जाने की आशा है ?

श्री रऊफ जाफरी—१९५८-५९ सीजन से केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाया गया प्राइस लिंकिंग फारमूला कानूनन लागू है। इस फारमूले में यह व्यवस्था कर दी गई है कि किसी क्रशिंग सीजन में रिकवरी तथा ड्यूरेशन (duration) के आधार पर चीनी मिलों को जो अतिरिक्त मुनाफा होगा उसमें गन्ना किसानों का जो शेयर परसेंटेज निकलेगा वह उन्हें अतिरिक्त मूल्य के रूप में दिया जायगा। केन्द्रीय सरकार ने अभी हाल में इस फारमूले को टैरिफ कमीशन के पास जांच के लिये भेजा है और कमीशन की रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही किसानों के हिस्से का भुगतान हो सकेगा। १९५८-५९ सीजन से पूर्व कोई व्यवस्था कानूनन लागू नहीं थी।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी—क्या माननीय मंत्री जी रिकवरी और ड्यूरेशन के विषय को स्पष्ट करके बताने की कृपा करेंगे ?

श्री रऊफ जाफरी—यह जो फारमूला है वह यह होगा कि एक मन या सौ मन गन्ने से कितनी चीनी बनती है और चीनी मिल कितने लम्बे जमाने तक चलती है। बात यह है कि मिलों का जितना लम्बा सीजन होता है उनको उतना ज्यादा मुनाफा होता है। तो इन तमाम बातों का लिहाज करते हुए जो रिकवरी हुई और जितना लम्बा सीजन चला उसमें जितना मुनाफा होगा उस लिहाज से यह फारमूला बनाया जायगा।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी—माननीय मंत्री जी शेयर और परसेंटेज जो किसानों को मिलेगा वह क्या निश्चय किया गया है यह बताने की कृपा करेंगे ?

श्री रऊफ जाफरी—उसका अभी निश्चय कहां हुआ है ? उसी के लिए तो वह टैरिफ कमीशन के पास गया है और उसी का तो इन्तजार है। जब वहां से आ जायगा निर्धारित होकर के तो जो पैसा किसानों का है वह दिला दिया जायगा।

श्री शिवराज सिंह यादव (जिला बदायूं)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि वह अधिकतम रिकवरी क्या है जिससे अधिक रिकवरी होने पर किसानों को मुनाफे का हिस्सा दिया जाता है ?

श्री रऊफ जाफरी—असल में यह देखते हैं कि उसमें खर्चा कितना बैठता है। एक मन चीनी पर कितना खर्चा पड़ा और बाजार में वह कितने में बिकी, इससे उसके मुनाफे का एक प्रोपोर्शन मालूम हो जायगा। जैसे मान लीजिए कि ३७ रुपये मन या ३६ रुपये मन चीनी का दाम बाजार में है तो इसको वह वर्क आउट करेंगे और उसके बाद जो ज्यादा हिस्सा होगा मुनाफे का उसमें से उनको दिया जायगा।

श्री प्रतापसिंह—माननीय मन्त्री जी ने जैसा कि उत्तर में कहा कि टैरिफ बोर्ड की जांच के लिये गया है और वहां से रिपोर्ट आयेगी तो क्या इस बीच में उत्तर प्रदेश के मिलमालिकों से सरकार बात करेगी कि वहां से आते ही सरकार किसानों को यह दिला सके ?

श्री रऊफ जाफरी—इसमें बात करने की कोई जरूरत नहीं है। जब मालूम हो जायगा हिसाब-किताब के बाद तो उनको दिला दिया जायगा।

श्री चन्द्रजीत यादव—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो उन्होंने टैरिफ बोर्ड के पास परसेन्टेज निश्चित करने के लिये भेजा है तो उसमें क्या राज्य सरकार ने अपने पास से कोई सिफारिश की है कि कौन-सा और कितना हिस्सा टैरिफ बोर्ड को दिलाना चाहिये ?

श्री रऊफ जाफरी—राज्य सरकार ने कुछ सिफारिश की है, लेकिन उसका यहां पर बतलाना मुनासिब नहीं है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार यह स्पष्ट करेगी कि सदन में कई बार दिये गये वह प्रश्नोत्तर और वक्तव्य कि जिनमें शुगर मिल्स की रिकवरी के सम्बन्ध में मुख्य मंत्री महोदय ने स्वतः कहा था कि १९५४–५५, ५५–५६, ५६–५७ के लिये एक फार्मूला तय किया गया है और उसके आधार पर किसानों को अंश दिलाया जायगा वह सही है या यह जो अब जवाब दिया जा रहा है कि टैरिफ बोर्ड को मामला दिया गया है उसके आधार पर दिलाया जायगा यह सही है ?

श्री रऊफ जाफरी—टैरिफ कमीशन को मामला इसलिये नहीं दिया गया है कि दिया जाय या नहीं। उनको शेयर मुनाफे का दिया जायगा। मैं यह बात कहता हूं कि उसमें जो किसानों का शेयर होगा वह कितना होगा उसके लिये टैरिफ कमीशन के सामने वह बात पेश है। वह टैरिफ कमीशन यहां २१ तारीख को आ रहा है। उस वक्त बात होगी। हम लोग जल्दी कर रहे हैं कि यह फैसला जल्दी हो और हम दिलाने की कोशिश करेंगे। सन् के मुताल्लिक जो कहा गया है उसके लिये जैसा जवाब में कहा गया कि कानूनन वह ५७–५८ से लागू होगा। उसके पहले जो बयान मुख्य मंत्री जी का हुआ था उसमें यह बात कही थी कि ५४ से यह दिलाया जायगा। उसके लिये हम कोशिश करेंगे लेकिन उन पर इस बात के लिये मौरेल प्रेशर डाला जा सकता है। कानूनन तो जो पोजीशन है उस हिसाब से ५७–५८ का ही उनको मिलेगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी—माननीय मुख्य मंत्री जो उस समय उद्योग मंत्री थे वह इस सदन में कह चुके हैं कि ५४–५५ से अवश्य दिलाया जायगा तो ५४–५५,५५–५६ और ५६–५७ में किस आधार पर उस आश्वासन को पूरा करने की सरकार ने कोशिश की और उसमें कितना मुनाफा किसानों को दिलाया जा चुका है ?

श्री रऊफ जाफरी—जैसा मैं कह चुका हूं कि कानूनन इस वक्त जो पोजीशन है वह यह है कि १९५८–५९ का उनको कानूनन दिलाना पड़ेगा। बाकी के लिये जैसा उन्होंने कहा था कि । उसको दिलाने की कोशिश की जायगी। किसी सूरत में जो उनसे निकल सके दिलाया जाय उस वक्त से यह कानून लागू नहीं होता।

श्री शिवराजसिंह यादव—अधिक रिकवरी की बिना पर काश्तकारों को जो लाभ मिलने की बात है उनके हिस्से के तौर पर उसका हिसाब बनाना शुरू कर दिया गया है ?

श्री रऊफ जाफरी—जब अभी उनके हिस्से का तायुन ही नहीं हुआ है तो हिसाब कैसे बनना शुरू हो जायगा।

श्री उग्रसेन—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जैसा उन्होंने कहा कि यह टैरिफ बोर्ड को दिया जायगा कि किसानों को किस परसेन्टेज में रिकवरी में हिस्सा दिया जाय तो क्या मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि सरकार ने इससे पहले जब कि आश्वासन दिया जा चुका है कि उनको १९५४–५५ का दिलाया जायगा तो इससे पहले क्यों टैरिफ बोर्ड को नहीं भेजा ?

श्री रऊफ जाफरी---कुछ गलतफहमी है। टैरिफ बोर्ड को इस बात के लिये नहीं भेजा गया कि दिलाया जाय या नहीं।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि जिस काम के लिये अब भेजा है उसके लिये पहले क्यों नहीं भेजा ?

श्री रऊफ जाफरी---बात यह है हम तो केन्द्रीय सरकार के पास भेजते हैं।

श्री उग्रसेन---क्या यह सही है कि टैरिफ बोर्ड को इस बात की जांच के लिये उसमें किसानों का क्या हिस्सा होगा, अभी भेजा गया है या पहले भेजा गया था ?

श्री रऊफ जाफरी---जहां तक टैरिफ कमीशन को भेजने का सवाल है राज्य सरकार नहीं भेजती है। यह होता है कि यहां से वह केन्द्रीय सरकार के पास भेजा जाता है। केन्द्रीय सरकार अगर चाहे तो खुद अस्वीकार कर दे और अगर टैरिफ कमीशन की सलाह लेना चाहे तो सलाह ले ले। उसके लिये बात यह है कि अभी चूंकि सारा मामला विचाराधीन टैरिफ कमीशन के सामने है इसलिये मैं ज्यादा बतला नहीं सकता।

श्री नारायणदत्त तिवारी---मंत्री जी जो १९५८-५९ के बाद से कानूनी रूप से रिकवरी की बात कह रहे हैं वह किस कानून के आधार पर कह रहे हैं और क्या पहले से वह लागू नहीं था ?

श्री रऊफ जाफरी---प्राइस मेकिंग फारमूला ही १९५८-५९ में हुआ।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)---गवर्नमेन्ट के आश्वासन देने के कितने दिनों के बाद सरकार ने यह मामला गवर्नमेन्ट आफ इंडिया को भेजा ?

श्री रऊफ जाफरी---इसके लिये नोटिस की जरूरत है।

श्री नारायणदत्त तिवारी---अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न के लिये मैं आधे घंटे का नोटिस देता हूं। यह एक प्रणाली है।

श्री अध्यक्ष---आप मुझे लिखित भेज दें।

सिल्क मिल मजदूरों का वेतन-क्रम निर्धारित करने की प्रार्थना

*१०---श्री ऊदल (जिला वाराणसी)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश में इस वक्त कितनी सिल्क मिलें किन-किन जिलों में चल रही हैं और इस उद्योग में कितने मजदूर कार्य कर रहे हैं ?

श्रम उप-मंत्री (श्री वसी नकवी)---इस प्रदेश में इस समय १२ सिल्क मिलें चल रही हैं। इनमें से ८ वाराणसी में, २ देहरादून में तथा एक-एक कानपुर व मेरठ में हैं। इन मिलों में २,३२० मजदूर कार्य कर रहे हैं।

*११---श्री ऊदल---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सिल्क मिल के मजदूरों को कितनी तनख्वाह तथा कितना मंहगाई भत्ता मिलता है ?

श्री वसी नकवी---उक्त मजदूरों की तनख्वाह तथा मंहगाई भत्ता* का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

---

*नत्थी छापी नहीं गई।

*१२—श्री ऊदल—क्या सरकार इस उद्योग में लगे मजदूरों के वेतन पर विचार करने के लिये एक वेतन बोर्ड की स्थापना करने पर विचार कर रही है ?

श्री वसीनकवी—जी नहीं ।

श्री ऊदल—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जिन मिलों के बारे में उन्होंने बतलाया है कि १२ मिलें हैं उनमें आज तक कोई वेतन-क्रम सरकार ने निर्धारित नहीं किया है, तो इसका कारण क्या है ?

श्री वसीनकवी—पहली बात यह है कि अभी तक कोई मांग नहीं की गयी, दूसरी बात यह है कि वेज बोर्ड गवर्नमेन्ट आफ इंडिया मुकर्रर करती है इसलिये कि सारे भारत में यूनिफार्म तरीके पर रेट्स रहें, नहीं तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में नुकसान पहुंच जाने का डर रहता है, तीसरी बात यह है कि श्रमिकों की तादाद इनमें इतनी नहीं है कि इसके लिये वेज बोर्ड मुकर्रर किया जाय ।

श्री ऊदल—क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि वेतन-क्रम निर्धारित न होने की वजह से इन मिलों के मजदूरों को इतवार का कोई पैसा नहीं दिया जाता और आये दिन प्ले आफ होते रहते हैं जिससे मजदूरों का काफी नुकसान होता रहता है । क्या सरकार का ध्यान इस ओर गया है और यदि गया है तो इसको रोकने के लिये क्या कार्यवाही हुई है ?

श्री वसीनकवी—ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई ।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि सिल्क मिल के जो मजदूर हैं उनकी तनख्वाह और मंहगाई पूरे प्रदेश में सब जगह एक-सी है अथवा उनमें फर्क है ? और यदि फर्क है तो क्या ?

श्री वसीनकवी—मैंने आपसे बतलाया कि वह कंसालिडेटेड वेजेज दे रहे हैं और उसमें तनख्वाह और मंहगाई अलग-अलग नहीं है और मुख्तलिफ मिलें अलग-अलग रेट्स पर पेमेंट करती हैं, जैसे मजदूर मिल जाते हैं उसी हिसाब से पेमेंट होता है ।

श्री राजनारायण—क्या सरकार इस बात को स्पष्ट करेगी कि इन सिल्क मिलों में ऐक्ट लागू है अथवा नहीं ?

श्री वसीनकवी—फैक्टरी ऐक्ट इनमें लागू है ।

श्री राजनारायण—जब फैक्टरी ऐक्ट लागू है तो उसके मुताबिक उनको तनख्वाह मिनिमम वेजेज ऐक्ट के मुताबिक दिलाने का प्रबंध सरकार क्यों नहीं करती ?

श्री वसीनकवी—मैंने पहले बतलाया कि कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है ।

श्री राजनारायण—सरकार का उत्तर है कि इनमें फैक्टरी ऐक्ट लागू है । फैक्टरी ऐक्ट के मुताबिक जो मजदूर काम करते हैं उनकी सहूलियतें और सुभीते मुकर्रर रहते हैं, उनकी छुट्टी और बैठकी आदि मुकर्रर है, तो जो मजदूर काम कर रहे हैं उनको यह सहूलियत मिल रहीं हैं अथवा नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—अगर किसी फैक्टरी से कोई शिकायत आये तो उस पर हम जरूर विचार करेंगे ।

श्री झारखंडेराय—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब प्रदेश में अलग-अलग जगह पर मजदूरी और मंहगाई के रेट भिन्न-भिन्न हैं और यहां तक कि बनारस जिलें में ही रेट एक से नहीं तो क्या सरकार मजदूरी एक-सी करने के प्रश्न पर विचार कर रही है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी---अभी आपको बताया गया कि इनके लिये कोई वेज बोर्ड अभी नहीं बना है और रेट का कोई फैसला नहीं हुआ है। अब अगर कोई वहां पर दिक्कत है और वह फैक्टरी ऐक्ट के अन्तर्गत आती है, तो उसकी जानकारी होने पर हम उसको देख लेंगे।

श्री रामस्वरूप वर्मा---यह वेजेज ऐक्ट यहां पर इसमें लागू होता है या नहीं और अगर नहीं तो क्यों नहीं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी---यह जो कानून है, जहां-जहां पर यह लागू होना चाहिये अगर उसमें कोई गलती कहीं पर है और उसका पालन नहीं हो रहा है, तो उसकी शिकायत आने पर उसको देख लिया जायेगा।

श्री भगवतीसिंह विशारद---इन फैक्टरियों के लिये क्या कोई स्टैंडिंग आर्डर बने हुये हैं, या नहीं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी---अब इतनी फैक्टरीज़ हैं, उनमें कहां-कहां पर स्टैन्डिंग आर्डर हैं, इसके लिये नोटिस की जरूरत है।

स्थानीय विकास निर्माण के लिए केंद्रीय सहायता

*१३---**श्री ताराचन्द माहेश्वरी**---क्या सरकार बताने की कृपा करेंगी कि स्थानीय "विकास-निर्माण" कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष १९५९-६० में भारत सरकार ने क्या आर्थिक सहायता राज्य सरकार को प्रदान की है ?

श्री वसीनकवी---भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष १९५९-६० में स्थानीय विकास निर्माण कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य सरकार को ७१.२५ लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की गई।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि स्थानीय विकास निर्माण कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि का उपयोग किन-किन मदों में किया गया है ?

श्री वसीनकवी---वित्तीय वर्ष १९५९-६० में यह धनराशि सेंट्रल गवर्नमेन्ट से पानी पीने के कुओं के लिये प्राप्त हुई थी।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी---इस धनराशि का उपयोग पूरा कर लिया गया है ? यदि हां, तो किन-किन जिलों में ?

श्री वसीनकवी--उसका विवरण तो दे दिया गया है। सीतापुर जिले में १ लाख ६२ हजार खर्च हुआ और ....

श्री अध्यक्ष--यह विवरण उत्तर के साथ तो है नहीं।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी---मेरे पास भी नहीं है।

श्री वसीनकवी--तो मैं सब बता देता हूं।

श्री अध्यक्ष---यह स्टेटमेन्ट बहुत बड़ा होगा, मैं इसे पढ़ने की इजाजत नहीं दूंगा।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी---क्या माननीय मंत्री जी शीघ्र इस विवरण को मेरे पास भिजवाने की कृपा करेंगे ?

श्री वसीनकवी---जरूर भिजवा दूंगा।

झांसी हैन्डलूम में गबन

*१४—श्री लक्ष्मणराव कदम (जिला झांसी)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि झांसी में हैंडलूम हाउस की स्थापना कब हुई थी और उस समय से उसके हिसाब का आडिट व स्टाफ का वेरीफिकेशन कब-कब हुआ था ?

श्री रऊफ जाफरी—(क) यू० पी० का हैन्डलूम हाउस, झांसी की स्थापना १४ फरवरी, १९५५ में हुई थी ।

(ख) डिपो का अलग आडिट नहीं होता, परन्तु स्टाक वेरीफिकेशन हर साल होते हैं जिसकी सूचना संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ख' पृष्ठ ४२३ पर)

*१५—श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि झांसी के सिटी मैजिस्ट्रेट की निगरानी में उसकी अभी हाल ही में जांच-पड़ताल होने पर स्टाक में कितने कपड़े की कमी व गबन पाया गया और उक्त गबन किस-किस वर्ष में हुआ था ?

श्री रऊफ जाफरी—मैजिस्ट्रेट द्वारा उक्त डिपो का केवल स्टाक टेकिंग हुआ। डिपो की जांच के लिये आडिट नियुक्त हुआ है जो अभी जारी है। आडिट रिपोर्ट प्राप्त होने पर वास्तविक स्थिति मालूम होगी ।

श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सिटी मैजिस्ट्रेट द्वारा स्टाक टेकिंग कराने का क्या कारण है और उसके अनुसार कितना कपड़ा कम पाया गया ?

श्री रऊफ जाफरी—जैसा कि उत्तर में बतलाया गया है, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को लिखा गया था और वह स्टाक चेक कर रहे हैं। स्टाक टेकिंग हो गया है। क्योंकि पुलिस में रिपोर्ट है, इसलिये कार्यवाही तो चल ही रही है ।

श्री अध्यक्ष—वह यह जानना चाहते हैं कि कितना कम कपड़ा पाया गया ?

श्री रऊफ जाफरी—इत्तला देना मुनासिब नहीं होगा ।

श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि पुलिस में यह मामला क्यों भेजा गया ?

श्री रऊफ जाफरी—स्टाक की कमी और गबन पाया गया। पुलिस जांच कर रही है कि कितना कपड़ा गया और कितना गबन हुआ। उसका यहां बताना मुनासिब नहीं है।

श्री चन्द्रजीत यादव—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि नियमानुसार प्रति वर्ष हैन्डलूम हाउस स्टाक की चेकिंग होनी चाहिये, लेकिन जब से इसकी स्थापना हुई तब से चेकिंग नहीं है और इसकी शिकायत थी कि गबन हो रहा है, उसके आधार पर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने स्टाक की चेकिंग करायी है ।

श्री रऊफ जाफरी—यह सही है कि शिकायत हुई । तभी उसकी चेकिंग करायी गयी।

श्री ऊदल—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जैसे झांसी के हैंडलूम के गबन की शिकायत है, इसी तरह हैंडलूम की सरकारी दूकानों की पूरे प्रदेश भर में शिकायत है, तो क्या सरकार कोई ऐसी कमेटी बनाने की कृपा करेगी कि जो सारी दूकानों को जांच करे और सरकार को रिपोर्ट दे ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी---ऐसी कोई डिटेल में स्पेसिफिक खबर नहीं है, मगर कुछ अफवाह जरूर है। इसलिये हमने आलरेडी इस डिपार्टमेन्ट से पूछा है कि हमें इम्पोरियम के बारे में पूरे डिटेल लाकर दें।

श्री गोविंदसिंह विष्ट---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगी कि यह तो पता था कि गबन है, तो क्या गबन की फिगर्स इसलिये नहीं बतायी जा रही हैं कि उनमें भी मतभेद है कि कुछ घट या बढ़ जायेंगी आगे को ?

श्री अध्यक्ष---यह तो उन्होंने बताया कि मामला पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में है।

श्री चन्द्रजीत यादव---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि झांसी हैंडलूम हाउस, जिसके अधिकारी का यह कर्त्तव्य था कि नियमतः हर साल चेकिंग करानी चाहिये और नहीं की है और प्रायमा फेसी उसका अपराध है तो इस बीच में उसके खिलाफ कोई कार्यवाही की गयी ?

श्री रऊफ जाफरी---यू० पी० को० जो है वह कोआपरेटिव सोसाइटियों की, इंडस्ट्रियल कोआपरेटिव्स की इपिक्स बाडी है और आटोनामस बाडी है। कितनी बिक्री हुई, क्या हुआ, उसका ताल्लुक सरकार से नहीं है, यू० पी० को० से है, उसके डायरेक्टर से है। वह उसको देखते हैं।

*१६---श्री ताराचन्द माहेश्वरी---[३० मार्च, १९६१ के लिये स्थगित किया गया।]

कुमायूं के दीवानी न्यायालयों के पुनस्संगठन के संबंध में सुझाव

*१७---श्री गोविन्दसिंह विष्ट---क्या न्याय मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या कुमायूं के दीवानी न्यायालयों के पुनर्संगठन की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? अगर हां, तो वह क्या है ?

शिक्षा उप-मंत्री (श्री रामस्वरूप यादव)---कुमायूं क्षेत्र के कुछ दीवानी न्यायालयों के कार्य-क्षेत्र के पुनस्संगठन व दीवानी मुकदमों की सुनवाई के विषय में हाईकोर्ट ने कुछ सुझाव सरकार को भेजे हैं जो अभी सरकार के विचाराधीन हैं। मुख्यतः वे सुझाव ये हैं कि कुछ क्षेत्रों में जो दीवानी मुकदमें अभी तक सब डिवीजनल अफसरों व तहसीलदारों द्वारा सुने जाते हैं वे भविष्य में दीवानी अदालतों द्वारा ही सुने जायं और इस सम्बन्ध में पिथौरागढ़ व टेहरी के मुन्सिफी न्यायालयों का अधिकार-क्षेत्र बढ़ा दिया जाय।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि नैनीताल, काशीपुर, अल्मोड़ा और रानीखेत में जो ४ मुंसिफी अदालत कब से चल रही हैं और जिनके एक ही प्रश्न पर विचार करना था, तो उनके स्थायीकरण में देर क्यों लगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---अदालतों के वर्क लोड के बारे में डिटेल में हाई कोर्ट से दरियाफ्त किया गया, उसके आने में देरी हुई, इस वजह से यह देरी हुई।

कुमायूं क्षेत्र के मुन्सिफी न्यायालय

*१८---श्री गोविन्दसिंह विष्ट---क्या यह सही है कि कुमायूं क्षेत्र में जो मुन्सिफी न्यायालय अस्थायी रूप से १९५३ से आरम्भ किये गये थे वे आज भी अस्थायी हैं ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

श्री रामस्वरूप यादव—जी हां। सन् १९५३ में कुमायूं क्षेत्र में सात मुन्सिफी न्यायालय अस्थायी तौर पर खोले गये थे। इनमें नैनीताल, काशीपुर, अल्मोड़ा तथा रानीखेत के मुन्सिफी न्यायालयों को १ अप्रैल, १९६१ से स्थायी करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। शेष तीन न्यायालयों में काम पर्याप्त न होने के कारण उनको अभी स्थायी करने का विचार नहीं है।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जो आदालतें स्थायी होंगी उनमें जो स्टाफ कलेक्टोरेट से आया है उसको क्या वही सुविधायें दी जायंगी जो कलेक्टोरेट में पहले मिलती रही थीं और क्या उनकी कलेक्टोरेट की सर्विस भी जोड़ी जायगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—यह डिटेल की बातें हैं, इस सम्बन्ध में कोई कमिटमेन्ट करना नामुनासिब होगा।

श्री ब्रजनारायण तिवारी—क्या मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो उत्तराखंड डिवीजन बना है वह पहले कुमाऊं डिवीजन में था, तो क्या सरकार के पास ऐसी कोई योजना है कि जो उत्तराखंड बना है उसमें भी जो बाकी स्थान हैं वहां पर और जिलों की तरह अदालतें स्थापित की जांय ?

श्री रामस्वरूप यादव—हाईकोर्ट ने सरकार के पास दो सिफारिशें भेजी हैं, एक तो यह कि सब डिवीजनल आफिसर्स पर जो अधिकार दीवानी के हैं वह मुंसिफों को दे दिये जायं और दूसरे यह कि कुछ स्थायी कर दिये जायं। उत्तराखंड पहले के जिलों में जैसे आते थे उसी हिसाब से अल्मोड़ा और टेहरी-गढ़वाल दोनों पर यह असर पड़ता है। हाईकोर्ट की राय है कि सब-डिवीजनल आफिसर के बजाय दीवानी के मुकदमे मुंसिफ करे और जो मुंसिफ हैं उनके अधिकार-क्षेत्र बढ़ाये जांय।

श्री प्रतापसिंह—इस बात को देखते हुये कि अदालतों में ५३ से जो स्थायी रूप से चपरासी और कर्मचारी कार्य कर रहे हैं उनको और लोगों के बराबर तनख्वाह और भत्ता नहीं मिल रहा है, इसलिये क्या सरकार उनको स्थायी करने की कृपा करेगी और पिछला वेतन भी दिलवायेगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—वह गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स रूल्स से गवर्न होंगे।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या यह सही है कि सरकार वांचू कमेटी रिपोर्ट और डाक्टर काटज् कमेटी रिपोर्ट के अनुसार यह पहले ही तय कर चुकी है कि सब-डिवीजनल आफिसर और तहसीलदार दीवानी के मुकदमे न किया करें ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—इसीलिये तो यह करने जा रहे हैं।

किच्छा चीनी मिल खोलने के लिए ऋण

*१९—**श्री रामस्वरूप वर्मा**—क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि बड़े उद्योगों के लिये १९५६–५७ में किन-किन मिल-मालिकों को कितना-कितना ऋण दिया गया था और उसमें से किन-किन ने उक्त ऋण का अब तक निश्चित कार्य के लिये उपयोग किया है ?

श्री रऊफ जाफरी—वित्तीय वर्ष १९५६–५७ में सर्वश्री विष्ट इंडस्ट्रियल कार्पोरेशन, विष्ट इस्टेट, नैनीताल को किच्छा में चीनी मिल लगाने के लिये २० लाख रुपये ऋण दिया गया।

ऋण का निश्चित कार्य के लिये उपयोग हुआ है और आशा की जाती है कि मिल अगले गन्ना पिराई के मौसम में चालू हो जायगी।

श्री रामस्वरूप वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि २० लाख रुपये का ऋण १९५६–५७ में दे दिया गया तो कितने साल के बाद मिल बननी आरम्भ हुई और अब तक न बनने के क्या कारण हैं ?

श्री रऊफ जाफरी—मिल को बहुत-सी कबाहतें पड़ गईं, कुछ रुपये की कबाहत थी, यानी रुपया काफी नहीं हो सका, कुछ मशीनरी आने में देर हुई, लेकिन अब मशीनरी करीब-करीब पहुंच गई है, प्लान्ट के लिये मकान भी तैयार है और उम्मीद की जाती है कि जल्दी हो जायगी। सिर्फ ब्वायलर आने में देर है।

श्री रामस्वरूप वर्मा—जब २० लाख रुपया सरकार ने ५७ में दे दिया था तो फिर रुपये की कैसे परेशानी हुई और उनका काम कब से आरम्भ हुआ ?

श्री रऊफ जाफरी—२० लाख से तो काम नहीं चलता है। चीनी मिल में करीब १ या १।। करोड़ रुपया चाहिये। उसके बाद फाइनेन्शल कारपोरेशन से उन्होंने कर्ज लिया। इसी दिक्कत में फंसे रहे।

श्री राजनारायण—क्या सरकार स्पष्ट करेगी कि २० लाख रुपये से काम न चलने पर उन्होंने और ऋण के लिये आवेदन-पत्र दिया ? यदि हां, तो कुल कितना रुपया दिया गया ?

श्री रऊफ जाफरी—जी हां। उन्हें २० लाख एक दफा और २० लाख दूसरी दफा मार्च, १९५७ के करीब दिया गया।

सघन विकास क्षेत्रों को गांव सभाओं के लिए ऋण

*२०—**श्री रामस्वरूप वर्मा**—क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि सघन विकास क्षेत्रों में सरकार ने किस अनुपात में गांव सभाओं को धन देने का निश्चय किया है और कितना धन विकास खंड अधिकारी के अन्तर्गत खर्च करने को रहेगा और छाया विकास क्षेत्रों में इस नीति को अपनाया गया है या नहीं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—यह निश्चय किया गया है कि मैदानी जिलों में स्थित सघन विकास खंडों के वर्ष १९६०–६१ के बजट में "स्वास्थ्य एवं स्वच्छता" तथा "यातायात" मदों के अन्तर्गत अनुदान के हेतु उपलब्ध प्राविधान को प्रत्येक क्षेत्र की समस्त गांव सभाओं में उनकी जन-संख्या के अनुपात से बांट दिया जाये।

इन दो मदों के अतिरिक्त ब्लाक बजट में उपलब्ध सघन विकास खंड अधिकारी के अन्तर्गत खर्च करने को रहेगा। इन दो मदों में भी विकास खंड अधिकारी को यह आदेश हैं कि वह उपरोक्त आदेश के प्राप्ति के पहले से स्वीकृत निर्माण कार्यों के लिये आवश्यक धनराशि तथा शेष धनराशि का पांच प्रतिशत तक टाउन एरिया (यदि कोई हो) के विकास के लिये खंड विकास समिति के वैयक्तिक लेखे में रोक लें और केवल शेष धनराशि ही गांव सभाओं को उनकी जन-संख्या के अनुपात से बांटें।

उपरोक्त नीति को छाया खंडों में (चाहे वे पहाड़ी क्षेत्रों में स्थित हों चाहे मैदानी क्षेत्रों में) तथा ऐसे सघन विकास खंडों में जो पहाड़ी जिलों में स्थित हैं नहीं अपनाया गया है।

नोट—तारांकित प्रश्न १९ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

सीतापुर तथा रायबरेली के संसद उप-चुनावों में मंत्रियों का दौरा

*२१—श्री गोविन्दसिंह विष्ट—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि रायबरेली की तथा सीतापुर की एम० पी० की सीटों के उप-चुनाव के समय नवम्बर व दिसम्बर, १९६० में कितने व कौन-कौन मंत्री उस क्षेत्र में गये थे ? उन्होंने कितना-कितना मील सफर किया तथा उनसे कितना-कितना सरकारी कारों का खर्च वसूल किया गया ? क्या यह सही है कि इन दौरों में मंत्रियों का सरकारी स्टाफ भी साथ था ?

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—वांछित सूचना का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ४२४ पर)

*२२—श्री मदन पांडेय—[२३ मार्च, १९६१ के लिये स्थगित किया गया ।]

झांसी डिवीजन में खुलने वाले पशु चिकित्सालय

*२३—श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या उसने झांसी डिवीजन में एक 'ए' क्लास वेटेरिनरी अस्पताल, एक 'सी' क्लास वेटेरिनरी डिस्पैन्सरी तथा तीन फर्स्ट एड वेटेरिनरी डिस्पेन्सरियां खोलने का निश्चय किया है ? यदि हां, तो कहां-कहां और कब ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—विवरण माननीय सदस्य की मेज पर प्रस्तुत है ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ४२५ पर)

*२४–२६—श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ (जिला अलीगढ़)—[हटा दिये गये ।]

गल्ले की सरकारी खरीद

*२७—श्री रामस्वरूप वर्मा—क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि १ अप्रैल, १९६० से ३१ दिसम्बर, १९६० तक कौन-कौन अनाज प्रदेश की किन-किन मंडियों में कितना-कितना सरकार द्वारा खरीदा गया और इस प्रकार सरकार को गल्ले की खरीद से कितना लाभ या हानि हुई ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—१ अप्रैल, १९६० से ३१ दिसम्बर, १९६० तक राज्य सरकार द्वारा इस प्रदेश को ११३ मंडियों में १८,०७,६२० मन चावल तथा १६९ मंडियों में १०,८०,७२९ मन गेहूं खरीदा गया । गेहूं की खरीदारी ८ अगस्त, १९६० तक की गई थी । खरीदारी का मंडीवार ब्यौरा उपलब्ध है, यदि माननीय सदस्य चाहें तो मेरे कमरे में आकर उनका अवलोकन कर सकते हैं ।

ग्रेन सप्लाई स्कीम के अन्तर्गत सरकार द्वारा कुल खाद्यान्नों के लेन-देन का लेखा हर एक वित्तीय वर्ष के लिये उस वर्ष के समाप्त हो जाने पर बनाया जाता है अतः यह सम्भव नहीं है कि केवल खरीद किए गए खाद्यान्नों में लाभ अथवा हानि का लेखा केवल १ अप्रैल से ३१ दिसम्बर, १९६० तक का दिया जा सके ।

*२८—श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)—[हटा दिया गया ।]

खीरी जिले के पुराने गजटेड अफसर

*२९—श्री शिवप्रसाद नागर—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि खीरी जिले में ऐसे कितने गजटेड आफिसर्स हैं जिनको २१ दिसम्बर, १९६० तक तीन वर्ष कार्य करते पूरे हो चुके हैं ।

श्री चन्द्रभानु गुप्त--आठ ।

*३०--श्री शिवप्रसाद नागर--क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि ऐसे अधिकारियों का स्थानान्तरण जिनके कार्यकाल के तीन वर्ष ३१ दिसम्बर, १९६० तक खीरी जिले में पूरे हो चुके हैं, कब तक करने का सरकार विचार करती है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--अगले मई, जून में इनमें से कुछ के स्थानान्तरण पर विचार किया जायगा। कुछ का स्थानान्तरण अभी लोक हित में ठीक नहीं है और एक का तीन वर्ष के भीतर अनिवार्य नहीं है ।

*३१-३३--श्री चन्द्रजीत यादव--[३० मार्च, १९६१ के लिये स्थगित किये गये ।]

*३४-३५--श्री गेंदासिंह (जला देवरिया)--[स्थगित किये गये ।]

मैनपुरी जिले में वर्षा पीड़ितों को सहायता

*३६--श्री रामदीन (जिला मैनपुरी)--क्या सरकार जानकारी करके बताने की कृपा करेगी कि जिला मैनपुरी में १ जून, १९६० से ७ फरवरी, १९६१ तक अत्यन्त वर्षा होने के तथा नदी, तालाबों व नालों की बाढ़ से कितने मनुष्य व कितने पशु जान से मरे और कितने एकड़ भूमि की फसल नष्ट हुई ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--३३ मनुष्य व ४६८ पशुओं की जीव हानि हुई और १,९१,८३५ एकड़ भूमि में फसल को क्षति पहुंची ।

*३७--श्री रामदीन--क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि जो जनता का धन, जन, पशु तथा फसल का नुकसान हुआ है उसमें सरकार ने अब तक क्या सहायता की तथा करने जा रही है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--अब तक ३,७९,४०० रु० तकावी व ऋण में अथवा ७१,३०० रु० अहैतुक सहायता व मकान बनाने के हेतु अनुदान में दिये जा चुके हैं। ६६,००० रु० तकावी व ३३,७०० रु० अनुदान में ३१-३-६१ तक देने का और विचार है। इसके अतिरिक्त ४,८५,८५८ रु० की मालगुजारी में छूट स्वीकृत की जा चुकी है ।

*३८--श्री तेजासिंह (जिला मेरठ)--[३० मार्च, १९६१ के लिये स्थगित किया गया ।]

सिलवर जुबली रामसरनदास वीमेन हास्पिटल, गाजियाबाद के विकास के लिए प्रार्थना

*३९--श्री तेजासिंह--क्या न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गाजियाबाद, जिला मेरठ के Silver Jubilee Ram Saran Dass Women Hospital, Ghaziabad के विकास के बारे में जो पत्र २२ अगस्त, १९६० को उन्हें दिया गया था उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--इस अस्पताल के विकास संबंधित प्रस्ताव स्वास्थ्य सेवा निदेशक द्वारा सिविल सर्जन, मेरठ से मांगे गये हैं जिन पर सरकार निदेशक की सिफारिश प्राप्त होने पर विचार करेगी ।

*४०—श्री तेजासिंह—क्या यह सत्य है कि उक्त कार्य के लिये ८,००० रुपया Reserve फंड का और ५८,५०० रुपया किराये की आमदनी का सरकार के कोष में जमा है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी नहीं ।

खीरी जिले में नलकूपों के लिए तकावी तथा ऋण

*४१—श्री बंशीधर शुक्ल (जिला खीरी)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला खीरी में १९६० में कितने लोगों को ट्यूबवेल बनाने के लिये कर्जा दिया गया, तत्सम्बन्धित कितनी दरख्वास्तें आई थीं, उनमें किनको किस आधार पर कर्जा दिया गया और जिनको नहीं दिया गया, उनमें क्या कमी थी ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—कुल १३ दरख्वास्तें प्राप्त हुईं तथा सभी प्रार्थियों को ट्यूबवेल बनाने के लिये नियमों के अन्तर्गत तकावी दी गई । ८ प्रार्थियों को १९६० में कर्जा दिया गया और ५ को जनवरी से मार्च, १९६१ में ।

*४२—श्री बंशीधर शुक्ल—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या कुछ दरख्वास्तें डेढ़-दो साल से विचाराधीन हैं ? यदि हां, तो उन प्रार्थना-पत्रों पर कर्ज क्यों नहीं दिया गया और क्या सरकार सम्बन्धित प्रार्थियों के नाम बताने की कृपा करेगी ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—जी नहीं । इनका प्रश्न नहीं उठता ।

मंत्रियों तथा सभा सचिवों के दौरे पर व्यय

*४३—श्री उग्रसेन, श्री भुवनेशभूषण शर्मा (जिला इटावा), राजा यादवेन्द्र दत्त दुबे तथा श्री ताराचन्द माहेश्वरी—क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि दिनांक १७ सितम्बर, १९६० से ३ अक्तबर, १९६० की अवधि के अन्दर राज्य के मंत्रियों, उपमंत्रियों तथा सभा सचिवों के प्रदेशव्यापी दौरे पर कितना धन व्यय किया गया ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—कथित अवधि में राज्य के मंत्रियों, उप-मंत्रियों तथा सभा सचिवों के प्रदेशव्यापी दौरे पर कुल ७,१९१ रु० ४० नये पैसे व्यय हुये ।

मंत्रियों तथा सभा सचिवों के दौरे

*४४—श्री भुवनेश भूषण शर्मा तथा राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे—क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १७ सितम्बर, १९६० से ३ अक्तूबर, १९६० तक राज्य के मंत्रियों, उप-मंत्रियों तथा सभा सचिवों द्वारा किये गये दौरे कितने सरकारी गाड़ियों से किये गये और कितने रेल द्वारा ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—वांछित सूचना का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है ।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ४२६ पर)

आई० ए० एस० सर्विस के बाहर के जिलाधीश

*४५—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में किन-किन जिलों के जिलाधीश ऐसे हैं जो आई० ए० एस० नहीं हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—इस समय प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में जिलाधीश, आई० ए० एस० सर्विस के नहीं हैं ?

१—एटा
२—बिजनौर
३—जालौन
४—हमीरपुर
५—गाजीपुर
६—देवरिया
७—बस्ती
८—आजमगढ़
९—नैनीताल
१०—टेहरी-गढ़वाल
११—पिथौरागढ़
१२—चमोली
१३—उत्तरकाशी
१४—उन्नाव
१५—राय बरेली
१६—खीरी
१७—गोंडा
१८—बहराइच
१९—सुल्तानपुर
२०—प्रतापगढ़ ।

*४६—श्री रामसुन्दर पांडेय—[३० मार्च, १९६१ तक के लिये स्थगित किया गया ।]

बरहज महिला चिकित्सालय में महिला डाक्टर का न होना

*४७—श्री उग्रसेन—क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि बरहज नगर, जिला देवरिया के महिला चिकित्सालय में गत १ वर्ष से महिला डाक्टर क्यों नहीं नियुक्त की गई ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—महिला चिकित्सकों की भारी कमी के कारण यह सम्भव नहीं हो सका ?

*४८—श्री उग्रसेन—क्या मुख्य मंत्री को बरहज के नागरिकों द्वारा गत मास महिला डाक्टर की नियुक्ति के सम्बन्ध में कोई स्मृति-पत्र मिला है ? यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी नहीं ?

कलेक्शन नायब तहसीलदार

*४९—श्री भगवतीसिंह विशारद—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या उसे वर्ष १९६०-६१ में पब्लिक सर्विस कमीशन से कोई ऐसी सूची मिली है जिसके अनुसार प्रदेश के कुछ नायब तहसीलदार (कलेक्शन) के पदों की पुष्टि (confirmation) की गयी है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जी नहीं। ऐसी कोई सूची अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। कुछ पद स्थायी हुए हैं उनको भरने की कार्यवाही हो रही है।

*५०—श्री भगवतीसिंह विशारद—यदि हां, तो क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि क्या उक्त सूची के अनुसार जिन नायब तहसीलदारों (कलेक्शन) के पदों की पुष्टि हो गई है, उनकी पुष्टि करते हुये संबंधित व्यक्तियों को सूचना दे दी गई है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—यह प्रश्न नहीं उठता।

*५१-५२—श्री राजाराम शर्मा (जिला बस्ती)—[३० मार्च, १९६१ के लिये स्थगित किये गये।]

तरकुलवा अस्पताल का बन्द होना तथा दुदही में दवाखाना खोलने का विचार

*५३—श्री ब्रजनारायण तिवारी—क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला देवरिया का तरकुलवा अस्पताल कब से बन्द है और उसके बन्द होने का क्या कारण है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—डाक्टर उपलब्ध न होने के कारण तरकुलवा अस्पताल लगभग एक वर्ष से बन्द है।

*५४—श्री ब्रजनारायण तिवारी—क्या मुख्य मंत्री कृपया यह भी बतायेंगे कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में कहां-कहां नये अस्पताल स्थापित करने का प्रस्ताव जिला देवरिया में है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—इसका निर्णय अभी नहीं हुआ है।

*५५—श्री ब्रजनारायण तिवारी—क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या ततीय पंचवर्षीय योजना में दुदही, देवरिया में नया दवाखाना स्थापित करना विचाराधीन है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां।

मुख्य मंत्री के दौरे पर व्यय

*५६—राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि ६ दिसम्बर, १९६० से ८ फरवरी, १९६१ तक मुख्य मंत्री ने प्रदेश में कहां-कहां दौरा किया तथा इनके इस दौरे पर टी० ए०, डी० ए० तथा अन्य खर्चे कितने हुये तथा हवाई जहाज का प्रयोग कितनी बार किया गया ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—कथित अवधि में मुख्य मंत्री ने मिर्जापुर, कानपुर, रायबरेली, इलाहाबाद, गोरखपुर, मुरादाबाद, गाजीपुर, वाराणसी, आजमगढ़, मोदीनगर (मेरठ), बहराइच तथा आगरा का दौरा किया जिन पर कुल ६४३ रु० ९१ नये पैसे व्यय हुये। उक्त व्यय में कोई टी० ए०, डी० ए० सम्मिलित नहीं है क्योंकि मुख्य मंत्री दौरों के संबंध में कोई टी० ए०, डी० ए० नहीं लेते। हवाई जहाज का प्रयोग ७ बार किया गया।

फर्रुखाबाद जिले से ग्राम सभाओं के सीमा परिवर्तन की प्रार्थना

*५७—श्री अवधेशचन्द्रसिंह (जिला फर्रुखाबाद)—क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि फर्रुखाबाद जिले से उनके पास एक ब्लाक से दूसरे ब्लाक में कुछ ग्राम सभायें मिलाने के सुझाव आये हैं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी---जी हां ।

*५८---श्री अवधेशचन्द्रसिंह---यदि हां, तो वे सुझाव क्या हैं ? उनका आधार क्या है और उन पर कब तब निर्णय हो जाने की संभावना है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी---इस प्रसंग का विवरण †माननीय सदस्य की मेज पर प्रस्तुत है ।

हस्तान्तरण के ये सभी प्रस्ताव संबंधित क्षेत्र विकास अधिकारियों और पंचायत निरीक्षकों की सम्मति तथा भौगोलिक परिस्थिति के आधार पर प्रस्तुत किये गये हैं । इन प्रस्तावों पर शीघ्र ही निर्णय लिये जाने की आशा है ।

ईंटों पर कंट्रोल

*५९---श्री बाबूराम (जिला बरेली)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या यह सही है कि सरकार ने आदेश दिया है कि भट्ठे की ईंट पर कंट्रोल किया जाय ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---जी हां, कोयले से पकी ईंटों के समान रूप से वितरण के हित में ।

केन सोसाइटी, जिला बदायूं द्वारा गन्ने का सट्टा

*६०---श्री टीकाराम (जिला बदायूं)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि केन सोसाइटी जिला बदायूं ने १९६०-६१ में अब तक गन्ने का कितना सट्टा न्युली शुगर फैक्टरी, नगरिया से किया और जनवरी, १९६१ तक कितना गन्ना लिया गया ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---गन्ना समिति, बदायूं ने वर्ष १९६०-६१ के लिये न्युली चीनी मिल, मानपुर नगरिया से बीस लाख पचास हजार मन गन्ना सप्लाई करने का सट्टा किया है । उसमें से ३१-१-६१ तक सात लाख चालिस हजार मन गन्ना चीनी मिल बदायूं केन सोसायटी से खरीद चुकी है ।

*६१---श्री टीकाराम---क्या सरकार न्युली शुगर फैक्टरी, नगरिया को हिदायत करेगी कि किसानों की सुविधा के लिये वह पुरानी तोल (मन-सेर) से काम लें ?

श्री चान्द्रभानु गुप्त---जी नहीं, क्योंकि केन्द्रीय सरकार ने इस संबंध में यह आदेश दे दिये हैं कि चीनी मिलें नवम्बर १, १९६१ को समाप्त होने वाले दो वर्षों के अन्तर्गत तौल की मेट्रिक प्रणाली अपना लेवें ।

*६२-६३---श्री हरदयालसिंह (जिला शाहजहांपुर)---[३० मार्च, १९६१ के लिये स्थगित किये गये ।]

*६४-६५---श्री काशी प्रसाद पांडेय (जिला सुल्तानपुर)---[३० मार्च, १९६१ के लिये स्थगित किये गये ।]

जिलेवार कोढ़ियों की संख्या

*६६---श्री जंगबहादुर वर्मा (जिला बाराबंकी)---क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में जिलेवार कुल कितने कुष्ठ रोगियों (कोढ़ियों) की संख्या है और इस रोग की रोकथाम के लिये क्या व्यवस्था की गई है ?

---

†नत्थी छापी नहीं गई ।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—कुष्ठ रोगियों की संख्या मालूम करने के लिये जिलेवार कोई गणना अभी तक नहीं की गई है। भारत सरकार की कुष्ठ निरोधक समिति की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुष्ठ रोगियों की संख्या लगभग ८०,००० है।

उत्तर प्रदेश में कुष्ठ रोग की रोक-थाम के लिये कुल १८ कुष्ठ अस्पताल हैं, जिनमें से ३ सरकारी तथा १५ गैर सरकारी संस्थायें हैं। इसके अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा चलाई गई लेपरासी कन्ट्रोल पाइलट प्रोजेक्ट स्कीम (Leprosy Control Pilot Project Scheme) के अन्तर्गत कुष्ठ रोगियों की चिकित्सा के लिये ९ केन्द्र स्थापित किये गये हैं। दो मोबाइल लेपरासी यूनिट्स (mobile leprosy units) झांसी और हमीरपुर क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं। इनके अतिरिक्त प्रदेश में सभी जिला अस्पतालों में कुष्ठ रोगियों के इलाज की व्यवस्था भी कर दी गई है।

*६७—श्री जंगबहादुर वर्मा—क्या मुख्य मंत्री कृपया यह भी बतायेंगे कि जिला बाराबंकी के अन्तर्गत तहसील हैदरगढ़, नवाबगंज, रामसनेही घाट, फतेहपुर में इस समय कुल कितने कोढ़ी हैं?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—प्रश्न संख्या ६६ के उत्तर में बताये गये परिस्थितियों के कारण यह बताना संभव नहीं है कि बाराबंकी जिले की विभिन्न तहसीलों में कुष्ठ रोगियों की कुल संख्या कितनी है।

*६८–७०—नागेश्वरप्रसाद (जिला जौनपुर)—[३० मार्च, १९६१ के लिये स्थगित किये गये।]

सचिवालय के अस्थायी कर्मचारियों की विशेष परीक्षा

*७१—श्री मुक्तिनाथ राय (जिला आजमगढ़)—क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रदेश के सचिवालय के अस्थाई सहायकों की कोई योग्यता संबंधी परीक्षा सितम्बर, १९६० में सरकार द्वारा पब्लिक सर्विस कमीशन के सुझाव के अनुसार जी०ओ०नं० १८६८-ई/एक्स-एक्स-ई—१६६(६)-५५, दिनांक २४ अप्रैल, ५७ के अनुसार हुई थी? यदि हां, तो वह आदेश क्या था?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां।

कार्यालय ज्ञाप सं० १८६८-ई/२०-ई—१६६(६)-५५, दिनांक २४ अप्रैल, १९५७ को, जिसके अनुसार सितम्बर, १९५७ में विशेष परीक्षा हुई थी प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

*७२—श्री मुक्तिनाथ राय—क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या इसी संबंध में सचिवालय के सहायकों की परीक्षा के संबंध में कोई शासकीय आदेश संख्या २३११-ई/एक्स-एक्स ई—१६६(६)-५७, दिनांक १८ मई, १९५७ भी प्रसारित किया गया था? यदि हां, तो वह आदेश क्या था?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां।

कार्यालय ज्ञाप सं० २३११-ई/बीस-ई—१६६(६)-५७, दिनांक १८ मई, १९५७ की प्रति† सदन की मेज पर रख दी गई है।

---

†नत्थी छापी नहीं गई।

*७३—श्री मुक्तिनाथ राय—क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या उक्त दोनों आदेशों के अनुसार सितम्बर, १९५७ में कोई लिखित परीक्षा हुई और १ अप्रैल, १९५९ को बिना परसनालिटी टेस्ट (Personality test) के लिये परीक्षा फल घोषित कर दिया गया ? इसमें कुल कितने व्यक्ति सर्विस से अलग किये गये ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां ।

लोक सेवा आयोग के परामर्श पर ही ऐसा किया गया ।

अभी तक कुल ९ व्यक्ति कार्य सन्तोषजनक न होने के कारण नौकरी से पृथक् किये गये हैं ?

*७४–७५—श्री भजनलाल (जिला इटावा)—[३० मार्च, १९६१ के लिये स्थगित किये गये ।]

फर्रुखाबाद जिले में औद्योगिक आस्थान कायम करने की योजना

*७६—श्री होरीलाल यादव (जिला फर्रुखाबाद)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उसने फर्रुखाबाद जिले में औद्योगिक आस्थान कायम करने की कोई योजना बनाई है ? यदि हां, तो उसकी रूप-रेखा क्या है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—वांछित सूचना संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ४२७ पर)

*७७–७८—श्री इन्दुभूषण गुप्त (जिला आजमगढ़)—[३० मार्च, १९६१ के लिये स्थगित किये गये ।]

भूलीनगर के गृहविहीनों को सहायता

*७९—श्री गुरुप्रसादसिंह (जिला सुल्तानपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या १९६० की गोमती की बाढ़ में तहसील मुसाफिरखाना, जिला सुल्तानपुर का भूलीनगर गांव पूर्णतया नष्ट हो गया ? यदि हां, तो उस गांव के लोगों को पुनः बसाने के लिये कहां प्रबन्ध किया गया और उन्हें बसाने के लिये सरकार द्वारा कब और कितनी सहायता दी गई ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—अक्तूबर, १९६० की बाढ़ में भूलीनगर जो ग्राम थौरी का मजरा है की आबादी का कुछ भाग कट गया था । प्रभावित कुछ परिवारों नें अपने पुराने मकानों को पुनः ठीक कराकर रहना प्रारम्भ कर दिया है । शेष परिवारों ने लगभग ६ फर्लांग की दूरी पर स्थित ग्राम थौरी में ग्राम समाज की भूमि पर मकान बना लिये हैं । पीड़ितों को १,५०० रुपया मकान बनाने व मरम्मत कराने के लिये अनुदान के रूप में दिया गया ।

*८०—श्री श्रीकृष्ण गोयल (जिला बदायूं)—[३० मार्च, १९६१ के लिये स्थगित किया गया ।]

हाथरस में आयल मिल्स

*८१—श्री त्रिलोकीसिंह (जिला लखनऊ)—क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हाथरस, जिला अलीगढ़ में इस समय कितनी आयल मिल्स कार्य कर रही हैं तथा १० वर्ष पहले उनकी क्या संख्या थी ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—इस समय हाथरस में ६ आयल मिल्स रजिस्टर्ड हैं जिनमें से केवल ५ कार्य कर रही हैं । १० वर्ष पूर्व उनकी संख्या ११ थी, जिस में से केवल ५ कार्य कर रही थीं ।

औद्योगिक विधेयक लाने का विचार

*८२—श्री जवाहरलाल (जिला इलाहाबाद)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वह उत्तर प्रदेश औद्योगिक संबंध विधेयक (U. P. Industrial Relations Bill) सदन के समक्ष कब तक प्रस्तुत करने का विचार रखती है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—उत्तर प्रदेश औद्योगिक संबंध विधेयक (U. P. Industrial Relations Bill) सदन के समक्ष शीघ्र ही प्रस्तुत करने का सरकार द्वारा प्रयत्न किया जा रहा है ।

फर्रुखाबाद राजकीय श्रम हितकारी केन्द्र को 'बी' क्लास में लेने का विचार

*८३—श्री राजेन्द्रसिंह यादव (जिला फर्रुखाबाद)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या फर्रुखाबाद राजकीय श्रम हितकारी केन्द्र क्लास 'सी' का है और उसमें श्रमिकों को सभी सुविधायें प्राप्त नहीं हैं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

(क) जी हां ।

(ख) इसमें 'सी' श्रेणी के केन्द्र की सुविधायें उपलब्ध हैं ।

*८४—श्री राजेन्द्रसिंह यादव—क्या सरकार उसे 'बी' क्लास सेन्टर करने पर विचार करेगी ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—जी हां ।

*८५—श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर)—[३० मार्च, १९६१ के लिये स्थगित किया गया ।]

कुष्ठ उन्मूलनार्थ अनुसंधान विभाग की आवश्यकता

*८६—श्री रामस्वरूप वर्मा—क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या सरकार उत्तर प्रदेश में कुष्ठ के उन्मूलनार्थ कोई विशेष अनुसंधान विभाग खोलने जा रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—वांछित सूचना एकत्रित की जा रही है ।

गुलरिया अस्पताल में डाक्टर का न होना

*८७—श्री टीका राम—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला बदायूं के गुलरिया अस्पताल में २ साल से डाक्टर नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार वहां पर डाक्टर भेजने की कृपा करेगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां ।

*८८—श्री टीकाराम—क्या यह सही है कि ग्राम गुलरिया, तहसील बदायूं की आबादी ५ हजार से अधिक है और उसके चारों तरफ सात मील तक अस्पताल नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार वहां पर अस्पताल की इमारत बनवाने की कृपा करेगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां । वहां पर अस्पताल की इमारत बनवाने पर विचार किया जायगा ।

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का १९५७–५८ का प्रतिवेदन†

संसदीय विषयक उप-मंत्री (श्री शांतिप्रपन्न शर्मा)—अध्यक्ष महोदय, भारत के संविधान के अनुच्छेद ३२३(२) के अनुसार में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के १९५७–५८ के वार्षिक प्रतिवेदन को उसके ज्ञापन (मेमोरेंडम) सहित सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—इसके लिये शीघ्र ही कोई समय व तिथि नियत करने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष—बजट के बाद इसे ले लिया जायगा।

बजट साहित्य का वितरण

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)—कई वर्षों से देखा गया है कि यहां विवाद के दिन या बाद में हमें लिटरेचर मिलता है जिससे वह आबसोलीट हो जाता है। तो उसे जल्दी दिलाने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष—हर विभाग के मंत्री अपने बजट का लिटरेचर कुछ दिन पहले दें तो अच्छा है। बाद में देने से कोई लाभ सदस्यों को नहीं होता है।

संसदीय विषयक उप-मंत्री (श्री शांतिप्रपन्न शर्मा)—हम जल्दी बंटवाने का प्रयत्न करेंगे।

जिला आजमगढ़ के दोहरीघाट विकास खंड की स्वास्थ्य निरीक्षिका के साथ विकास खंड अधिकारियों द्वारा दुर्व्यवहार के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य की मांग

श्री अध्यक्ष—मैंने नियम ५२ के अनुसार श्री मुक्तिनाथ राय जी का एक विषय स्वीकार किया है। वह यह है कि आजमगढ़ जिले के दोहरीघाट विकास खंड की स्वास्थ्य निरीक्षिका, श्रीमती सुरतिदेवी ने जिलाधीश आजमगढ़ से शिकायत की है कि क्षेत्रीय विकास अधिकारी ने अपने अधीनस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ ७ मार्च, १९६१ की रात्रि में उनके क्वार्टर में जाकर जूतों, लात, बेंतों, घूसों से बुरी तरह पीटा और मकान में बन्द कर दिया। सूचना प्राप्त होने पर जिला स्वास्थ्य अधिकारी घटनास्थल पर गये और स्वास्थ्य निरीक्षिका को बाहर निकाला। स्वास्थ्य निरीक्षिका घायल अवस्था में अस्पताल में पड़ी है। महिलाओं के कथनानुसार विकास अधिकारी ने अपने विरुद्ध दिये गये एक प्रार्थना-पत्र से क्षुब्ध होकर इस प्रकार का कुकृत्य किया है। विकास विभाग के उच्च अधिकारी उक्त कांड से अपने को अनभिज्ञ बता रहे हैं और केस को बदलने एवं इस घृणित कार्य के ऊपर परदा डालने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। सम्पूर्ण विकास क्षेत्र में इस घटना से गहरा क्षोभ व्याप्त है एवं एक नया विभाग जिसे सरकार ने जनता के लिये बरदानस्वरूप समझ कर स्थापित किया है अभिशाप स्वरूप होने जा रहा है। चूंकि यह समाचार दुर्घटना के बाद कुछ देर से प्राप्त हो सका है इसीलिये इस समय दिया जा रहा है। प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है एवं.....इत्यादि इत्यादि।

माननीय मंत्री जी कब इस पर वक्तव्य देना चाहेंगे?

शिक्षा उप-मंत्री (श्री रामस्वरूप यादव)—२३ तारीख को ही हो सकेगा।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—३ दिन पहले हमने इस पर अल्पसूचित तारांकित प्रश्न भेजा है। उसे भी इसमें शामिल कर लिया जाय।

श्री अध्यक्ष—वह तो आ ही जावेगा।

---

† छापा नहीं गया।

गणेश शुगर मिल, आनन्दनगर (गोरखपुर) तथा बलरामपुर शुगर कम्पनी (गोंडा) द्वारा गन्ने की खरीद बन्द करने के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य

संसदीय विषयक उप-मंत्री (श्री शांतिप्रपन्न शर्मा)—बढ़नी केन यूनियन का गन्ना इस वर्ष गन्ना आयुक्त ने आनन्दनगर और तुलसीपुर चीनी मिलों को एलाट किया था। इस यूनियन ने १६ लाख १० हजार मन गन्ना दोनों मिलों को आफर किया था, जिसमें से १० मार्च तक ७ लाख ३७ हजार मन गन्ना मिलें ले चुकीं। इस प्रकार लगभग ८ लाख ७३ हजार मन गन्ना सप्लाई होना शेष है। गत वर्ष इस यूनियन ने दोनों मिलों को कुल १० लाख ७० हजार मन गन्ना सप्लाई किया था जिससे इस वर्ष १६ लाख १० हजार मन का आफर कुछ अधिक जान पड़ता है।

आनन्दनगर शुगर मिल ने बढ़नी और परसा सेंटरों से ११ मार्च से गन्ना लेना बन्द कर दिया और तुलसीपुर ने १५ मार्च से गन्ना न लेने का नोटिस दे दिया है, इसका कारण इन मिलों के क्षेत्र में गन्ना अधिक होने का नहीं है, बल्कि मिलों को यह एतराज है कि यहां सी०ओ० २८५ भांति का गन्ना बहुत अधिक मात्रा में है और यह वेराइटी बैन्ड है, चूंकि इससे रिकवरी बहुत कम आती है। जांच से मालूम हुआ है कि ८,५३७ एकड़ में से केवल २,८५० एकड़ भूमि में सी० ओ० २८५ वैराइटी का गन्ना था। अतः गन्ना आयुक्त ने दोनों मिलों को आदेश दे दिया है कि वह २८५ वैराइटी छोड़कर बाकी गन्ने की खरीद जारी रखें। यदि इन मिलों ने गन्ना लेने से इन्कार किया तो इनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जायगी।

अब रह गया २८५ वैराइटी का प्रश्न, तो इस बात पर विचार किया जायगा कि किस प्रकार इसका डिसपोजल करवाया जाय।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जब बढ़नी यूनियन ने गन्ने को इकट्ठा किया तो विभाग ने उसकी वैराइटी को देखा और रिजर्वेशन कान्फ्रेंस में जब गन्ना रिजर्व किया गया तो उस समय भी मिल-मालिकान ने कोई एतराज नहीं किया ? तो फिर यह कैसे हो गया कि २८५ टिटेरिया केन नहीं लेंगे ?

सूचना उपमंत्री (श्री रऊफ जाफरी)—माननीय सदस्य ने जो कहा वह ठीक है। मिलों ने रिजर्वेशन के वक्त यह जानते हुये भी कि २८५ नम्बर का गन्ना है, कोई एतराज नहीं किया। हम कोशिश कर रहे हैं कि वे लें। हमारी दिक्कत यह है कि २८५ नम्बर का गन्ना बैन्ड है, इसलिये हम ज्यादा मजबूर नहीं कर सकते। दूसरे प्रेशर इस्तेमाल करेंगे।

श्री उग्रसेन—क्या स्थानीय अधिकारियों ने यानी डी०सी०ओ०, गोंडा और डी०सी० ओ०, बस्ती ने १४ मार्च को घटनास्थल पर जाकर देखा और सरकार को रिपोर्ट किया है कि जो टिटेरिया केन कहा जाता है वह बैन्ड नहीं है, यह लिया जा सकता है ?

श्री रऊफ जाफरी—२८५ बैन्ड है। इसमें बहस की गुंजाइश नहीं है। यह सही है कि रिकवरी की रिपोर्ट एक मिल की जो जितनी पिछले साल थी उतनी है, आनन्द-नगर की। तुलसीपुर की ९.५३ उस समय थी और ९.३९ अब है। बहुत थोड़ा फर्क है। इसलिये मिलों के लिये इंकार करने की कोई बहुत जस्टीफिकेशन नहीं है। उनको लेना चाहिये और हर किस्म की कोशिश की जायगी कि वे लें।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)—२८५ नम्बर का गन्ना जिसे वे नहीं लेते हैं, कुल कितना खड़ा है ?

श्री रऊफ जाफरी—८,५३७ एकड़ कुल है जिसमें से २,८५० एकड़ २८५ का है, करीब एक-चौथाई । एक बात और है—रिपोर्ट में यह है कि २,८५० एकड़ जो इस तरह का गन्ना बताया जाता है वह भी २८५ का खालिस नहीं है, उसमें भी दूसरा सीड मिला हुआ है।

श्री धनुषधारी पांडेय (जिला बस्ती)—क्या मंत्री जी को यह मालूम है कि रेलवे स्टेशन पर काफी गाड़ियां खड़ी हुई हैं और उनके पास पर्चे भी हैं, लेकिन उसको लिया नहीं जा रहा है ? किसानों का गन्ना सूख रहा है और इससे उनको काफी नुक्सान हो रहा है ?

श्री रऊफ जाफरी—यह ठीक है। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को टेलीफोन किया गया है कि मिल वाले गन्ना फौरन लें वरना उनका प्रासीक्यूशन किया जाय।

श्री उग्रसेन—क्या माननीय मंत्री जी को पता है कि २८५ नम्बर का गन्ना जिसको कहा जाता है कि मिल वाले नहीं ले रहे हैं क्योंकि वह बैन्ड है, लेकिन नैपाल का वही गन्ना जो उसी तरह का है, उसको लिया जा रहा है ?

श्री रऊफ जाफरी—जहां तक तराई का संबंध है उसका सब गन्ना इन्हीं मिलों में आता है। यह ठीक है कि नैपाल का गन्ना वे ले रहे हैं। इससे यह बात साफ मालूम देती है कि वे लोग सिर्फ किसानों का भाव कम कराने की गरज से ऐसा कर रहे हैं। सरकार इसको देखेगी और किसी भी तरह से मिलों को गन्ना ले लेने के लिये तैयार करेगी।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—क्या सरकार इस बात को स्पष्ट करेगी कि जब सरकार को जानकारी में यह बात सही-सही आ गयी है कि अपने सूबे के अन्दर जो क्षेत्र इन मिलों को निर्धारित किया गया है उसके १६ लाख मन गन्ने में केवल ८ लाख मन ही लिया गया है, ये मिलें उसको न लेकर नैपाल का उसी किस्म का गन्ना ले रही हैं, तो फिर अभी तक सरकारी कर्मचारियों ने उनके विरुद्ध कार्यवाही क्यों नहीं की ?

श्री रऊफ जाफरी—सरकार के हाथ कानून से बंधे हुये होते हैं। वह कानून के हिसाब से ही कुछ कर सकती है। तो हम इस मामले में कानून के हिसाब से भी करेंगे और पर्सुएशन के तरीके से भी उनको गन्ना लेने के लिये राजी करेंगे।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि अगर उनका यह पर्सुएशन का तरीका कामयाब नहीं होता है तो क्या सरकार केंद्रीय सरकार से यह निवेदन करेगी कि वह इंडियन डेवलपमेंट रेग्युलेशन ऐक्ट के मुताबिक इस मिल को अपने नियंत्रण में ले ले ?

श्री रऊफ जाफरी—इस सिलसिले में जो भी मुमकिन होगा वह सरकार करेगी।

श्री धनुषधारी पांडेय—क्या सरकार को ज्ञात है कि डिस्ट्रिक्ट केन आफीसर, गोंडा ने जांच करके यह निश्चित कर लिया है कि यह गन्ना एप्रूव्ड वैराइटी का ही है ?

श्री रऊफ जाफरी—मेरे पास ऐसी इत्तला नहीं है। अगर ऐसी बात मेरे नोटिस में आयी तो मैं इसकी जांच करा लूंगा।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि जब सरकार स्वयं इस बात से संतुष्ट है कि रिकवरी पहले के बराबर है और जानबूझ कर गन्ना नहीं लिया जा रहा है और किसानों का गन्ना सूख रहा है और उनका नुक्सान हो रहा है, इसलिये दूसरी मिलों को उनका गन्ना दिलाया जाय ?

श्री रऊफ जाफरी—इसका जवाब दिया जा चुका है कि हर मुमकिन कोशिश की जायगी। पर्सुएशन या प्रेशर जो भी हम उनके ऊपर डाल सकेंगे, वह हम सब करेंगे।

श्री झारखंडेराय—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि इसी विषय में इस क्षेत्र के लोगों का एक शिष्ट मंडल प्रातःकाल मंत्री जी से मिला था। यदि हां, तो सरकार ने उन लोगों को क्या वचन दिया?

श्री रऊफ जाफरी—कुछ लोग आये थे और माननीय मुख्य मंत्री जी से मिले थे। वे बाहर चले गये, मेरी उनसे बातचीत नहीं हो पायी है, इसलिये मुझे उसके बारे में नहीं मालूम।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)—क्या मंत्री जी को जानकारी है कि १४ मार्च को १०० आदमियों ने बढ़नी में भूख हड़ताल की और १० हजार आदमियों ने प्रदर्शन किया? यदि हां, तो उनके असंतोष को दूर करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की?

श्री रऊफ जाफरी—उसके लिये तो यह नोटिस थी कि १ दिन की भूख हड़ताल करेंगे और जितना आप कह रहे हैं उस पैमाने पर हुआ भी नहीं। १ दिन की बात थी वह खत्म हो गयी।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सरकार को यह कब मालूम हुआ कि यहां के किसानों का गन्ना नहीं लिया जा रहा है जबकि नैपाल का लिया जा रहा है और तब से लेकर अब तक सरकार ने क्या कोई कदम उठाया है कि मिल-मालिकान यहां का गन्ना लें?

श्री रऊफ जाफरी—नयी बात सिर्फ इतनी हुई है कि इन्होंने बढ़नी से लेना बन्द किया। नैपाल से गन्ना तो पहले भी लिया जाता था, उसको बन्द नहीं किया, सिर्फ यहां का बन्द किया, यह सवाल है।

श्री शिवराजसिंह यादव (जिला बदायूं)—क्या माननीय मंत्री जी ने इस बात की जांच करायी है कि इस मिल के मालिकान ने आफ़र के लिहाज से इक्विटेबिल परचेज नहीं किया?

श्री रऊफ जाफरी—यह इन्फार्मेशन मेरे पास इस वक्त नहीं है। नोटिस दे दें तो मैं इसको हासिल कर लूंगा।

श्री बलदेवसिंह (जिला गोंडा)—क्या मंत्री जी को यह भी जानकारी है कि नैपाल राज्य का गन्ना मिल मालिक आनन्दनगर और तुलसीपुर में मनमाने दाम पर ले लेते हैं, इसलिये क्या वे ऐसा आदेश देने की कृपा करेंगे कि आप यहां का गन्ना लें और तब नैपाल राज्य का खरीदें?

श्री रऊफ जाफरी—मैं कई दफे कह चुका कि हर किस्म की कार्यवाही जो इस सिलसिले में आवश्यक होगी करेंगे। अब सरकार क्या करेगी, इसके लिये बेहतर हो कि प्रेस न किया जाय क्योंकि वह शायद किसानों के लिये बेहतर न हो अगर यहां पर सब बातें कह दी जायं।

श्री राजनारायण—क्या सरकार स्पष्ट करेगी कि इस मिल के मालिकान कौन हैं?

श्री अध्यक्ष—अगर मालूम हो तो बता दें।

श्री रऊफ जाफरी—वह तो लिमिटेड कम्पनी होती है। मुझे मालूम नहीं है। उसकी नोटिस दी जाय।

श्री राजनारायण—श्री जयपुरिया हैं।

श्री भगवतीसिंह विशारद (जिला उन्नाव)—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि वे अब कोई ऐसा आदेश निकालने जा रहे हैं कि जिससे नैपाल का गन्ना यहां न आने पावे ?

श्री रऊफ जाफरी—मैंने एक जवाब दे दिया और वह यह है कि इस सिलसिले में जिस बात की जरूरत होगी सब कुछ किया जायगा, लेकिन मैं इस वक्त तफसील में नहीं बतलाना चाहता।

श्री उग्रसेन—क्या माननीय मंत्री जी इस बात की व्यवस्था करेंगे कि इस बात को जानते हुये कि किसानों का १४ मार्च को एक विराट् प्रदर्शन हुआ जिसमें यह निश्चय हुआ है कि यदि उनका गन्ना नहीं लिया जायगा तो वे हड़ताल करेंगे, और ११ लाख मन गन्ना किसानों का सूख रहा है इसलिये वे अविलम्ब जयपुरिया और खेतान जो मिल के मालिकान हैं उनके खिलाफ मुकदमा चलायेंगे ?

श्री अध्यक्ष—यह तो उन्होंने बता दिया कि वह सब कुछ करेंगे।

श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती)—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि इस गन्ने के न लेने के कारण जो किसानों का नुक्सान होगा उसकी क्षतिपूर्ति करने के प्रश्न पर विचार किया जायगा ?

श्री अध्यक्ष—सरकार क्षतिपूर्ति करे या मिल मालिकों से कराये ?

श्री सीताराम शुक्ल—खुद करेगी या मिल मालिकों से कराने पर विचार करेगी ?

श्री रऊफ जाफरी—जैसा कहा गया है कि अगर उन्होंने ऐसा गन्ना लेने से इन्कार किया जिसको बैन नहीं किया जा रहा है तो उसके लिये कहा जा चुका है कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से हम कह रहे हैं कि उनका प्राजीक्यूशन किया जाय और जो बैण्ड है उसके सिलसिले में हम उनको मजबूर नहीं कर सकते, लेकिन उसके सिलसिले में भी क्या किया जा सकता है उसको दिखलवा रहे हैं और जो आवश्यक कार्यवाही की जा सकती है वह करेंगे। जो कुछ मुमकिन है वह सब किया जायगा।

नीति सम्बन्धी निर्णयों के सदन में आने से पूर्व प्रकाशन के सम्बन्ध में व्यवस्था

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)—श्रीमन्, आइटम ९ "मंत्रियों द्वारा विविध वक्तव्य" का है। इस संबंध में मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं कि क्या कोई भी मंत्री जब तक कि इस हाउस द्वारा बजट पास न हो, उसके बारे में कोई वक्तव्य दे सकता है ? मैं इस संबंध में एक उदाहरण देना चाहता हूं कि कल एक सभा में माननीय मुख्य मंत्री ने कहा कि प्राइमरी स्कूल के मास्टरों की तनख्वाह बढ़ायी जा रही है, यह इन्तजाम कर दिया गया है। जब बजट अभी हमारे सामने नहीं आया तो ऐसी दशा में क्या इससे बजट का लीकेज नहीं हुआ ? इस संबंध में आप निर्णय कर दें ? ताकि भविष्य में मंत्री लोग सोच समझ कर वक्तव्य दिया करें।

श्री अध्यक्ष—मैंने इस बारे में कई दफा कहा है कि पहले सूचना प्राप्त करने का अधिकार तो सदन को है और माननीय मंत्री हमेशा के लिये अपना यह निर्णय कर लें कि जब सदन बैठा हुआ हो तो उस वक्त पहले सदन को ही इस प्रकार की सूचना देना ज्यादा अच्छा हो सकता है। वैसे तो ऐसा मौका आता है कि लोग पूछ बैठते हैं, या कोई सत्याग्रह करने बैठ जाता है या कोई सत्याग्रह करने की धमकी दे कि हम सत्याह करेंगे तो उसक लिये जरूर यह उत्तर

हो सकता था कि अगले बजट के वक्त में हम इस पर विचार करेंगे बजाय इसके कि यह कहना कि हमने बजट में प्रावीजन कर दिया है। मैं समझता हूं कि यह लीकेज इस किस्म का है जिसका बहुत ज्यादा असर सरकार के टैक्सेशन के सिलसिले में तो पड़ता नहीं है लेकिन यह एक स्वस्थ परम्परा का प्रश्न है और उस स्वस्थ परम्परा के हिसाब से ऐसी चीज नहीं कहनी चाहिये बल्कि यह कहते कि अगले बजट के वक्त हम उस पर सहानुभूति पूर्ण विचार करेंगे जिसमें प्रश्नकर्त्ताओं का भी दिल न टूटे, जिसको बचाने के लिये ऐसी बात उत्तर में कहनी पड़ती है। मैं समझता हूं कि उसके लिये राजनीतिक उत्तर देना ज्यादा अच्छा होता है कि हम हमदर्दी के साथ विचार कर रहे हैं या बहुत हमदर्दी के साथ विचार करेंगे।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)—श्रीमन्, इस तरह की बात का लीकेज अगर किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा हुआ होता तो उसकी नौकरी तक चली जाती और मुकदमा भी चलाया जाता।

श्री अध्यक्ष—इस तरह के केस तो होते हैं, लेकिन उस सभी पर मुकदमा नहीं चलता बल्कि विभागीय कार्यवाही होती है।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट—अगर किसी सरकारी अधिकारी द्वारा यही लीकेज की बात हुई होती तो जैसा कि सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रोसिक्यूशन हो रहा है, यहां भी हो जाता।

श्री अध्यक्ष—इस प्रकार की बातें तो कितनी दफा हुई हैं, लेकिन मैंने कभी कोई मुकदमा होते हुए नहीं सुना है।

माध्यमिक शिक्षा आयोग के भंग किये जाने के सम्बन्ध में वक्तव्य की मांग

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—श्रीमन्, नियम ५२ के अन्तर्गत माध्यमिक शिक्षा आयोग के भंग किये जाने के संबंध में मैंने एक प्रश्न की सूचना दी थी। वह स्वीकार तो नहीं हुआ किन्तु उसको बाद में दफा ५३ में परिवर्तित कर देने पर माननीय मुख्य मंत्री जी इस बात के लिये राजी हो गये थे कि वे उस पर वक्तव्य देंगे और उस पर इस सदन में विचार भी किया जायगा। तो मैं जानना चाहता हूं कि उस सम्बन्ध में समय का निर्धारण कोई हो सका है अथवा नहीं।

श्री अध्यक्ष—बात यह है कि बाद में ही समय मिल सकता है लेकिन बजट के बाद ले जाने में बहुत देर हो जाती है। कई बिलों के बारे में सोचा गया है कि हम शाम को बैठेंगे बजट के वक्त में। तो इसमें ऐसा हो सकता है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से बात कर लूंगा लेकिन यह २३ तारीख के बाद ही होगा, इसके पहले नहीं होगा।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)—श्रीमन्, मैं भी आपकी तरफ बहुत देर से दृष्टि लगाये हुये था इसलिये कृपा करके मेरी बात भी सुन लें जो मुझे प्रश्नों के संबंध में कहनी है। श्रीमन्, आज के लिये ८८ प्रश्न थे जिनमें से बड़ी मेहनत और परिश्रम के बाद भी आप २० प्रश्न ही ले सके। इस बीच में स्त्रीलिंग, पुलिंग पर विवाद उठ गया और उसका फैसला होने लगा जिससे अधिक समय उसी में निकल गया। तो मेरा सुझाव यह है कि यह स्त्रीलिंग, पुलिंग का जब झगड़ा पैदा हो, उसका फैसला इस सदन में होने के बजाय, आप अपने कमरे मे ही दिया करें तो बड़ा अच्छा हो।

श्री अध्यक्ष—आप अब डिप्टी लीडर से भी कहें, उन्होंने ही तो पहले उसे पेश किया था, मैं क्या करूं?

*उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय विधेयक, १९६१ (क्रमागत)**

श्री अध्यक्ष—अब उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय विधेयक पर विवाद जारी होगा। कल श्री गोविन्द सिंह जी विष्ट भाषण दे रहे थे।

†***श्री गोविन्दसिंह विष्ट** (जिला अल्मोड़ा)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कल कह रहा था कि वाइस चांसलर का इस तरह से चुनाव न होकर सीनियर प्रोफेसर्स को बारी-बारी से, रोटेशन से मौका दिया जाय, ५ साल के लिये एक को और फिर दूसरे को अवसर दिया जाय। इस तरह से मंत्री जी चाहें तो यह समस्या हल हो सकती है। इस के अलावा एक दूसरा तरीका यह भी है कि जिस प्रदेश का विश्वविद्यालय हो उसकी ही कमेटी न हो बल्कि सारे भारत के विश्वविद्यालयों से संबंधित कमेटी हो, वह निष्पक्ष रूप से विचार कर सकती है और ज्यादा अच्छे आदमी भी उसके लिये मिल सकते हैं। इसके अलावा चुनाव के लिये पूरे रूल्स में न बांधें और इतनी छूट दे दें कि वह इस तरह से छांटें कि अगर किसी ने कोई रिसर्च की है, कोई नवीन बात की है या कोई विशेष दक्षता है, इस तरह के कामों का भी समन्वय होना चाहिये उसकी केवल ज्येष्ठता ही न हो, कुछ थोड़ी सी उस में प्रशासन की भी दक्षता हो। चाहे कोई पूरा दक्ष प्रशासक न हो, लेकिन थोड़ा सा सामंजस्य हर चीज का उसमें होना चाहिये।

इसके अलावा हमें इसको इस दृष्टि से भी देखना चाहिये कि क्या इस संशोधन के लाने से विश्वविद्यालयों के जो तमाम झगड़े हैं वह सब दूर हो जायंगे। आप देखें कि यही लखनऊ विश्वविद्यालय माननीय नरेंद्रदेव जी के जमाने में कितनी अच्छी तरह से चलता था, वहां डाक्टर सम्पूर्णानन्द जैसे विद्वान को जब डिग्री दी गई तो वह भी डरते डरते गये। उस वक्त यूनिवर्सिटी की कितनी ऊंची प्रतिष्ठा थी। अभी जो पहले झगड़े हुये वह वाइसचांसलर को लेकर नहीं हुये हैं। पिछले सालों में क्या क्या हुआ? गयंदर मारा गया, इतना ही नहीं और भी खराबी हुई, उन बातों का मैं जिक्र नहीं करूंगा, खाली इशारे के लिये याद दिलाये देता हूं कि उस समय कैसे कैसे नारे लखनऊ की गलियों में लगाये गये और क्या क्या बातें हुईं। केवल थोड़े से इस रद्दोबदल से कोई रामवाण औषधि इसकी न होगी। इसके कितने ही पहलू हैं, अगर सरकार चाहती है कि एक वाइसचांसलर के मामले को ही ठीक करने से सब चीज का इलाज हो जायगा तो वह बात नहीं है और यह गलत होगा।

हमें अनुशासन के मामले को भी देखना होगा। जब तक विद्यार्थियों का अनुशासन ठीक न होगा तबतक यूनिवर्सिटी का एकेडेमिक कैरियर ठीक नहीं हो सकता। पहले इलाहाबाद में एक एकेडेमिक वातावरण रहता था, वहां गंगानाथ झा और डाक्टर अमर नाथ झा जैसे विद्वान लोग थे, उनके विद्यार्थी आज भी अपर हाउस में कई सदस्य हैं। वह जब किसी विषय पर बोलने वाले होते थे तो जो उस विषय के विद्यार्थी नहीं भी होते थे वह भी सुनने के लिये जाने की इच्छा करते थे। नेपोलियन पर जब डा० ईश्वरी प्रसाद बोलने वाले होते थे तो तमाम लड़के उनको सुनने के लिये जाते थे इस तरह का एक एकेडेमिक वातावरण उस समय का था, लेकिन आज जब हम वहां जाते हैं तो सिवा खुराफात के और कुछ दिखाई नहीं देता। पहले म्योर होस्टल और बनरजी होस्टल में लड़के दत्तचित्त होकर ध्यान लगाकर स्टडी करते थे वहां अब तो केवल लड़कों को बारनेट होटल में जाने की ज्यादा फिक्र रहती है। इस तरह से विद्यार्थियों के आचरण का पतन होता है।

---

* ९ मार्च, १९६१ की कार्यवाही में छपा है।

** वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

† १५ मार्च, १९६१ की कार्यवाही से।

इस सम्बन्ध में मैं यह भी निवेदन कर दूं कि यूनियनों के निर्वाचन की पद्धति में भी परिवर्तन की आवश्यकता है। हम जानते हैं कि चुनावों के समय क्या हालत होती है और कैसी कैसी गंदी बातें वहां होती हैं और आपने देखा होगा शुरुआत झगड़े की यूनियन के चुनाव से होती है क्योंकि जब प्रेसीडेंट चुनना होता है तो उसको अपने को हीरो डिक्लेयर करवाने की जरूरत पड़ती है जिसके लिये प्रदर्शन, पर्चेबाजी, भूख हड़ताल और न जाने क्या-क्या खुराफात होती है। यूनियन रहे, मैं इसको नहीं हटाना चाहता, लड़कों के बीच में स्वशासन रहे, अपने मामलों के पूरे मास्टर हों, लेकिन चुनाव से लड़कों को न छांटा जाय कि कौन ज्यादा वोट ले सकता है। वोट कैंचिंग के लिये नाना प्रकार की बातें की जाती हैं। चुनाव के लिये कितने खर्चे बढ़ गये हैं। कारें चलती हैं, पोस्टर्स चलते हैं, रेस्ट्रांज के बिल अगर देखें तो गिरवीं रख कर और उधार ले कर हजारों रुपये खर्च कर किये जाते हैं। यह गलत परम्परा है। इसमें तरमीम की जाय, चुनाव न हो बल्कि मेरी राय है कि जो लड़के गत वर्ष में प्रथम आये हों उन्हीं में से प्रेसीडेंट, वाइस प्रेसीडेन्ट और सेक्रेटरी बनाये जायें, अगर कोई इन आफिसेज को लेने को तैयार न हो तो उससे नीची पोजीशन जिस लड़के की है उसको आफर किया जाय। अतः चुनाव न करा कर एकेडेमिक क्वालीफिकेशन के आधार पर पदाधिकारी यूनियन के बनाये जायं और जिस प्रकार श्री राज्यपाल बहुमत दल के नेता को मिनिस्ट्री बनाने के लिये इनवाइट करते हैं उसी तरह उप-कुलपति भी अच्छे पढ़ने वाले लड़कों को ही यूनियन बनाने के लिये इनवाइट करें। इससे एक तो चुनाव की खराब हवा दूर होगी और दूसरी ओर लड़कों में अच्छी पोजीशन लाने की कम्पटीटिव स्प्रिट आयेगी। यह परम्परा कितनी स्वस्थ होगी !

यूनिवर्सिटी के बीच में, जो कनफ्यूजन हमारे ट्रांजीशन पीरियड का बाहर समाज में चल रहा है, वही खिचड़ी विश्वविद्यालय में भी चल रही है। पुराने जीवन के मूल्य हमने भुला दिये, नये हमने ग्रहण नहीं किये। तो हम क्या हो गये ? दोनों चीजों का मिक्सचर। अगर पूर्व के दूध में पश्चिम की करी मिला दें तो उसका रंग, स्वाद सभी भद्दा हो जायगा। आज हम देखते हैं, चूंकि सेक्यूलर स्टेट है, मान्यता एक चीज होती है, मान्यताओं के आधार पर ही दुनिया के काम चलते हैं, प्रयाग राज का मेला होता है सरकार की तरफ से कहा भी जाता है कि लोग ज्यादा न आयें, हैजे का टीका लगवायें, फिर भी लाखों आदमी मेले में पहुंचते हैं, इतने जितने कि यू०एस०ए० और जर्मनी में भी लोग सरकार द्वारा करोड़ों रुपया खर्च करने पर नहीं पहुंचते। तो एक दूसरे के प्रति प्रेम हो, अगर मैं हिन्दू हूं तो मुसलमान की जो अच्छाइयां हैं वह भी हम जानें, खराबियां तो हम पढ़ लेते हैं, लेकिन अच्छाइयां भी तो मालूम हों तो जब तक यह मूल सांस्कृतिक विकास नहीं होगा, कुछ मान्यतायें नहीं आयेंगी तब तक काम नहीं चलेगा। और यह सैक्यूलेरिज्म में नहीं हो सकता यह मैं साफ कह देना चाहता हूं।

इसके अलावा जब तक को-ऐजूकेशन यूनिवर्सिटी से नहीं हटेगी तब तक वहां का वातावरण शुद्ध नहीं हो सकता। सबसे ज्यादा झगड़े की जड़ यही है। आग और घी को साथ रखियेगा तो क्या नतीजा होगा ? क्या पढ़ने में जी लगेगा ? जानबूझकर इसको नहीं रोका जाता है। बाहर एक झूठा वातावरण बनाना चाहते हैं, सांस्कृतिक उत्थान करना चाहते हैं। आज कल सांस्कृतिक उत्थान के नाम पर क्या हो रहा है ? मुझे दुख होता है। एक उदाहरण देहात का बतलाऊं। हमारे देहात से २६ जनवरी को झांकियों तथा नाच के लिये लोग जाते हैं। उसमें मैंने देखा कि गांव में पहले सेलेक्शन होता है कि कौन उसके लिये फिट होता है। टांग ठीक है या नहीं, चेहरा ठीक है या नहीं। ट्रेनिंग एक जगह होती है। फिर जिला स्तर पर ट्रेनिंग होती है। फिर लखनऊ आकर ट्रेनिंग होती है और अन्त में दिल्ली में ट्रेनिंग होती है। एक तरह से यह सांस्कृतिक उत्थान भ्रष्टाचार की जड़ है। इसकी जड़ें बहुत गहरी फैल गयी हैं, उनकी हमें रेमेडी करनी होगी। हर चीज पर सोचना पड़ेगा।

इसके अलावा एक चीज हमें इन विश्वविद्यालयों में और देखनी होगी। पुराने विश्वविद्यालयों में, नालन्दा वगैरह में गुरु और चेले साथ रहते थे, दैनिक जीवन में साथ रहते थे। लेकिन अब यह सब बातें लोप हो गयीं। बात यह है कि इतने बड़े क्लासेज हो गये हैं कि उनका

[श्री गोविन्दसिंह विष्ट]

सम्पर्क होता ही नहीं। मास्टर साहब को पता ही नहीं कि कौन उनके दर्जे में बैठता है। प्राक्सी इतनी होती है कि ए टु जेड तक एक लड़का प्राक्सी बोल गया, मास्टर साहब को पता नहीं। लड़के सब बैठे हुये हैं। प्राक्सी एक ने बोली लेकिन इतना ज्ञान नहीं कि कौन है, कौन नहीं, किस दिशा में लड़के प्रगति कर रहे हैं। इसलिये कम से कम लड़के हों और गुरू से अधिक से अधिक सम्पर्क हो। हेरो, ईटन तथा कैम्ब्रिज में मैंने सुना है ज्यादा से ज्यादा सम्पर्क बढ़ाया जाता है। इसका असर यह हुआ—"The Battle of Waterloo was more on the fields of Eton". इसके परिणामस्वरूप ही ऊंचे नेता हो सकते हैं, ऊंचा प्रशासन हो सकेगा, ऊंचे डाक्टर हो सकेंगे, ईमानदार इंजीनियर हो सकेंगे। सभी देश आगे बढ़ सकेगा। इसलिये वाइस चांसलर की नियुक्ति में बहुत सी चीजें जरूरी हैं। लेकिन यह होता नहीं है। इसे सेलेक्ट कमेटी में भेजा जाय और आशा है माननीय मंत्री जी इसे अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं बनायेंगे।

श्री मदनमोहन (जिला फैजाबाद)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक पर मूलतः यह आलोचना की गयी है कि विशेष राजनीतिक गुट अपना आधिपत्य विश्वविद्यालयों पर स्थापित करना चाहता है और उस भावना से प्रेरित हो कर इस विधेयक को इस माननीय सदन के समक्ष उपस्थित किया है। अगर वास्तविक तथा सही रूप से उनके हृदय में यह शंका है और इस शंका को वह किन्हीं तथ्यों के आधार पर साबित कर सकें तो मैं अवश्य उनसे सहमत हूंगा कि यह विधेयक वास्तव में विश्वविद्यालयों की उन्नति की दृष्टि से नहीं लाया गया। यह निर्विवाद है, श्रीमन्, कि विश्वविद्यालय समस्त राजनीतिक प्रभावों से विमुक्त रहें। प्रश्न यह है, क्या वस्तुतः पालिटीशियन दुर्भावना से उसमें हस्तक्षेप करना चाहता है या विश्वविद्यालयों की वर्तमान स्थिति ही ऐसी हो गयी है कि हमारे लिये हस्तक्षेप करना अनिवार्य हो गया है। मेरा मत ऐसा है जैसा कि एक अंग्रेजी लेखक ने लिखा है—"A politician will not thrust his hand in a hornet's nest". एक राजनीतिज्ञ मधुमक्खी के छत्ते में अपना हाथ सहसा नही डालता है। या तो मधुमक्खी वहां नहीं हैं जो डस लेंगी या वे मक्खियां अपने प्राकृतिक और स्वाभाविक गुणों से विहीन हो गयी हैं। इस समय जो हमारी यूनिवर्सिटीज की स्थिति है उसको मैं अपने शब्दों में कहने के स्थान पर एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के शब्दों में इस आदरणीय सदन के समक्ष रखना चाहता हूं। श्रीमन्, लिखते हैं ...

श्री अध्यक्ष—यह भी बता दीजिये कौन लिखते हैं।

श्री मदनमोहन—वह मैं बता रहा हूं। मूथम इन्क्वायरी रिपोर्ट में पृष्ठ १४५ पर अनुच्छेद ६ में श्री आशाराम, प्रोफेसर यूनिवर्सिटी। हमारे गौरीशंकर रायजी बहुत परेशान थे कि मूथम प्रोफेसर नहीं थे—उन्होंने उद्धरण दिया है एक प्रोफेसर साहब के आर्टिकिल से जो २१ जनवरी, १९५३ को "लीडर" में छपा था —

"Enemies of autonomy can point to its misuse the financial bungling, the bad appointments, the fall in standards, the lack of discipline, the growth of teacher politician class and the control of the University by caucuses and rings and bosses, the misuse of power to perpetuate a set of persons in positions, etc."

We have to find a satisfactory reply to all these charges and to evolve our own solutions to these difficulties. So long as we fail to do that we cannot convince the public and the rank and file teacher of the necessity of autonomy and democracy in our educational system."

श्री आशाराम लिखते हैं कि यह सत्य है कि जो विश्वविद्यालयों की स्वतंत्रता के विरोधी हैं वे उन बातों पर हमारा ध्यान आकर्षित करेंगे कौन-कौन सी बातें फिनैन्शल बंगलिंग—आर्थिक अव्यवस्था, बैड एप्वाइंटमेंटस—नियुक्तियां जो अनुचित हों, फाल इन स्टैंडर्डस-स्तरों का पतन

लैक आफ डिसिप्लिन—अनुशासनहीनता, दि ग्रोथ आफ ए टीचर पोलिटिशियन—अध्यापक जो पालिटिक्स में भाग लेता है, मिसयूज आफ पावर—अपने अधिकारों कोअनुचित रूप से बरतना और उसके साथ-साथ किसी विशेष व्यक्ति और एक विशेष गुट को प्रभावकारी रूप में रखना। वे कहते यह हैं कि जब तक हम यूनिवर्सिटी के अध्यापक और यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स इन तमाम आक्षेपों का संतोषजनक उत्तर न दे सकेंगे तब तक यह असम्भव है कि हम संसार के सामने यूनिवर्सिटी की आटोनोमी संरक्षित रखने के सम्बन्ध में कोई संतोषजनक विचारधारा रख सकें।

श्रीमन्, यही नहीं, राधाकृष्णन् कमीशन ने अपनी रिपोर्ट १९५० में दी थी। उन्होंने पृष्ठ ४०७ पर लिखा है कि—

"There are universities in India to-day, whose administration is unsatisfactory. Even in purely academic matters such as the appointment of examiners and the awarding of degrees, their procedures and standards are suspect. The existence of such a state of things is immeasurably damaging to our national prestige."

(इस समय १२ बजकर ४४ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री वीरसेन, पीठासीन हुये।)

श्रीमन्, इस राधाकृष्णन् कमेटी में हमारे भारतवर्ष के उच्चतम विशेषज्ञ सदस्य थे। इसमें वाइस चांसलर्स थे और अन्य शिक्षा क्षेत्रों के विशेषज्ञ इसके सदस्य थे। मैं कुछ नाम आदरणीय सदन के समक्ष पढ़ता हूं :— डाक्टर एस० राधाकृष्णन्, चेयरमैन थे।

Dr. Tara Chand, Secretary and Advisor to Government of India, Dr. Sir James F. Duff, Vice-Chancellor, University of Durham, Dr. Arthur E. Morgan, Former President, Antioch College, First Chairman, Tennessee Valley Authority, President, Community Services Inc, Dr. A. L. Mudaliar, Vice-Chancellor, University of Madras.

और भी अन्य व्यक्ति थे और इन सबका एक मत था कि विश्वविद्यालयों की वर्तमान स्थिति इतनी शोचनीय है कि हमारे लिये एक लज्जा का कारण बन गई है।

इसके अतिरिक्त श्रीमन्, श्री मूथम ने अपनी रिपोर्ट के पृष्ठ ३७ पर लिखा है कि—

"There is not a great deal of contact between teacher and student. Many students have feeling that the University, if not indifferent, is not very noticeably interested in their general welfare. The teacher as a body, there are noteworthy individual exceptions, have largely lost the respect in which they were formerly held, and a student cannot but be aware that the university itself has from time to time acted in a manner which at least suggests that it puts the interests of individuals before those of the university."

कहते हैं कि इस बात के अतिरिक्त कि अध्यापकों और छात्र वर्ग का सम्पर्क छूट गया है, छात्रों के हृदय में यह भावना बैठ गई है कि इस समय यूनिवर्सिटीज विशेष व्यक्तियों के लाभ में संलग्न हैं और छात्रों के हित की उपेक्षा कर रही हैं। यह स्थिति हमारे विश्वविद्यालयों की पिछले दस वर्षों से रही है। अगर हम उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों और विशेषकर लखनऊ और इलाहाबाद विश्वविद्यालयों के इतिहास को देखें तो पिछले दस वर्षों में अनुशासनहीनता चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। वहां के जितने भी कार्य हैं उनके सम्बन्ध में जनसमुदाय की ओर से एक संतोष प्रगट हो चुका है और कुछ कार्य ऐसे हुये हैं जिनके सम्बन्ध में इस सदन के अन्दर भी बहुत से प्रश्न उठाये गये और इस बात का संकेत किया गया कि हमारे विश्वविद्यालय जो कार्य कर रहे हैं वह संतोषजनक नहीं है। यह श्रीमन्, स्थिति हमारे इस प्रदेश में रही है। प्रश्न हमारे सामने यह उठता है कि प्रत्येक व्यक्ति इस बात का अनुभव कर रहा है या नहीं कि कोई ऐसी व्याधि, कोई ऐसा रोग हमारे विश्वविद्यालयों को लग

[श्री मदनमोहन]

गया है कि जिसका निदान और जिसकी चिकित्सा करना अनिवार्य है । अब मैं इस आदरणीय सदन के समक्ष यह प्रश्न उपस्थित करना चाहता हूं कि क्या वर्तमान स्थिति में यह उचित है कि यह व्याधि बढ़ते-बढ़ते असाध्य हो जाय और तब इसके सम्बन्ध में इसकी चिकित्सा की जाय या हमें आवश्यकता इस बात की है कि जितनी जल्दी हो सके हम इसका निराकरण करें ।

एक बात और मैं निवेदन कर दूं और वह यह है कि हमें इस प्रकार के संकेत इस सदन म और इस सदन के बाहर मिले कि दो विश्वविद्यालयों में तो अवश्य ही इस चालू वर्ष में भी कुछ आन्दोलन प्रारम्भ किये जायेंगे और वह आन्दोलन सम्भव है कि उग्र रूप धारण कर लें । इन संकेतों के होते हुये, यह जानते हुये कि विश्वविद्यालय के आन्दोलन कितने विकराल रूप कभी-कभी धारण कर लेते हैं, कौन ऐसा व्यक्ति है जो बुद्धि रखते हुये यह कहेगा कि अभी हमें कोई चिकित्सा करने की आवश्यकता नहीं है, कोई इलाज करने की आवश्यकता नहीं है, चलने दो, जब समय आयेगा तब देखा जायगा ? कुछ आदरणीय सदस्यों का यह मत रहा कि एक कमीशन बैठा हुआ है । कमीशन की रिपोर्ट आ जाय उसके अनन्तर हम इस पर विचार करें । श्रीमन्, मेरा निवेदन यह है कि अगर हमारे सामने एक परिस्थिति ऐसी विद्यमान है कि जिस परिस्थिति का इलाज करना, जिसका निराकरण करना हमारा अविलम्बनीय कर्त्तव्य इस समय है तो फिर मेरी समझ में बात नहीं आती कि इस परिस्थिति को हम क्यों चलने दें और कमीशन की रिपोर्ट का इंतजार करें । यह निर्विवाद है श्रीमन्, कि कमीशन की रिपोर्ट फौरन कार्यान्वित नहीं होगी, उसके आने पर वह सरकार के सामने रखी जाय, सरकार उस पर विचार करेगी और निश्चय करेगी कि कमीशन के प्रतिवेदन में कौन-कौन सी बातें ग्राह्य हैं और फिर उनको कार्यान्वित करेगी तो उसमें समय लगता है । अतः मेरा ऐसा विचार है कि वर्तमान स्थिति में यह अनिवार्य था कि हम ऐसा विधेयक इस सदन के समक्ष लायें और ऐसा कानून बनायें कि जिसके द्वारा वर्तमान स्थिति जो व्यग्र है उसका निराकरण हो सके और भविष्य के लिये कोई ऐसी योजना रखें कि जिससे भविष्य में ऐसी बातें न पैदा हों । तो इस विचार से यह विधेयक इस आदरणीय सदन के समक्ष रखा गया और जो बार-बार एक संकेत इस ओर किया जाता है कि इस विधायक द्वारा गुटबाजी हो रही है, या कोई विशेष राजनैतिक समुदाय अपना आधिपत्य विश्वविद्यालय पर स्थापित करने में लगा है, यह निराधार हैं ।

एक बात विशेष जो इस विधेयक में ध्यान रखती है वह यह है कि अगर हम किसी विशेष विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में डिस्क्रिमिनेशन करते, अन्तर करते कि इस विश्वविद्यालय में यह कानून लागू होगा और दूसरे में नहीं होगा तो डिस्क्रिमिनेशन के आधार पर यह सम्भव था कि यह आक्षेप किया जाता । लेकिन जहां पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है । हम सभी विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में यह विधेयक इस आदरणीय सदन के समक्ष रखते हैं । तो कोई कारण नहीं मालूम होता कि हम अपने हृदय में इस बात की आशंका रखें कि हम किसी विशेष विश्वविद्यालय, लखनऊ, यूनिवर्सिटी या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी या आगरा यूनिवर्सिटी के कार्यों में अपना हस्तक्षेप करना चाहते हैं । तो अगर बिना शंका डाले हुये, बिला अपने हृदय में संदेह को स्थान दिये हुये अगर हम इस विधेयक का परीक्षण करें तो श्रीमन्, मेरा निवेदन यह है कि कोई इसमें ऐसी बात नहीं जिसके सम्बन्ध में आपत्ति उपस्थित की जाय ।

यह कहा गया कि आटोनामी पर हस्तक्षेप होता है । विश्वविद्यालय की स्वतन्त्रता, उसको कार्य करने की जो स्वतन्त्रता उपलब्ध है उसमें हस्तक्षेप होगा । श्रीमन्, इस सम्बन्ध में बजाय इसके कि मैं अपने शब्दों में आपके सामने कुछ कहूं, मैं इस आदरणीय सदन का ध्यान आकर्षित करूंगा मूथम रिपोर्ट के पृष्ठ १४४ अनुच्छेद २, ३, ४ जो बहुत स्पष्ट है । विश्वविद्यालय का अटानामी की क्या सीमायें हैं उनका इनमें वर्णन हैं । हमें यह याद रखना चाहिये कि यह उन लोगों की रिपोर्ट है जो विशेष रुप से विधान और कानून के विशेषज्ञ थे और उन्होंने जो विश्लेषण किया है कि युनिवर्सिटी की आटोनामी किस सीमा तक जा सकती है

और कहा उसकी सीमा समाप्त हो जाती है, उन विचारों को आदर और सम्मान के साथ हमें स्वीकार करने चाहिये । वे कहते हैं कि :—

"No social institution can be a law unto itself, any more than an individual can be a law unto himself".

कोई भी समाज, कोई भी संस्था अपना कानून स्वयं बनाकर अपने विचारों के अनुसार अपने कानून को बनाकर, सामान्य कानून न माने ।

"No State could permit a university to cut off the heads of those of its students who fail to pass an examination".

अगर युनिवर्सिटी यह अधिकार मांगे कि हम अपना कानून बनाने के लिये स्वतन्त्र हैं, अपना कार्य संचालन करने में स्वतन्त्र हैं तो सम्भव हो सकता है कि कल वह यह कानून बना ले कि जो छात्र हमारे विश्वविद्यालय में असफल रहेगा उसका सर उड़ा दिया जायगा । ऐसा कानून कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी सरकार स्वीकार नहीं कर सकती ।

"A University obviously must function within the ambit of the laws of the State, which include its own character, the important question is as to the content of such laws. Universities in the India of to-day are institutions of national importance and the State cannot be wholly disinterested in their affairs. The position at Cambridge in the 18th century when a professor of mathematics could neglect his duties for 38 years would not now be tolerated by the Government of any civilized country".

चाहे कानून कुछ भी हो लेकिन यूनिवर्सिटी उस कानून की पाबन्द होगी । आज भारतवर्ष में विश्वविद्यालय एक राष्ट्रीय महत्व रखते हैं और इस राष्ट्रीय महत्व को देखते हुये यह असम्भव है कि कोई भी गवर्नमेंट उनकी गड़बड़ी से अपने आपको अलग रखे । किसी भी देश की सरकार आज यह बरदाश्त नहीं कर सकती जैसे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, १८वीं शताब्दि में, बरदाश्त किया गया कि ३८ वर्ष तक एक गणित के प्रोफेसर ने अपने कार्य की अवहेलना की, उपेक्षा की ।

"The argument that a university should be completely autonomous implies that it possesses a monopoly of wisdom, a claim which not even its most fervent supporters, would, we think, venture to make".

यह कहना कि हम पूर्णतया स्वतंत्र हैं, किसी सीमा से बंधे नहीं है, यह एक ऐसी मांग होगी जो कि कोई भी व्यक्ति स्वीकार करने के लिये तैयार नहीं हो सकता । यह नहीं कहा जा सकता कि युनिवर्सिटी के सदस्य, उसके प्रोफेसर्स और अधिकारीगण संपूर्ण बुद्धि और ज्ञान के केन्द्र हैं । आगे वह कहते हैं कि किन-किन क्षेत्रों में वे स्वतंत्र हैं । जहां तक शिक्षा का क्षेत्र है उसमें यूनिवर्सिटी पूरी तरह से स्वतंत्र है और ठीक भी है । जहांतक मानसिक और बौद्धिक विकास का प्रश्न है, वहां पर यूनिवर्सिटी के अधिकारी, उसके प्रोफेसर्स स्वतंत्र हैं कैरीकुलम बनाने में, वह वातावरण पैदा करने में, जो विकास के लिये हो सके । आगे वह कहते हैं :

"The correctness of the second assumption is more doubtful. Broadly speaking, it is true that the expert is the best person to do a particular piece of work; but is not equally true that the expert is the best person to decide what particular piece of work should be done".

माना कि कोई विशेषज्ञ अपने कार्य में निपुण है और उसकी निपुणता के संबंध में कोई शंका नहीं हो सकती, लेकिन उसके अतिरिक्त बहुत सी बातों का निर्णय यूनिवर्सिटीज की अथारिटीज नहीं कर सकतीं । उन बातों के निर्णय करने का अधिकार हमारा है, सरकार का है, इस आदरणीय सदन का अधिकार है कि कौन-सा कार्य आवश्यक है और कौन-सी चीज यूनिवर्सिटी में पढ़ायी जाय और कौन नहीं । आगे वह कहते हैं :

"The claim that associations in a free country have an inherent right to conduct their own affairs in their own way carries with it the implication that reform must come from within".

[श्री मदनमोहन]

उनका कहना है, कि विश्वविद्यालय की उन्नति करने के साधन विश्वविद्यालय पर छोड़ दिया जाय इस वास्ते कि वहां के प्रोफेसर्स, वहां के अधिकारी अपने विकास का अच्छा रास्ता निकाल सकते हैं। किन्तु आगे वह कहते हैं। और यह विचार हमारे सामने गौरीशंकर राय जी ने भी रखा :

"That undoubtedly is the best way for it to be accomplished".

यूनिवर्सिटीज को निः संकोच यह अधिकार दिया जाय कि वे अपना विकास, अपनी उन्नति स्वयं करें किन्तु क्या वस्तुतः ऐसे इंस्टीट्यूशन्स या यूनिवर्सिटियां अपना विकास करती रही हैं। बगैर किसी बाहरी सहायता के ? इस संबंध में मूथम लिखते हैं कि :

"But corporate bodies are notoriously prone not only to lethargy but to a reluctance to undertake the task of self-examination".

ये संस्थायें ऐसी हैं कि जो अपने आपको सुधारने में केवल आलस्य ही नहीं करतीं, किन्तु उनको आत्म निरीक्षण और आत्म परीक्षण के प्रति एक उदासीनता रहती है।

"Lord Melbourne may not have been right when he made his oft-quoted remark 'Universities never reform themselves.' Everyone knows that."

लार्ड मेलबोर्न ने कहा है कि विश्वविद्यालय स्वयं कभी सुधार नहीं कर सकते, यह सब जानते हैं।

"....The pace of internal reform may be so slow as to make some other course imperative in the national life".

किन्तु उनका मत है कि यदि ऐसा हो भी तो सुविकास इतना धीमा होता है, उसकी गति इतनी सुस्त होती है कि आवश्यकता इस बात की है कि बाहर से उसके प्रगति के लिये प्रेरणा दी जाय। इंगलैंड के बारे में भी उन्होंने कहा है—

"Reference is not infrequently made to the high degree of academic freedom possessed by the Universities in Great Britain. What is however sometimes overlooked is (*a*) that the autonomy of the British Universities is not absolute or unconditional and (*b*) that the freedom which such universities now undoubtedly possess has been in part the result of parliamentary legislation following upon the reports of a number of Government Commissions of Enquiry. In the case of Oxford and Cambridge that has happened on no less that three occasions."

तो इंग्लिश यूनिवर्सिटियों के संबंध में उन्होंने कहा कि उनका विकास स्वयं विश्वविद्यालय द्वारा नहीं हुआ बल्कि इस संबंध में वहां की पार्लियामेन्ट को ३ बार विधान बनाना पड़ा। उसी के सहारे वहां की यूनिवर्सिटी ने यह स्थान प्राप्त किया है जो इस समय उन्हें प्राप्त है।

श्रीमन्, यह जो आटोनामी, आटोनामी, आटोनामी का गीत गाया जाता है हम असहमत नहीं है। हम भी विश्वविद्यालयों की स्वतंत्रता का आदर करते हैं। लेकिन जब ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं, जब राष्ट्रीय हित इस बात का तकाजा करता है कि हम वहां की बुराइयों, जो आ गयी हो, उनका निराकरण करने के लिये कोई कानून बनायें, तो मेरा निवेदन है कि आटोनामी के नाम पर जो विचार यहां देख गये हैं वे सर्वथा अग्राह्य नहीं हैं। अपितु असंगत भी है।

इस संबंध में एक बात और निवेदन कर देना चाहता हूं। हम यह देखते हैं कि दोनों तरफ से, विरोधी पक्ष की तरफ से और कांग्रेसी दल की तरफ से, आये दिन यूनिवर्सिटियों के संचालन के संबंध में आलोचनात्मक प्रश्न किये जाते हैं। वहां की जितनी भी गलतियां होती हैं उनके संबंध में वहां सदन में प्रश्न किये जाते हैं। यही नहीं, उन गलतियों का सरकार

से संबंध माना जाता है। तो एक तरफ तो आप विश्वविद्यालय की स्वतंत्रता के हामी हैं जिसमें सरकार के हस्तक्षेप को पसन्द नहीं करते और दूसरी ओर आप आपने प्रश्नों द्वारा, अपने भाषणों द्वारा, सरकार के ऊपर आलोचनायें करते हैं और कहते हैं कि विश्वविद्यालयों का संचालन संतोषजनक नहीं है। एक तरफ तो विश्वविद्यालयों के कुसंचालन के संबंध में सरकार उत्तरदायित्व ले, और दूसरी तरफ आप यह चाहें कि विश्वविद्यालय पूर्ण स्वतंत्र रहें, यह दोनों विचार एक साथ नहीं चल सकते। आटोनामी एक मर्यादित चीज है और उस मर्यादा को हम समझ लें। अगर यह समझ लें कि इस अधिनियम से आटोनोमी की सीमा का अतिक्रमण नहीं हुआ है, तो फिर विधेयक के संबंध में जो आलोचनाएं हुई हैं वह सर्वथा तथ्यहीन होंगी।

एक बात और डेमोक्रेसी के हनन के बारे में कही गयी। यह कहा गया कि डेमोक्रेसी का हनन होगा क्योंकि विधेयक जो प्रस्तुत है, इसके द्वारा वाइसचान्सलर इलेक्टेड नहीं होगा बल्कि वह सेलेक्टेड होगा। इस संबंध में भी श्रीमन्, राधाकृष्णन रिपोर्ट के पृष्ठ ४२१–४२२ पर जो लिखा है उस ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। श्रीमन्, राधाकृष्णन रिपोर्ट लिखती है—

"Originally the Vice-Chancellor of an Indian University was regarded as an honorary post to be filled by a prominent man in his leisure time. If he had academic interests, so much the better ; but sometimes he had not. The Vice-Chancellor coming in from outside and holding office for two or three years could not become intimately acquainted with the details of administration or with the personnel of the University.

"While the Universities were solely or mainly 'affiliating' this conception of the Vice-Chancellor's Office was quite natural, and in fact there was not enough work to justify a full-time appointment. But now the position has changed. There are numerous unitory, teaching universities and most of the 'affiliating' universities have added teaching and research to their functions, in some instances on a very large and complex scale. Elsewhere we have strongly urged that the purely affiliating university is ineffective and obsolete in conception and should be abolished."

तो वाइस चांसलर के कर्त्तव्यों को दृष्टि में रखते हुये हमारे सामने प्रश्न यह आता है कि क्या वह एलेक्टेड हों या सिलेक्टेड हों। हमारा कहना यह है कि किसी भी वाइस चांसलर पद के लिये, जिसके ऊपर उत्तरदायित्व है कि वह विश्वविद्यालयों के कार्य-संचालन के ऊपर अपनी नजर रखे, जिसका कर्त्तव्य यह है कि वह देखे कि विश्वविद्यालय का संचालन विधि के अनुरूप उसके स्टैट्यूट्स और उसके आर्डिनेंस के अनुरूप चल रहा है या नहीं, और जिसके बारे में राधाकृष्णन् की रिपोर्ट कहती है कि, "Vice-Chancellor is its Conscience-keeper"—वह विश्वविद्यालय की आत्मा का संरक्षक है, अगर उसके ऊपर इतना उत्तरदायित्व है, तो हमारे सामने प्रश्न आता है कि क्या यह उचित होगा कि ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर उत्तर-दायित्व एक ऐसी संस्था का हो, जिस संस्था में उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्ति हो, जिसमें इसमें बिला शक प्रोफेसर्स बहुत योग्य और बहुत उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्ति होते हैं। जो अच्छा वेतन पाने वाले होते हैं, साधाणतया जिनकी सामाजिक पोजीशन ऐसी होती है कि उनका आदर और सन्मान सर्वत्र होता है। ऐसी संस्था के वाइस–चांसलर को जो अपने अधिकार से विद्याविद्यालय संस्था के सारे कार्य-संचालन का निरीक्षण और परीक्षण करता है, दरवाजे-दरवाजे दौड़ना पड़े ? क्या ऐसा कार्य उसके लिये सम्मानजनक है ? या वाइस चांसलर ऐसा हो जिसके पास युनिवर्सिटी के अधिकारी जाकर प्रार्थना करें कि वह इस पद को स्वीकार कर ले ?

[श्री मदनमोहन]

इस सम्बन्ध में विचार करते हुये डाक्टर राधाकृष्णन् लिखते हैं पृष्ठ ४२२ पर :

"The change from part-time honorary to full-time paid Vice-Chancellors necessarily affects both the method of their appointment and their tenure of office. Open canvassing and voting for rival candidates may have been tolerable while the post was not much more than a compliment which the University could bestow, though even so it was undignified and led to the formation of factions. But as a means of securing a man of character and reputation for an arduous and highly skilled service it is, to put it bluntly, disastrous folly. So far as we know no other country chooses the heads of its universities by such methods."

यह विचार डाक्टर राधाकृष्णन् के हैं जिनके सम्बन्ध में इस सदन में कौन कहे, सारे संसार में, उनकी योग्यता और दक्षता के बारे में दो रायें नहीं हो सकतीं। उनका मत है कि इस समय वाइस चांसलर केवल ताल्लुकेदार होने के कारण या अपनी किसी विशिष्टता के कारण वाइस चांसलर होने की आशा नहीं कर सकते, अपितु अपनी योग्यता के आधार पर ही उस पद को प्राप्त कर सकते हैं। उस पद पर बड़े उत्तरदायित्व रख दिये गये हैं, और जिस व्यक्ति के ऊपर इतना बड़ा उत्तरदायित्व हो, उस व्यक्ति के गौरव और गरिमा के विरुद्ध है कि वह जाकर कन्वेंसिंग करे और वोट की भिक्षा इधर-उधर मांगे।

(व्यवधान)

मैं जानता हूं कि एक माननीय सदस्य जो इस समय आपत्ति कर रहे हैं, वाइस चांसलरी के कैन्डीडेट थे। यह प्रश्नकर्त्ता का विचार है कि व्यक्ति जब चुनकर कहीं आता है, तो चुना जाना उसकी योग्यता का एक प्रमाण है। श्रीमन्, योग्यतायें विभिन्न प्रकार की होती है...

श्री रामायणराय (जिला देवरिया)—श्रीमन्, माननीय सदस्य को भ्रम है, मैं कभी भी वाइस चांसलर के लिये कैन्टीडेट नहीं था।

श्री मदनमोहन वर्मा—रामायणराय जी को मैं विश्वास दिलाता हूं कि उनपर मेरा आक्षेप नहीं है। आप नहीं थे, जो थे वह खामोश हैं। अगर रामायणराय जी को कुछ बुरा लगा हो तो मैं फिर वापस लेता हूं।

श्रीमन्, मैं निवेदन कर रहा था कि हो सकता है कि जनसमुदाय से सम्पर्क रखना, जनता की बात सुनना, उनके दुख-दर्द के निवारण के उपायों पर विचार करना, यह बातें शायद निर्वाचित व्यक्ति कर सकता है लेकिन अगर यह कहा जाय कि सुप्रीमकोर्ट का जज, हाईकोर्ट का जज निर्वाचन द्वारा नियुक्त किया जाय जिस पद पर व कर्त्तव्यों का कोई सम्बन्ध चुनाव से नहीं हो सकता, मैं समझता हूं चुनाव की बात करना एक विडंबना है, एक तमाशा है।

इस दुनियां में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसने कभी ऐसा मतालबा किया हो कि हाईकोर्ट का जज भी चुन कर आये। वाइल-चांसलर के बारे में राधाकृष्णन् महोदय ने चुनौती दी है—

"So far as we know no other country chooses the heads of its universities by such methods".

"The deplorable effects on a University when the appointment of its chief officer becomes a prolonged intrigue for power have led many of our witnesses to urge that the task of choosing the Vice-Chancellor should be taken out of the universities hands and given to an external body like the Public Service Commissions."

बहुत से गवाह जो इस कमीशन के समय प्रस्तुत किये गये और जो स्वयं आये उनका यह मत था कि वाइस चांसलर का निर्वाचन यूनिवर्सिटी के संचालन में बहुत बुरे प्रभाव डाला करता है। इसमें अधिक अच्छा तो यह होगा कि वाइस चांसलर का निर्वाचन यूनिवर्सिटी के द्वारा न होकर, पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा उसकी नियुक्ति हो। मैं समझता हूं कि राधाकृष्णन् और उनके साथियों में से किसी का इसमें नोट आफ डीसेंट भी नहीं है जिसने इस बात से असहमति प्रकट की हो। यदि इस सबल युक्तियों द्वारा कही गयी बात को कोई माननीय सदस्य गलत कहते हैं, तो मेरा उनसे यही निवेदन है, कि वे इस बात को कहीं से सिद्ध करें कि अन्यत्र चुनाव होता है जो वांछनीय समझा गया है और सफल हुआ हो।

एक बात और है जो मैं इस सदन के समक्ष रखना चाहता हूं वह यह है कि हम यह देखें कि जो योजना हम इस विधेयक के द्वारा करने जा रहे हैं, वह उचित है या अनुचित है। जहां तक मैंने यूनिवर्सिटीज के ऐक्ट्स को देखा है उससे मुझे विदित होता है कि ऐक्जीक्यूटिव में ४–५ आदमी सरकार द्वारा मनोनीत होते है। यह संभव हो सकता है कि ऐक्जीक्यूटिव ऐसे नाम प्रस्तुत कर सकें जो सरकार को पसंद हों, और हो सकता है सरकार की उस इच्छा से ऐक्जीक्यूटिव कमेटी और चान्सलर भी प्रभावित हो जाय।

इस दिक्कत को दूर करने के लिये केवल एक ही तरीका था कि एक्जीक्यूटिव कमेटी के विचारों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक उनका प्रतिनिधि उस कमेटी में रखा जाय, जो ऐक्जीक्यूटिव कमेटी के जो विचार हैं उसके प्रतिनिधि की हैसियत से कमेटी में रख सके। हाई कोर्ट का जज या हाई कोर्ट का चीफ जज का एक मनोनीत जो व्यक्ति कानून जानता हो, जो साधारण तथ्यों की नापतोल कर सकता हो वह उन तथ्यों को जो ऐक्जीक्यूटिव कमेटी द्वारा रखे जायं, उनकी नापतोल करके अपने विचारों को प्रकट कर सकें और एक व्यक्ति को जो चांसलर द्वारा मनोनीत किया जाय। श्रीमन् यह निर्विवाद है कि कम से कम राधाकृष्णन् कमेटी की दृष्टि से, मूथम की रिपोर्ट की दृष्टि से चांसलर ही अपने वाइस चांसलर को अन्ततः नियुक्त करने का अधिकारी है। दूसरे शब्दों में चांसलर संस्तुति में जो भी नाम आवें, उनमें से जिस को चाहें उसको नियुक्त कर सकता है, उसका यह अधिकार है। तो चांसलर का एक प्रतिनिधि ऐसी कमेटी में होना, कि जो सब तथ्यों को समझकर अपनी राय कायम करे, अनिवार्य था। यूनिवर्सिटी का रिप्रेजेंटेटिव आ गया, चांसलर का रिप्रेजेंटेटिव आ गया और उसके साथ-साथ एक ऐसा व्यक्ति आ गया कि जिसके सम्बन्ध में, इस बात का हर्ष है, कि हम कह सकते हैं कि वे बिना किसी पक्षपात के, बिना किसी वाह्य प्रभाव से प्रभावित हुये अपना निर्णय दे सकता है, ऐसे व्यक्ति को हम कमेटी में रख रहे हैं। इन तीन व्यक्तियों की कमेटी ऐसी है जो मेरी धारणा है कि सही नाम देने में समर्थ होगी और उस पर किसी प्रकार का वाह्य प्रभाव नहीं पड़ेगा।

एक बात यह उपस्थित की गयी कि यह गवर्नर तो सरकारी आदमी है, इस वजह से वह मंत्रियों की मंत्रणा से नियुक्ति करेगा। श्रीमन् मैंने कहीं नहीं देखा, कोई कानून नहीं है कि गवर्नर चांसलर की हैसियत से अपने मंत्रियों की राय मांगे या उनका मत प्राप्त करे। यह कानूनी स्थिति है और मुझे हर्ष है कि मूथम साहब ने भी अपनी रिपोर्ट में यह स्पष्ट लिखा है कि गवर्नर कोई भी अधिकार बहैसियत गवर्नर के विश्वविद्यालय में नहीं है। वह कहते हैं—

"The University Act gives the Governor (as distinct from the Chancellor) no voice in the administration of the University and it imposes on the Government no obligation to give the University any financial assistance".

जहां तक कानून का सवाल है उसकी दृष्टि से चांसलर और गवर्नर दो व्यक्ति हैं और, चांसलर बाध्य नहीं है कि वह किसी अपने मिनिस्टर से वाइसचांसलर की नियुक्ति के सम्बन्ध में मत प्राप्त करे। श्रीमन्, हम समझते हैं और इस सदन के माननीय सदस्यों से यह

[श्री मदनमोहन]

निवेदन करूंगा कि हमें कहीं तो विश्वास करना चाहिये और कहीं तो यह मान लेना चाहिये कि हमारे देश में आज भी ऐसे व्यक्ति हैं जो कि यद्यपि रखते हैं किसी विशेष संस्था से या विशेष पार्टी से सम्बद्ध तो भी, जब उनके ऊपर निर्णय का अधिकार दिया जाता है तो वह निर्णय, निष्पक्ष होकर कर सकेंगे, ऐसा विश्वास तो करना ही चाहिये। अगर हम विश्वास नहीं करते हैं तो श्रीमन्, जितना भी प्रयास इस समय हो रहा है अपने देश को बनाने का वह सब विफल हो जायगा। हम पंचायतों को यह अधिकार दे रहे हैं। पंचायतें जो निर्मित होती हैं उनके सामने अपने गांव के निवासी रहते हैं लेकिन हमारा विश्वास है कि जब पंच बहैसियत पंच के और न्याय पंच की हैसियत से बैठेंगे तो वे निर्णय निष्पक्ष रूप से करने में समर्थ होंगे। हमें ऐसा विश्वास उन लोगों पर करना चाहिये जो कि गवर्नरों के पदों पर आरुढ़ हैं वह अपने कर्त्तव्य का पालन कर सकते हैं। तो श्रीमन्, यह केवल एक सन्देहमात्र है कि गवर्नर बिना मंत्रियों की मंत्रणा के कुछ नहीं करता, यह गलत बात है। इसमें कोई शंका की बात नहीं है।

श्रीमन्, इलाज बीमारी का होता है, शंका का इलाज नहीं होता है। सन्देह का इलाज दुनियां में नहीं है। अगर हमारे हृदय में शंका है कि आज हमारे देश में ऐसे व्यक्ति नहीं हैं जो निष्पक्ष रूप से अपना निर्णय कर सकें तो मैं यही कहूंगा कि हमारे देश का दुर्भाग्य है और वह व्यक्ति और भी ज्यादा अभागा है जो अपने देश के मनुष्यों में विश्वास करने में असमर्थ है, इतना ही मैं कह सकता हूं।

श्रीमन्, अन्त में मैं एक बात निवेदन कर दूं जो मेरे भाषण के सम्बन्ध में एक आपत्ति उपस्थित हो सकेगी और वह आपत्ति यह है कि डाक्टर राधाकृष्णन् ने जब वह विधि बतलायी कि किस प्रकार वाइस चांसलर की नियुक्ति हो, वहां उन्होंने कहा कि एक्जीक्यूटिव कमेटी उसका चयन करे यानी उसको सेलेक्ट करे। और यह बात कि किन-किन आदमियों के बारे में विचार करेगी एक्जीक्यूटिव कमेटी कि किसको हम उपकुलपति बनायेंगे, यह बात किसी को भी मालूम न पड़े ताकि कोई व्यक्ति किसी के पास कनवेंसिंग के लिये न जा सके और और उसके साथ-साथ किसी का अपमान भी न हो। उन्होंने कहा—

"It would be the limit of despair, if we do not trust it."

यानी एक्जीक्यूटिव कमेटी के लिये निराशा की पराकाष्टा हो जायगी अगर हम अपनी एक्जीक्यूटिव कमेटी के ऊपर भरोसा न करें। श्रीमन्, हमारा यह दुर्भाग्य है, हमने पिछले दस वर्ष तक एक्जीक्यूटिव कमेटी के फैसलों के बारे में अनुभव प्राप्त किया। ऐसा हुआ कि एक्जीक्यूटिव कमेटी में कनवेंसिंग हुई, एक्जीक्यूटिव कमेटी अपनी परिस्थिति में अपने वातावरण के कारण विवश हो गयी और हमने देखा कि यह तरीका सफल नहीं हो पाया। विवश होकर आज हम एक ऐसा तरीका रखना चाहते हैं कि जिसमें मान और मर्यादा एक्जीक्यूटिव की संरक्षित रहे, चांसलर की मान मर्यादा संरक्षित रहे और दोनों की मर्यादा को संरक्षित रखते हुए हम यह कार्य कर सकें।

श्रीमन्, माननीय नवल किशोर जी ने एक बात कही जिससे मैं असहमत हूं। उनका यह खयाल था कि इस विधेयक में लिखा हुआ है कि कमेटी द्वारा प्रिफरेंस किसी प्रकार से भी व्यक्तियों को नहीं दिया जायगा। अर्थात् तीन व्यक्तियों के नाम जो कमेटी चांसलर के पास भेजेगी, वाइस चांसलर के पद की स्वीकृति के लिये ,तो वह उसमें किसको प्रश्रय दे रही है, इस बात को व्यक्ति नहीं करेगी। माननीय नवल किशोर जी का यह खयाल है कि उसको यह अधिकार होना चाहिये। हमारा ऐसा विचार है कि वह नहीं होना चाहिये और जिस तरह से इस समय विधेयक प्रस्तुत है वही सही तरीका है। किस को प्रश्रय दिया जाय और किस को न दिया जाय उसका टेस्ट और उसकी कसौटी क्या होगी? नियुक्ति करना है चांसलर को, चांसलर विश्वविद्यालय के विषय में अपना एक दृष्टिकोण रखता है और अपने दृष्टि कोण के अनुसार वह विश्वविद्यालय के लिये एक कसौटी बनाता है और उस कसौटी

पर कसकर वह एक व्यक्ति की नियुक्ति करता है। अब उसकी कसौटी क्या होनी चाहिये, वह किस दृष्टिकोण से कौन-सा टेस्ट रखना चाहिये, यह कमेटी के सदस्य नहीं कर सकते, यह अधिकार तो केवल प्रिफरेन्स का है कि किस को करना है, यह काम केवल गवर्नर का है। इसलिए मेरा मतलब है कि इस बिल में जो प्राविधान है वही सही है।

एक और बात भी माननीय नवल किशोर जी ने कही जिससे भी मैं सहमत नहीं हूं। वह यह है कि एग्जीक्यूटिव कमेटी की उपेक्षा होगी, बाई-पास हो जायगी। जहां तक मैं अंग्रेजी पढ़ा हूं बाई-पास का अर्थ यह होता है कि एक व्यक्ति को एक काम करने का अधिकार हो और उसको वह अधिकार न देकर किसी दूसरे व्यक्ति से कोई काम कराया जाय तो वह बाई-पास करना होता है। इसके अर्थ यह हुये कि अधिकार होते हुये भी अधिकार को बरतने का मौका न दिया जाय। अब एग्जिक्यूटिव कमेटी एक स्टेचुटरी बाडी है और कानून के अन्तर्गत बनाई हुई समिति है, उसको वही अधिकार हो सकता है जो कानून में दिया हुआ है। अगर उसे अधिकार नहीं देते हैं तो उसके यह माने न होंगे कि हम बाई-पास करते हैं। तो मेरा निवेदन है कि जिस रूप में यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है, उसके सम्बन्ध में जो आक्षेप किये गये हैं वे केवल मेरे मित्रों की, जिन्होंने कि वह आक्षेप किये हैं उनके हृदय की शंकाओं से प्रेरणा पाकर हुये हैं। अगर कोई सोच ले कि शंका ही ठीक है चाहे वास्तविक बात कुछ और ही हो, कोई सांप को रस्सी समझ बैठे और रस्सी को सांप समझ ले तो उसका किसी के पास इलाज नहीं है। इन शब्दों के साथ जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है कि इस विधेयक को प्रवर समिति में भेजा जाय, उसका मैं विरोध करता हूं।

*श्री देवीप्रसाद मिश्र (जिला फैजाबाद)—श्रीमन्, यह विधेयक जो हमारे सामने चल रहा है उसके सम्बन्ध में अभी एक तर्क उपस्थित किया गया कि इसको शंका की दृष्टि से न देखें, दिल भी यही चाहता था कि कोई शंका न की जाय लेकिन फिर भी कुछ तथ्य हमारे सामने ऐसे आ जाते हैं कि जिन के ऊपर हम देखते हैं। पहली बात यह है कि इसमें जो कारण दिये गये हैं उसमें स्पष्ट लिखा गया है कि इधर कुछ प्रवृत्तियां और कुछ दशायें हमारे सामने आई हैं लेकिन इसमें यह भी स्वीकार किया गया है कि इन्हीं प्रवृत्तियों के निराकरण के लिये एक आयोग भी कायम किया गया था और बाद में कहा गया है कि आयोग की रिपोर्ट में देर होती थी और काम करने की जल्दी थी इसलिये जल्दी से विधेयक पेश कर दिया ताकि जल्दी से काम कर लें। मैंसिर्फ इतना ही पूछना चाहता हूं कि कौन-सी जल्दी थी? लखनऊ यूनिवर्सिटी का वाइस-चांसलर अपनी विधि से चुना गया साल भर पहले, उसका चुनाव जो भी कानून होता ४, ५ साल बाद होगा। इलाहाबाद का २ साल पहले चुना गया है उसका भी समय २, ३ साल बाकी है, चुनाव बाद को होने वाला है। आगरा का वाइस-चांसलर अभी ३, ४ महीने पहले चुना गया उसका भी चुनाव ४, ५ साल बाद होगा। चुनाव के कारण जो परिस्थितियां उत्पन्न होतीं उनकी किसी यूनिवर्सिटी में इस वक्त आशंका नहीं है। चुनाव के कारण जो परिस्थितियां हो सकती थीं वे हो चुकी हैं, आज तो कोई परिस्थिति नहीं है। फिर आप किस लिये दावा कर रहे हैं? अगर ३, ४ महीने बाद आयोग रिपोर्ट देता और वह कहता कि चुनाव नहीं चयन होना चाहिये तब विधेयक लाते तो ठीक था। लेकिन रिपोर्ट का इंतजार नहीं कर रहे हैं और बगैर जरूरत इस विधेयक को हमारे सामने ला रहे हैं तो शंका जरूर उत्पन्न हो जाती है। एक तो मर्ज कुछ दूसरा है, दवा दूसरे ढंग से करना चाहते हैं, बहाना दूसरे ढंग का ले लिया। मैं एक बात स्पष्ट कह दूं कि दोनों विधियां, चुनाव और चयन हमारे सूबे में प्रचलित हैं, मेथड चाहे जो रखा जाय, गलत आदमी दोनों तरीके से आ सकते हैं। चुनाव का मैथड रखा जायगा तो यह गारन्टी नहीं है कि हमेशा अच्छा आदमी ही आयेगा, बुरा आदमी नहीं आयेगा और साथ ही साथ चयन में भी कोई गारन्टी नहीं है कि बुरा आदमी आयेगा अच्छा नहीं आयेगा। इसलिये यह कहना कि किसी वजह से हम उस मैथड को गलत समझ कर नया मैथड ला रहे हैं, कोई ठीक तर्क नहीं है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री देवीप्रसाद मिश्र]

एक बात और कहूंगा। अभी हमारे पूर्व वक्ता महोदय ने कहा है इसलिये मुझे कहना पड़ता है। अपने पूरे व्याख्यान में दो वेद वाक्य उन्होंने कहे हैं। एक मूथम और दूसरा राधाकृष्णन्। यह भी नहीं देखा कि मूथम ने अपनी रिपोर्ट १९५३ में दी थी और उस रिपोर्ट के हिसाब से यूनिवर्सिटी के ऐक्ट २, ३ दफा बन चुके हैं। यह भी नहीं देखा कि राधाकृष्णन् ने अपनी रिपोर्ट १९४८ में दी थी और उसके हिसाब से यूनिवर्सिटी के ऐक्ट २, ३ दफा बदल चुके हैं। उन रिपोर्टों के अनुसार, दोनों मैंने बताया १२, १३ साल पुरानी रिपोर्टें हैं और उनके अनुसार हमारी सरकार ने विधेयक बनाये, यूनिवर्सिटी के ऐक्ट के बदले गये। अगर वह वेद है तो मैं बता रहा हूं उनके अनुसार हमारी दवाई की जा चुकी है, हमारी वे दवाइयां सफल नहीं हुईं। आप दूसरे ढंग से दवा करना चाहते हैं तो मूथम और राधाकृष्णन् का नाम न लीजिये अपना नाम लीजिए क्योंकि आप इन दोनों से बड़े हो सकते हैं। लेकिन मूथम और राधाकृष्णन् का नाम लेते हुए और उनके अनुसार जो दवाई की गई वह गलत हुई और आप दूसरे ढंग की दवा करने जा रहे हैं और उनके नाम पर करने जा रहे हैं तो शंका उत्पन्न होती है।

इधर जो ४, ५ चीजें लगातार शिक्षा विभाग में हुई हैं उनको अगर आप देखें तो एक प्रवृत्ति मालूम होगी जो प्रवृत्ति यह नहीं है कि शिक्षा में सुधार हो। वह प्रवृत्ति यह नहीं है जिसकी तरफ मूथम और राधाकृष्णन् ने इशारा किया था। वह प्रवृत्ति मैं देख रहा हूं। पुरानी सरकार ने कुछ किया था और नई सरकार ने कुछ किया है और क्या-क्या परिवर्तन हुआ है २, ३ महीने के अन्दर? एक यूनिवर्सिटी आयोग बनाया गया। इसी हाउस में अपोजीशन ने कहा कि यह आयोग ठीक नहीं है, इसमें अच्छे व्यक्ति नहीं है जो कि होने चाहिये। उस समय की सरकार ने इनकार किया और कहा कि इससे अच्छा आयोग बनाया नहीं जा सकता। सरकार बदली और उस आयोग का कम्पोजीशन गलत हो गया। तीन ऐसे महोदय लिये गये जो समझे गये कि उचित हैं। यही बात हमने पहले कही थी, बार-बार कहा था कि ऐसे व्यक्तियों को लाइये जो यूनिवर्सिटी से सम्बन्ध रखते हों। उस सरकार ने नहीं रखे। सरकार के बदल जाने ही से तीन आदमी नये आ गये। मैं पूछना चाहता हूं क्या यह शंका नहीं की जा सकती कि यूनिवर्सिटी से गुटबाजी हटाने के लिये नहीं बल्कि स्वयं सरकार अपने अन्दर गुट बाजी हटाने के लिये ऐसा कर रही है और जिसकी तरफ इशारा भी किया जा रहा है।

सेकेंडरी ऐजूकेशन के लिये एक आयोग सरकार ने जाते-जाते कायम किया जिसमें ३३ आदमी थे। यह सरकार आयी। इसने फौरन उसको खत्म कर दिया और तर्क क्या था? इकोनोमी की जरूरत है, रुपया बचाने की जरूरत है और काम जल्दी करना चाहते हैं, आयोग देर में काम करता है। पुरानी आदत है, सरकार जल्दी करना चाहती है और रुपया भी बचाना चाहती है इसलिये वह आयोग खत्म हो गया। क्यों नहीं सीधे-सीधे कहा जाता कि उस कमीशन में उसके गुट के आदमी नहीं थे? क्यों नहीं कहा गया कि सेकेंडरी एजूकेशन का जो आयोग बना था उसमें हमारे गुट के आदमी क्यों नहीं रखे गये। इसीलिये एक को बढ़ा दिया है और दूसरे को तोड़ दिया है। मैं साफ-साफ कहना चाहता हूं कि यही बात, यूनिवर्सिटी के विधेयक के बारे में है। अगर यह साफ-साफ कह दिया जाता कि कुछ गलत वाइस चांसलर चुन लिये गये हैं उन्हें हटाना है तो हम सहर्ष स्वागत करते कि कम से कम गवर्नमेंट में इतनी हिम्मत तो है, लेकिन यह नहीं किया गया है, यह हिम्मत नहीं है। मैं जानता हूं कि ढंग वही है। कुछ लोग उनको पसन्द नहीं हैं गलत हैं या सही हैं। इस पर मैं ध्यान नहीं देता, मैं जानता हूं कि इस नई सरकार की बुद्धि भी कुछ बहुत अच्छी नहीं है। उस सरकार से और नये आदमियों को चुनने की इसकी प्रवृत्ति कुछ अधिक है ऐसा मेरा विश्वास नहीं है, गलत आदमी उसने भी चुने थे और यह भी चुनेंगे लिहाजा इस विधेयक को ला कर ढोंग रचने की कोई आवश्यकता नहीं थी। मर्ज दूर करने के लिये जो यूनिवर्सिटी में पैदा हो गया है उसके लिये सीधे सीधे कहते कि एक-दो वाइस चांसलर ऐसे गलत आ गये हैं जिन्हें किसी कारण हम पसन्द नहीं

करते हैं और उन्हें हटाना है तो उसका हम लोग स्वागत करते । कोई नहीं चाहेगा, चाहे वाइस चांसलर चुनाव के जरिये आये या चयन के जरिये, अगर कोई गलत वाइस चांसलर आ गया है तो आटोनामी के नाम पर उसको वहां कायम रखा जाय । मैं आटोनामी का इतना पुजारी नहीं हूं कि किसी गलत आदमी को वाइस-चांसलर बना रहने दिया जाय । लेकिन यह सरकार जो विधेयक लाई है वह गलत ढंग से लाई है ।

विधेयक जो लाया गया है वह कोई नया नहीं है । ये दोनों प्रयोग हमारे सूबे में चल रहे हैं । एक गोरखपुर यूनिवर्सिटी है जहां इलेक्शन नहीं होता और बाकी ४, ५ विश्वविद्यालय ऐसे हैं जहां चुनाव करा कर अपने कैंडिडेट को भेजते हैं । दोनों में कौन सुन्दर है, कौन खराब है यह तर्क सरकार ने नहीं दिया । सरकार के पास एक तर्क है और वह यह कि टीचर पोलिटीशियन से आप बहुत भयभीत हैं । टीचरों की एक गरीब जाति होती है, निरीह जाति होती है लेकिन उससे आप भयभीत हैं । मुझे ताज्जुब है कि वह वर्ग भयभीत है जो स्टूडेंट कांग्रेस का स्वागत करता है, विद्यार्थी परिषद् का स्वागत करता है । यूनिवर्सिटी में टीचरों तथा लड़कों में खुद मौजूद हैं पोलिटिकल पार्टीज । फिर भी बेचारे टीचरों से भयभीत हैं । टीचर पोलिटीशियन का नाम लेकर उन्हें हटाने की कोशिश करते हैं । जितनी गड़बड़ियां हो रही हैं वह टीचर पोलीटीशियन के नाम पर की जाती हैं । टीचर पोलीटीशियन का अर्थ जिस अर्थ में राधाकृष्णन् ने तथा मूथम ने प्रयोग किया है उतना तो वह देखने की कोशिश करते, वह भी कष्ट नहीं किया । उनका टीचर पोलीटीशियन का अर्थ बहुत साफ है । टीचर्स जो यूनिवर्सिटी की पोलीटिक्स में हिस्सा लेते हैं, वहां की कार्यवाहियों में, चुनावों में हिस्सा लेते हैं वे भी टीचर्स पोलिटीशियन्स हैं जिनके बारे में राधाकृष्णन् तथा मूथम साहब ने जिक्र किया है । लेकिन हमारे भाई साहब कुछ दूर चले गये । इनको तो अपनी असेम्बली की सीट का खतरा मालूम हुआ ।

श्री मदनमोहन—जरा पढ़ दीजिये ।

श्री देवीप्रसाद मिश्र—मैंने तो पढ़ा और पढ़ाया दोनों है । मैं बता रहा था कि टीचर पोलिटीशियन के दो अर्थ होते हैं । एक तो वह टीचर पोलिटीशियन होता है जो यूनिवर्सिटी के अन्दरूनी मामलों में, उसके पचड़ों में पड़ता है । राधाकृष्णन् ने और मूथम ने उनकी शिकायत की है । उन तक अगर आप अपनी शिकायत को महदूद रखते तो मुझे कुछ ज्यादा कहना न होता । लेकिन आप जम्प कर गये उन टीचर्स पर जो टीचर होते हुये विधान सभाओं और कौंसिलों में आते हैं । मुझे पता नहीं कि वर्मा जी इस बात को तब कहते या नहीं जब माननीय सम्पूर्णानन्द जी चीफ मिनस्टर होते क्योंकि मैंने जब उस समय मुख्य मंत्री से पूछा था कि आप अध्यापक भी थे तो उन्होंने बड़े जोरों से कहा था कि थे नहीं, हैं । मैं पूछना यह चाहता हूं कि राधाकृष्णन् के नाम पर और मूथम के नाम पर उन अध्यापकों को आप क्यों कह रहे हैं कि कौंसिलों और असेम्बलियों में न आयें ? क्या उनकी वजह से यूनिवर्सिटी में गड़बड़ी पैदा होती है ? अगर आपका विचार यह हो कि नहीं, उनके यहां आ जाने से यूनिवर्सिटी में स्थान खाली हो जाता है, वे वहां पढ़ा नहीं पाते हैं, तो यह दूसरा प्रश्न है । इसके बारे में हमनें बताया कि राधाकृष्णन् और मूथम ने कहीं जिक्र नहीं किया । इसलिये टीचर पालिटीशियन को तो आप कम से कम माफ करें, वह बहुत निरीह है, बहुत गरीब है । उसके विषय में आप ज्यादा बोझा न लादें क्योंकि मैं आपको साफ बता दूं कि आप जो समझ रहे हैं वह है नहीं ।

जब आपने यह कहा कि लड़कों में अनुशासनहीनता है, लड़के उच्छृंखल हैं, जब आप यह कहते हैं कि लड़के बदमाशी करते हैं, शरारत करते हैं, हम चुप थे । इसलिये नहीं बोल रहे थे कि आप बड़े आदमी हैं, आपका हम क्या खंडन करें हांलाकि उस वक्त भी जानते थे कि आप गलत बोल रहे हैं । लेकन जब आपने यह कहना शुरू किया कि लड़के बदमाश हैं और इसलिये बदमाशी करते हैं कि अध्यापक बदमाशी सिखाते हैं तब मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि आप अपने माता पिता का फर्ज जरा भूल गये हैं । आप अपनी पालिटिक्स में माता और पिता नहीं रह गये हैं । आप अपने लड़कों की परवाह नहीं करते, उनको देखते नहीं, उनको बदमाश होने देते हैं ।

[श्री देवीप्रसाद मिश्रा]

आप कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और एक गरीब अध्यापक पर लांछन लगाते हैं जिसके यहां केवल चार घंटे के लिये अपने लड़के को आप भेजते हैं और एक टीचर केवल ३०–३५ मिनट उसको पढ़ाता है। आप २४ घंटे अपने घर पर रख कर लड़कों को अनुशासन नहीं सिखा सकते और चलते हैं यह कहने के लिये कि अध्यापक जिम्मेदार है क्योंकि वह हमारे लड़के को खराब करता है। मैं समझता हूं कि आपके मुंह से यह शोभा नहीं देता। आप विधान सभा को त्याग कर के, वकालत को छोड़करके लड़कों की तरफ जाइये। आप जो यह गैरजिम्मेदारी का काम कर रहे हैं कि अपने लड़के को बरबाद होने दे रहे हैं तो आप जरा माता और पिता की हालत में अपने लड़के को देखिये और अध्यापक को मदद दीजिये। अध्यापक आपसे मदद मांगता है। अगर आप यह करने लगेंगे तो मुझे विश्वास है कि आपकों अध्यापकों से शिकायत भी नहीं रहेगी।

एक बात मैं और कह दूं इसी सिलसिले में चूंकि आपने गड़बड़ियों का प्रश्न ही उठाया है। और लड़कों को जितना हो सकता है उतना भला बुरा कहा है कि यूनिवर्सिटी में जितनी गड़बड़ियां होती हैं उनके कारण तो वैसे अनेक हैं लेकिन अगर सब से बड़ा कारण उसमें ढूंढ़ा जाय तो वह यही है कि अनुपयुक्त वाइस चान्सलर आप रखते हैं। अगर वाइसचान्सलर विद्वान हो, अच्छे चरित्र का व्यक्ति हो,वह सचमुच एक अध्यापक हो तो कभी भी यह नहीं हो सकता कि उसके स्कूल, कालेज और यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी अनुशासनहीनता का काम करें। मैंने मालवीय जी और राधाकृष्णन् के विश्वविद्यालयों को देखा है। मैं समझ नहीं सकता कि ऐसे वाइस चांसलर के रहते हुये भी लड़के अभी अनुशासनहीनता का काम कर सकते हैं। अनुशासनहीनता की कमी तब होती है जब आप गलत वाइसचांसलर यूनिवर्सिटी में रख देते हैं। इस यूनिवर्सिटी में जिसका इतना वर्णन सुना है और जिसके लिये इस विधेयक के लाने की आवश्यकता पड़ी है, वहां की बिगड़ी हुई हालत में आचार्य नरेन्द्र देव जी गये थे, वही अध्यापक थे और वही लड़के थे, लेकिन फिर कोई शिकायत नहीं रही। इसलिये मेरा कहना यही है कि गलत वाइस-चांसलर को आप यूनिवर्सिटी में ठूंस देते हैं। जब लड़के उसका विरोध करते हैं तो चाहिये तो यह था कि लड़कों को शाबासी देते कि उन्होंने तुम्हारी आंखे खोल दीं जहां तुमने गलती की है लेकिन इसके बजाय लड़कों को अनुशासनहीन और उच्छृंखल बताया जाता है।

श्री मदनमोहन—श्रीमन्, मैंने तो यह का था कि....

श्री देवीप्रसाद मिश्र—वर्मा जी, मैं आपका ही जवाब नहीं दे रहा हूं। मैं इस विधेयक को इस दृष्टिकोण से देखता हूं कि यह सचमुच गलत वाइस चांसलर को यूनिवर्सिटी में लाने से रोकता है या नहीं। अगर यह रोकता है तो तरीका कोई भी हो मैं इसका स्वागत करने के लिए तैयार होऊंगा। लेकिन आप बता सकते हैं कि चुनाव के ढंग को छोड़कर यदि चयन का ढंग ले लिया जाय तो क्या वह अच्छा ढंग होगा ?

श्रीमन्, जहां चुनाव के तरीके में अनेक बुराइयां हैं वहां एक भलाई भी है एक अच्छाई भी है कि बुरे आदमी की सारी बुराइयां सामने आ जाती हैं। कोई भी चुनाव ले लिया जाय। अगर हम किसी चुनाव में खड़े हैं और हमारे अन्दर कमजोरियां और बुराइयां हैं तो हमारे दुश्मन, हमारे विरोधी हमारी उन बुराइयों को और कमियों को जनता के सामने रखेंगे। इसलिये चुनाव का गलत तरीका होते हुये भी इस बात की गारन्टी है कि गलत आदमी के चुनाव का मौका नहीं मिलेगा। चुनाव होते हैं और गलत आदमी पहुंच जाते हैं लेकिन उनकी बुराइयां हमारे सामने आयेंगी जरूर और अगर हम जानते हुये गलत आदमी चुनें तो बात दूसरी है।

श्रीमन्, आपने जो तरीका रखा है वह गुपचुप का तरीका है। वह ऐसा है कि हम बदमाश से बदमाश आदमी हों और गलत से गलत आदमी हों लेकिन अगर हम कुछ ट्रिक्स जानते हैं और तीन आदमियों को खुश कर लें तो हम चुन लिये जायेंगे और हमारी विद्वता का प्रश्न नहीं उठेगा। हमारे साथी कह रहे हैं कि तीन नहीं,दो नहीं अगर एक को भी खुश कर लेंगे तो काम चल जायगा, क्योंकि वास्तव में उन तीनों में एक ही आदमी शक्तिशाली है। यह तीन मूर्तियां ईश्वर का एक ही रूप हैं। वह तीन तरह से आ गया है। एक आदमी को खुश कर लें, किसी मंत्री या मंत्राणी को खुश कर लें तो हमारा काम चल जायगा। अच्छे से

अच्छे आदमी और विद्वान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चुनाव करने वालों में विद्वान आदमियों के रखने की आवश्यकता नहीं पड़ी। कहीं यह शर्त नहीं है कि चुनाव करने वाले पढ़े-लिखे हों या उनका संबंध दूर से भी यूनिवर्सिटी से रहा हो या उन्होंने यूनिवर्सिटी के नाम के अतिरिक्त और कुछ पढ़ा-लिखा हो....

श्री रामेश्वरप्रसाद (जिला रायबरेली)---हाईकोर्ट का जज गैर पढ़ा होता है।

श्री देवीप्रसाद मिश्र---क्या बताऊं जब आपकी समझ में नहीं आता। मैं कहूंगा कि गांव सभा में हार जाना कोई डिस्क्वालीफिकेशन नहीं है। इसलिये मुझे इस बात को नहीं कहना है। मैं सिर्फ कह रहा था कि यूनिवर्सिटी से जिसका संबंध रहा हो। हाईकोर्ट का जज मानी हुई बात है कि युनिवर्सिटी का आदमी नहीं है और यूनिवर्सिटी का कोई उसका अनुभव नहीं है, यूनिवर्सिटी से उसका कोई सम्बन्ध नहीं है। अगर आप यह समझते हों कि मिनिस्टर की गद्दी पर बैठ जाने से, यूनिवर्सिटी का विधाता हो जाने से वह विद्वान हो गये या आप यह समझते हैं कि जज की कुर्सी पर बैठ जाने से यूनिवर्सिटी का उसका अनुभव हो गया तो यह दूसरी बात है। लेकिन मैं जो बात कह रहा था वह यह कह रहा था कि चुनाव करने वालों में एक व्यक्ति भी ऐसा नहीं है कि जिसके लिये यह शर्त रखी गई हो कि उसका यूनिवर्सिटी का कोई अनुभव हो और उसका कोई यूनिवर्सिटी का संबंध हो।

दूसरी बात अगर आप चुनाव वालों के लिये कोई शर्त नहीं रखते तो कोई बात नहीं अपने ही मन का आप चुनाव करना चाहते हैं तो कोई इनसे भी परेशानी अधिक नहीं लेकिन अगर कम से कम इतनी ही आप ने शर्त दी होती कि वाइस चांसलर कौन हो तो भी कोई बात होती। वाइस चांसलर की क्या योग्यता हो अगर इतना ही आपने रख दिया होता तो भी कुछ काम चल जाता। लेकिन लव्ज रखे हुये हैं—ए सूटेबिल परसन। सूटेबिल परसन के मानी वन हू सूट्स हिम। वर्मा जी चले गये। अगर ग्रामर से देखा जाता तो सीधा उसका अर्थ यही है—सूटेबिल मीन्स वन हू सूट्स हिम आर वन हू सूट्स मी जो मेरे लिये सूट करता है वह सूटेबिल है। योग्यता की आवश्यकता नहीं है, पढ़े लिखे होने की आवश्यकता नहीं है, यूनिवर्सिटी का कोई उसको अनुभव हो, कोई संबंध हो, इसकी आवश्यकता नहीं है। बस वह सूटेबिल होना चाहिये सरकार की दृष्टकोण से या अगर सरकार कहने से कुछ अनुचित समझते हैं तो चांसलर के दृष्टकोण से। हालांकि हमने देखा है और हम जानते हैं कि बार-बार इशारा किया गया कि चांसलर अलग हैं और गवर्नर अलग हैं, लेकिन हम अपने अनुभव में जो देखते हैं वह यही है कि चांसलर और गवर्नर एक ही है। लेकिन तब भी हमें बताया गया कि नहीं दोनों दो हैं और उनके काम भी होंगे। अगर हम वह मान भी लें तब भी हम आपको बताने की चेष्टा करेंगे कि चांसलर का संबंध सरकार से इतना अधिक है कि चाँसलर गवर्नर के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। और फिर वाइसचांसलर कहां का हमारे उत्तर प्रदेश का? जहां एक नहीं दो नहीं तीन नहीं चार नहीं पांच नहीं छः छः और सात सात यूनिवर्सिटीज हों और जहां जहां यूनिवर्सिटियों के नम्बर और भी बढ़ने की संभावना हो वहां एक बेचारा गरीब चांसलर इतनी यूनिवर्सिटियों का मालिक, आठ आठ, नौ-नौ यूनिवर्सिटियों का मालिक होगा और चुनाव करेगा! क्या नतीजा होगा? एक ही नतीजा होगा कि वह चांसलर जो भी होगा वह गवर्नर होगा और सरकार ही उसमें निश्चय करेगी, वही परसन को टेस्ट करेगी और उसको सूटेबिल की उपाधि देगी। इसलिये मैं फिर कहूंगा कि इस विधेयक में यह बात जरूर थी कि वाइस-चांसलर की कोई न कोई परिभाषा, कोई न कोई योग्यता दे दी जाती। सबकी योग्यता दी जाती है। लेकिन हमारे वाइस चांसलर की कोई योग्यता नहीं है और गलत आदमी चुना गया, जो खराब आदमी चुन गया या चयन कर लिया गया तो फिर वही बात होगी। फिर मूथम कमेटी की रिपोर्ट निकाली जायगी, फिर राधाकृष्णन का पवित्र नाम लिया जायगा और फिर कोई दूसरा तरीका अपनाया जायगा इन्हीं दो बेचारों के नाम पर। पता नहीं वह हमारी सरकार के इन कारनामों को कभी सुनते भी हैं या नहीं सुनते कि उनके नाम पर यहां क्या क्या किया जाता है?

एक चीज और कहूंगा कि यूनिवर्सिटी की आटोनामी विश्वविद्यालय की स्वतंत्रता पर काफी इधर और उधर दोनों तरफ से कहा गया है। स्वतंत्रता के बारे में मैं दो बातें समझ सकता हूं। पहली

[श्री देवीप्रसाद मिश्र]

बात तो यह समझने के पक्ष में हूं और समझ भी सकता हूं कि सरकार शिक्षा का उद्देश्य स्वयं तय करेगी, कैसी शिक्षा देश को देनी चाहिये, इसका निर्धारण सरकार करेगी और सरकार पूर्णतः जिम्मेदार होगी उसकी। यूनिवर्सिटी केवल उसका एक साधन होगी। उसका कोई अधिकार नहीं होगा। यूनिवर्सिटी की आटोनामी बिलकुल नहीं होगी। सरकार ही स्वयं सब चीजों के लिये उत्तरदायी होगी और जैसी भी वह शिक्षा देना चाहेगी यूनिवर्सिटी उसका केवल एक साधनमात्र होगी। यह बात समझ में आती है और इसलिए आती है कि कुछ देशों में इसका प्रयोग हो रहा है और सफलता के साथ प्रयोग हो रहा है।

दूसरी बात यह भी समझ में आती है कि सरकार व्यस्त होती है, ज्यादातर पढ़े-लिखों की नहीं होती है, सरकार ज्यादातर ऐसे लोगों की भी हो जाती है जिनका पढ़ने से दूर का ताल्लुक होता है, शिक्षा के विषय में वह कुछ अधिक नहीं जानते। इसलिये शिक्षा के विषय में कोई नीति निर्धारित करना उनके बस की बात नहीं है। इसलिये यह सीधा रास्ता समझ लिया है कि शिक्षा का काम मनीषी और विद्वानों का काम है। वही इन्तजाम करें और वही लोग देखभाल करें। विश्वविद्यालय पूर्ण स्वतंत्र हों यह बात समझ में आती है। यह बिलकुल सीधा रास्ता है। यह दोनों बातें अपनी जगह पर बिल्कुल सही हैं। विश्वविद्यालय सरकार के अधीन हैं। विश्वविद्यालय स्कूलों की तरह वही शिक्षा देते हैं जो सरकार तय करती है। साथ ही विश्वविद्यालय पूर्ण स्वतन्त्र हों और सरकार से किसी तरह ताल्लुक नहीं रखते हों, अपना काम करते हों, यह बात समझ में आती है किन्तु जब सरकार अपनी खिचड़ी अलग पकाती हो, इधर उधर से रोड़ा इकट्ठा करके भानमती का पिटारा बनाती हो तब हमारी समझ में बात नहीं आती। हमारी समझ में यह बात भी नहीं आती कि विश्वविद्यालय में अगर कोई गड़बड़ हो तो जो यूनिवर्सिटी की आटोनामी है उसमें सरकार दखल दे। तब यूनिवर्सिटी को कोई अधिकार नहीं रहता है। तब विश्वविद्यालयों में अपने आदमी लादने का प्रयत्न होता है और अपने आदमी रखे जाते हैं। हम यूनिवर्सिटी को रुपया देते हैं तो हमारा अधिकार उसमें होना चाहिये।

(इस समय २ बजकर ७ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री रामनारायण त्रिपाठी, पीठासीन हुये।)

मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि अब भी समय है सरकार अपनी निश्चित नीति निर्धारित कर ले कि विश्वविद्यालयों के प्रति उसकी नीति क्या हो सकती है। वह अगर समझती है कि विश्वविद्यालय इस योग्य हैं कि उनको पूर्ण स्वतन्त्रता दी जा सकती है तो उनको पूर्ण स्वतन्त्रता दे देनी चाहिये। फिर किसी मसले में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं होना चाहिये। अगर सरकार समझती है कि नहीं, विश्वविद्यालय अयोग्य होते हैं, वह कुछ ऐसे लोगों की जमात है जो गैरजिम्मेदार हैं, जो योग्य नहीं हैं और बिना सरकार के हस्तक्षेप के विश्वविद्यालय में कोई काम नहीं कर सकते तो मैंने बताया दूसरा रास्ता खुला हुआ है। किन्तु हिम्मत करके कहिये कि पूरी जिम्मेदारी है और अपने नियन्त्रण के अन्दर इनको रखेंगे। लेकिन मैंने बतलाया कि जब जो चीज पसन्द आये, जो सरकार को सूट करे उसके अनुसार आप प्रबन्ध करें या न करें, मैं समझता हूं यह चीज गलत है। यह बीच का रास्ता नहीं है। अगर यह बीच का रास्ता होता तो हम इसको पसन्द करते। यह बीच का रास्ता नहीं है। बीच का रास्ता वही होता कि जब आप हस्तक्षेप करना चाहें तो उसकी मर्यादा होती।

मैं इस बात को भी मान लूं कि चूंकि सरकार रुपया देती है और कुछ अंश तक उसकी शिक्षा के लिये जिम्मेदार है तब भी मैं यह समझता हूं कि कोई न कोई मर्यादा होनी चाहिये जिस मर्यादा के अन्दर सरकार हस्तक्षेप कर सकती है। बाहर के विश्वविद्यालयों में मर्यादा का वर्णन है। जिन्होंने अभी मूथम और राधाकृष्णन् कमीशन का नाम लिया और आटोनामी के लिये वेद वाक्यों का उद्धरण किया उनको कम से कम उस तथ्य को भी पढ़ना चाहिये था जिसमें दोनों कमेटियों ने इस बात का जिक्र किया है कि वे कौन-सी अवस्थायें हैं जब युनिवर्सिटी में हस्तक्षेप किया जा सकता है। वे कौन-कौन अवस्थायें हैं इसका जिक्र करना बहुत जरूरी था। क्या यूनिवर्सिटी

में गलत प्रोफेसर नियुक्त हो जायं तब यूनिवर्सिटी में हस्तक्षेप करना चाहिये ? क्या यूनिवर्सिटी में अगर गलत वाइस-चांसलर नियुक्त हो जाय तब हस्तक्षेप करना चाहिये ? क्या यूनिवर्सिटी में पढ़ाई ठीक नहीं हो रही हो, अयोग्य अध्यापक आगये हों, लड़के उनके खिलाफ आवाज उठाते हों, तरह-तरह के उपद्रव हों तो ऐसी हालत में क्या हस्तक्षेप करना चाहिये ? सीधी बात है कि यूनिवर्सिटी को कम से कम इतना अधिकार होना चाहिये कि वह स्वयं अपना रिफार्म कर सके। वह बड़े योग्य आदमियों की जमात है। इतने योग्य आदमियों की वह जमात है जिसकी इस हाउस में कल्पना नहीं कर सकते। ऐसे योग्य आदमियों की जमात को इतना अधिकार होना चाहिये कि वह स्वयं रिफार्मेटिव हो। जो दोष उसमें उत्पन्न हो उन दोषों को ठीक करने के लिये उसी के अन्दर कोई तरीका होना चाहिये। ऊपर से दोष दूर करने का ढंग अगर आप अख्तियार करेंगे और यह कह कर कि हमारा अख्तियार है और चूंकि यूनिवर्सिटी अब गड़बड़ हालत में पहुंच गई है, ऐसी दलदल में पहुंच गई है कि जहां से उसको निकालना जरूरी है, तो मैं कम से कम यह प्रार्थना जरूर करूंगा कि आप कह दें कि यूनिवर्सिटी को कोई स्वतंत्रता नहीं है और हम जब चाहेंगे, जिस ढंग से चाहेंगे, यूनिवर्सिटी पर अपना अधिकार जमा लेंगे।

चयन के विषय में एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि अगर आप चयन के तरीके को ज्यादा पसन्द करते हैं, तो ठीक है, हालांकि आप को बतला दूं कि यदि आप ऐसा समझते हैं कि इसके कारण यूनिवर्सिटी से गुटबाजी हट जायगी तो गलत है। अगर यूनिवर्सिटी में गुटबाजी है तो वह दूसरे कारणों से है। वाइस चांसलर का चुनाव उसका एक जुज है। मैं यह बात मानने के लिये तैयार हूं कि वाइस चांसलर के चुनाव को कर के गुटबन्दी होती है, लेकिन मैं यह बतला दूं कि वह गुटबन्दी १० या ५ फीसदी ही होती है। ९० फीसदी गुटबन्दी दूसरे कारणों से है जिनमें सरकार अधिक हिस्सेदार है। सरकार के मंत्रियों का एग्जीक्यूटिव कमेटी में होना, सरकार के अधिकारियों का काउन्सिलों में होना, सरकार के चुने हुये आदमियों का कोर्ट में जाना और काउन्सिलों में जाना, सरकार के भेजे हुये आदमियों का यूनिवर्सिटियों में अधिकार पूर्ण स्थान पर रहना, यह सब इस बात का सबूत है और वे हमारी दृष्टि इस ओर ले जाती हैं कि अगर गुटबाजी का वहां कोई स्रोत है तो वह सरकार के हाथ में है। गुटबन्दी सरकार से शुरू होती है। सरकार में जब गुटबन्दी होती है तो, मैंने बतलाया कि यूनिवर्सिटी में भी उसका असर पड़ता है।

मैं इस बात को स्पष्ट कर दूं कि सरकार के साथ-साथ यहां एक विरोधी दल भी होता है और विरोधी दल के कारण यूनिवर्सिटी में कभी गुटबाजी उत्पन्न नहीं हो सकती। वह अगर चाहे भी यूनिवर्सिटी में कुछ करना तो नहीं कर सकता क्योंकि उसको मनोनीत होने का, अपने आदमियों को वहां भेजने का कोई अधिकार नहीं होता। सिर्फ रजिस्टर्ड ग्रेजुएट्स का चुनाव ऐसा होता है कि जिनमें कुछ लोग जा सकते हैं, लेकिन चुनाव में विरोधी दल का कोई असर नहीं होता और इसलिये उसमें चुने हुये आदमी विरोधी दल के नहीं होते। इसलिये अगर यूनिवर्सिटी में कोई गुटबन्दी होती है तो सरकार ही उसके लिये पूर्णतया जिम्मेदार है, ऐसा मैं समझता हूं और मैंने यह बात जोर दे कर इसलिये कही है कि इतिहास में जाना तो एक बड़ी लम्बी चीज होगी और वह ठीक नहीं मालूम होता, लेकिन किसी भी यूनिवर्सिटी का पिछले दस साल का इतिहास आप उठा कर देख लें। उसे देख कर कोई आदमी शक भी नहीं करना चाहेगा और उसे यह विश्वास करना पड़ेगा कि यूनिवर्सिटीज की हालत उसी समय से बिगड़ी है कि जब से सरकार का कोई मंत्री, या उप-मंत्री या कोई बड़ा आदमी यूनिवर्सिटी में ज्यादा दखल देने लगा है। कोई यूनिवर्सिटी आप बतला दें, एक भी आप बतला दें, कि जहां गड़बड़ी उत्पन्न हुई हो और सरकार का आदमी वहां मौजूद न रहा हो। मेरी समझ में एक भी मिसाल इस की नहीं मिलेगी कि जहां गड़बड़ी हुई हो और सरकार का आदमी वहां न रहा हो। इसलिये गुटबाजी अगर आप को बचाना है तो उसकी दवा यह नहीं है कि आप चयन का मेथड इस्तेमाल करें। दवा यह है कि आप अपनी सरकार के आदमियों को यूनिवर्सिटीज में भेजना बन्द कर दें, मंत्रियों को भेजना बन्द कर दें।

[श्री देवीप्रसादमिश्र]

एक सज्जन ने कहा था कि पालिटीशियन टीचर्स के ऊपर बैन लगाया जाना चाहियें विधान सभा और काउन्सिलों में आने के लिये । बड़े अच्छे सज्जन थे । बगैर बैन लगाये हुये तो काम अच्छी तरह से चलेगा नहीं । (व्यवधान) उन के खिलाफ कोई टीचर खड़ा नहीं होगा यह मैं विश्वास दिला सकता हूं, लेकिन मैं सरकार से इतना ही कहूंगा कि अगर आप गुटबन्दी बचाना चाहते हैं और सचमुच बचाना चाहते हैं तो इस विधेयक को वापस ले लीजिये। इस विधेयक में केवल दो तीन संशोधन आप कर दीजिये और यह कर दीजिये कि सरकार से लगाव वाला कोई आदमी भी विश्वविद्यालय के किसी पद पर नहीं बिठाया जायेगा। अगर आप इसे पास कर दें तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि ९०प्रतिशत जो आज गुटबन्दी है वह समाप्त हो जायेगी । वहां की गुटबन्दी तो किसी सहारे पर चलती है, किसी खूंटे के सहारे चलती है। जिस तरह से बैल किसी खूंटे के सहारे ही काम करता है, उसी प्रकार वहां की गुटबाजी भी किसी खूंटे के सहारे ही चलती है । जैसे आपके इशारे होते हैं उन्हीं इशारों पर वहां का अध्यापक नाचता है । वह समझता है कि उसका प्रमोशन, उसकी नियुक्ति, उसका रिटायरमेन्ट, उसका सभी कुछ आपकी कृपा पर निर्भर है । इसलिये आप जो कुछ कहते हैं वह उसी के अनुसार चलता है । तो उस पर दोष लादने के बजाय आप अपने तरीकों को बदलिये । इसलिये जैसा मैंने बताया, आप चयन करना छोड़ दें । गुटबन्दी बचाने के लिये आप इस मैथड को छोड़ दें । अगर आपने ऐसा किया तो आपको योग्यतम व्यक्ति पर्याप्त मात्रा में मिल जायेंगे । मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि राधाकृष्णन् या आचार्य नरेन्द्रदेव जैसे व्यक्ति कभी भी इस जन्म में या उस जन्म में यह बात स्वीकार नहीं करेंगे कि वे किसी भी यूनिवर्सिटी में सरकार द्वारा भेजे जायं । अगर सरकार द्वारा उनको भेजा जायेगा तो सचमुच उसको लड़कों और लड़कियों का विश्वास प्राप्त नहीं होगा और नतीजा यह होगा कि उसके विरुद्ध आन्दोलन होगा । उसके लिये आप फिर तरह-तरह से उन विद्यार्थियों पर गोली चलायेंगे और उन्हें दोष देंगे ।

एक बात और कहना चाहता हूं और वह यह कि अगर उनमें अनुशासनहीनता है तो उसका कारण, एक अध्यापक होने के नाते मैं इसको अधिकृत रूप से कह सकता हूं, केवल वे ही नहीं हैं। आप जितना उन विद्यार्थियों को बदनाम करते हैं उतना वे हैं नहीं । अगर आप पिछले १५-२० वर्ष के इतिहास को देखें तो आपको पता चलेगा कि यह अनुशासनहीनता हर जगह है । अमेरिका और इंगलैन्ड में भी वह चीज व्याप्त है और कहीं कहीं यहां से ज्यादा है । जिन मर्यादाओं को हमारे यहां अभी विद्यार्थी जानते हैं, उनको अमेरिका और इंगलैन्ड वाले नहीं जानते। किसी लड़की का लड़के के साथ भाग जाना, जिसके कारण वहां पर गन्दगी फैली है, वह चीज अमेरिका और इंगलैन्ड में यहां से ज्यादा है और वहां पर यह साधारण बात है । वहां यह चीज रोजाना हुआ करती है । (व्यवधान) मैं यह नहीं कह रहा था कि अमरीका और इंगलैन्ड की इस मर्यादा की हम नकल करें। मेरे कहने का यह अर्थ नहीं था, बल्कि यह था कि जब आप विद्यार्थियों को उच्छृंखल और अनुशासनहीन कहते हैं और उसका कारण दूसरों पर थोपते हैं तो दुनियां का जो वायुमंडल बना हुआ है अनुशासनहीनता के बारे में उसको बिना देखे हुये हिन्दुस्तान के विद्यार्थियों को अनुशासनहीन कहना, आपके गलत इरादे को प्रकट करता है ।

मैं एक बात इस सिलसिले में कह दूं कि मूल कारण विद्यार्थियों की अनुशासनहीनता को अगर देखा जाय तो एक है ? चूंकि उनका बहुत कुछ वर्णन किया गया है इसलिये अगर मूल कारण छोड़ दिया जाय तो आप सचमुच अध्यापकों को दोषी समझ लेंगे या मेरे कहने से गवर्नमेन्ट को दोषी मान लेंगे या दूसरे को मान लेंगे । इसलिये मूल कारण को समझना चाहिये कि आज क्यों अनुशासनहीनता है ? हम किसी चीज के लिये समर्थ हो जायं, योग्य हो जायं, अवस्था उसके उपयुक्त हो जाय और किसी वजह से वह चीज हम को न मिले तो निश्चय ही हम अनुशासन-हीन हो जायेंगे । २५ वर्ष की अवस्था है और उस समय जिस कार्य के लिये हम समर्थ हैं और जिसकी हमें आवश्यकता है, उसका मौका नहीं मिलता हो तो हम अनुशासनहीन हो जायेंगे, उच्छृंखल हो जायेंगे ।

ज्यों-ज्यों समाज हमारा बढ़ता जाता है तो लड़कों की अवस्थाओं में परिवर्तन होता जाता है। जो काम पहले लड़कपन में दे दिया जाया करते थे वह आज नहीं दिये जाते। उसका एक अनिवार्य फल होगा कि वह अनुशासन जो उस समय, पुराने समय में हमें लड़कों में देखने को मिलता था, आजकल के लड़कों में नहीं मिल सकेगा, क्योंकि जिस शारीरिक और मानसिक ढंग से वह एक विशेष काम के लिये तैयार हो चुके हैं, वह उनके सुपुर्द नहीं किया गया। तो मैंने बताया कि अगर आपको लड़कों की अनुशासनहीनता की वजह से परेशानी हो रही है--मैं नहीं जानता कि है या नहीं--तो इस मौलिक बात की तरफ अपना दृष्टिकोण डालिये कि लड़कों को किस अवस्था में उनकी शारीरिक और मानसिक अवस्था को देख कर काम में लगा देना है, बजाय इसके कि लड़कों की या मास्टरों की गुटबन्दी की वजह से उच्छृंखलता होना बताया जाय।

मैंने इसलिये यह तर्क दिया था कि इधर जो गड़बड़ियां हुई हैं मैं उन तक गये बगैर यह स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि उनका मूल कारण यही था कि लड़के किसी योग्य थे, उनको उसका अधिकार न मिल कर दूसरे उसका उपयोग कर रहे थे, इस वजह से वह नाराज थे, उच्छृंखल थे, अनुशासनहीन थे। मैं कहूंगा कि आप इसकी दवा कीजिये। अगर नहीं कर सकते हैं तो उनको बुरा भला न कहिये, बल्कि समाज में जो हो रहा है, यह समझ लीजिये कि वह हमारे अधिकार के बाहर की चीज है, यह समाज चल रहा है और चलता जायगा, हम इसको रोक नहीं सकते।

एक चीज और है। आपने जो कुछ चेंज किये हैं वाइस-चांसलर के विषय में, जैसा मैंने बतलाया कि वह तो ऐसे परिवर्तन हैं जो कोई आवश्यक नहीं थे। आप इंतजार कर सकते थे। ५-६ महीने में आपके आयोग की रिपोर्ट आने वाली थी। मैं आप से यह पूछ सकता हूं कि अगर आपने आज चयन का मेथड बना दिया और ६ महीने बाद आपके आयोग ने यह रिपोर्ट दे दी कि चयन का मेथड बहुत खराब होगा और उससे बहुत गलत और अयोग्य आदमी चुने जायेंगे, पहले चुनाव का मेथड अच्छा है जो और यूनिवर्सिटियों में है, तो क्या आप फिर एक बिल लायेंगे, यह कह करके कि चूंकि आयोग ने हमारे खिलाफ रिपोर्ट दे दी है, इसलिये दूसरा विधेयक लाना पड़ा ? यूनिवर्सिटी में आप यों ही बिल जल्दी से जल्दी ला रहे हैं। ऐसी आवश्यकता नहीं है कि आप इतनी जल्दी परिवर्तन करें। सैकड़ों वर्षों के बाद शिक्षा का सिद्धांत तय होता है, वह मार्ग तय होता है कि जहां पर हम शिक्षा ग्रहण करते हैं और आप इतने उतावले और जल्दी में हैं कि यूनिवर्सिटियों के सम्बन्ध में दो-दो वर्ष के बाद संशोधन ला रहे हैं। लखनऊ और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बने हुये कितने वर्ष हो गये लेकिन वाराणसी विश्वविद्यालय को जन्म लिये अभी कितने दिन हुये, तीन-चार-पांच वर्ष का समय नहीं बीता, आप एक बिल ले आये। जैसा मैंने अपनी शंका व्यक्त की कि हो सकता है आपके इस मत से, जो आयोग बना है वह सहमत न हो, वह दूसरी रिपोर्ट दे दे तब आप या तो उसको रद्दीखाने में फेंक देंगे और कह देंगे कि यह सूटेबिल नहीं है या फिर आपको दूसरा बिल लाना पड़ेगा। इसलिये आप इतना तो कर ही सकते हैं कि इसको किसी सेलेक्ट कमेटी के सुपुर्द कर दिया जाय या सर्कुलेशन के लिये भेज दिया जाय और उसमें इतना टाइम जरूर ले लिया जाय जितना कि उस कमीशन की रिपोर्ट आने में लगेगा। यह मैंने इसलिये कहा कि फिर मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जो विधेयक आप पास कर देंगे उसकी अभी आवश्यकता नहीं है क्योंकि जब तक आप आर्डिनेंस वगैरह के जरिये वाइस-चांसलर के टाइम को खत्म न कर दें तब तक किसी भी वाइस-चांसलर का चुनाव अभी दो तीन वर्षों में होने वाला नहीं है। इसलिये इस बिल की आवश्यकता भी नहीं है।

अब वाइस-चांसलर को छोड़कर एग्जीक्यूटिव कमेटी की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। एग्जीक्यूटिव कमेटी का आपने जो गठन रखा है उसके विषय में अधिक कहा नहीं गया कि वह पहले से क्यों भिन्न हो। पहले जो गठन था उसमें क्या खराबी आ गई, और उससे भिन्न क्यों रखी जाय, इस सम्बन्ध में मैंने आपका कोई तर्क नहीं सुना।

श्रीमन्, वाइस-चांसलर के सम्बन्ध में मैं एक चीज छोड़ गया था उसको कहना आवश्यक मालूम होता है। कहीं-कहीं किसी मुल्क में वाइस-चांसलर का चुनाव नहीं होता। वहां चयन होता है लेकिन आपका जो मेथड है वह मेथड वहां पर नहीं होता। वहां पर एक रोटेशन,

[श्री देवीप्रसाद मिश्र]

एक क्रम होता है, जिसके अनुसार योग्य आदमी स्वयं उस स्थान पर आ जाया करते हैं जोकि वाइस चांसलर का पद है। उदाहरण के लिये जैसे यूनिवर्सिटी में कई फैकल्टीज होती हैं और उनके योग्य हेड होते हैं उनके लिये आप नियम बना सकते हैं कि रोटेशन के हिसाब से हम अपने हेड्स को इस बात का चान्स देंगे कि वह वाइस-चांसलर के पद को ग्रहण किया करें। अगर उनमें कोई अयोग्यता न हो—आप मर्यादा कायम कर दें कि इन-इन अयोग्यताओं के लोग नहीं हो सकेंगे या जो इनकार कर देंगे वह नहीं हो सकेंगे—तो बाकी बचे हुये हेड्स बाई रोटेशन वाइस चांसलर के पद पर चले आयेंगे। हमारी समझ में इस बात में ज्यादा बुराई नहीं होती क्योंकि इससे चुनाव की गुटबन्दी खत्म हो जाती और जो मुझे शंका है कि चापलूसों को बना दिया जायगा उसका डर न रह जाता। इससे योग्य हेड्स बाई रोटेशन चले आते। बाहर की यूनिवर्सिटियों में ऐसी प्रथा है और मैं समझता हूं मूथम और राधाकृष्णन् ने उनको बुरा नहीं बताया है। आप इस तरीके को क्यों न इस्तेमाल करें। अगर आप यह समझते हैं कि यूनिवर्सिटी में योग्य आदमी नहीं हैं, वहां के हेड्स ऐसी योग्यता नहीं रखते कि वाइस-चांसलर का पद ग्रहण कर सकें तब तो बात दूसरी है। तब एक तरीका और भी हो सकता है। आपको और भी योग्य शिक्षाविद् मिल सकते हैं। आप यह भी कह सकते हैं कि जो वाइस-चांसलर रह चुके हैं, जो बड़े-बड़े डिग्री कालेजेज के प्रिंसिपल रह चुके हैं और अपनी योग्यता सिद्ध कर चुके हैं और यूनिवर्सिटी से एफीलिएटेड हों वह रोटेशन के जरिये वाइस-चांसलर के पद को ग्रहण करें। हमारी समझ में यह तरीका बुरा नहीं होगा। कम से कम आपके तरीके से अच्छा ही होगा। उसमें इस बात की गारन्टी होगी कि जो वाइस-चांसलर बनाया जायगा वह योग्य और विद्वान् होगा और वह लड़कों में श्रद्धा और विश्वास पैदा कर सकेगा।

अब मैं आपके इस प्राविजन की तरफ आना चाहता हूं कि वाइस-चांसलर कब बर्खास्त किये जा सकेंगे। वाइस-चांसलर का चुनाव करना एक दूसरा ढंग था और उसे बर्खास्त करना दूसरा ढंग था। सरकार ने कारण दिये हैं जिनमें से २ तो हमारी समझ में आ जाते हैं, उनके लिये कोई मेहनत भी नहीं करनी पड़ती, कि वाइस-चांसलर अगर पागल हो जाय तो वह हट जायगा। अगर कोई पागल आदमी वाइस-चांसलर नहीं होता है तो कोई दोष नहीं है लेकिन बहुत से पागल वाइस-चांसलर हमको मिले हैं। ठीक है कि पागल आदमी वाइस-चांसलर नहीं होना चाहिये। दूसरा प्राविजन इनसालवेंट का है, दिवालिया हो जाने का है। रुपये पैसे की बात है। आप उसे तनख्वाह देते हैं, २४ घंटे का नौकर रखते हैं। उसके पास इतने बड़े साधन हैं कि हम उसकी कल्पना नहीं करते कि वह दिवालिया होगा, खासकर अगर वह सूटेबिल आदमी हो। इतिहास में अभी तक कोई वाइस-चांसलर ऐसा मिला भी नहीं है जो दीवालिया हो इसलिये दूसरा प्राविजन भी अगर सरकार आवश्यक समझती है तो ठीक है। लेकिन हमारी समझ से इसकी आवश्यकता नहीं थी।

तीसरा प्राविजन मुख्य है और सामयिक है। जिस चीज का आपने वर्णन किया है कि हाल की प्रवृत्तियों और दशाओं को देख कर, कम से कम इसमें उसकी महक है, अगर गन्ध हम न कह सकें। आपके शब्द हैं "That he has been convieted of any offence involving moral turpitude." क्या कोई भी पद इस सरकार का, छोटा से छोटा भी ऐसा है कि जिस पर कोई ऐसा व्यक्ति रह सकता हो जिसे कोर्ट से मारल टर्पीट्यूड में सजा हुई हो? यों तो वह मतदाता भी नहीं रह सकता। अगर सरकार ने यह रखा होता कि उसे, एग्जीक्यूटिव कमेटी को, जनता को या सौ फीसदी उसके विद्यार्थियों को, विश्वास हो जाय कि यह व्यक्ति मारल टर्पीट्यूड का अपराधी है तो ऐसे व्यक्ति को वाइस-चांसलर नहीं होना चाहिये, क्योंकि बद अच्छा बदनाम बुरा, अगर आप इस कहावत को मानते हों। सरकार को भी इस बात का अधिकार होना चाहिये था कि अगर कोई आदमी इस अपराध का दोषी उसकी राय में है तो उसे हटा सकती। यह मानी हुई बात है कि अदालत से कनविक्ट होना सरल बात नहीं है। वाइस-चांसलर, और खासकर

सूटेबिल वाइस-चांसलर, जिसे एक जज के नामिनी ने सूटेबिल माना हो और चांसलर के प्रति, निधि ने सूटेबिल माना हो ऐसा आदमी इतना प्रभावहीन और साधनहीन नहीं हो सकता कि वह अपराध करे और पकड़ लिया जाय, वह अदालत से सजा पा जाय। अगर आप समझते हैं कि यह सब हो सकता है तो मैं अपनी बुद्धि पर तरस खाता हूं या आपके अनुभवहीनता की दुहाई देता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—"आप" शब्द का प्रयोग आप मेरे लिये कर रहे हैं क्या ?

श्री देवीप्रसाद मिश्र—मैं आपके लिये ऐसा नहीं कह सकता हूं। मेरा तात्पर्य सरकार से है।

इसलिये मैं प्रार्थना करता हूं कि कनविक्शन शब्द हटा दीजिये। मैं इतना लिबरल भी नहीं बनूंगा कि १० विद्यार्थी या ५ आदमी कानाफूसी करने लगें कि यह वाइस चांसलर ऐसा है तो भी आप हटा दीजिये। मैं तो सरकार में विश्वास करता हूं कि अगर उसे जन-समाज को, पढ़ने वाले विद्यार्थियों को अधिक लोगों को विश्वास हो जाय कि यह वाइस-चांसलर मारल टर्पीट्यूड का आदमी है तो आप उसे हटा दीजिये। मैं यह इसलिये कह रहा हूं कि छोटे स्कूलों में, हायर सेकेन्डरी स्कूलों में जहां से मैं आया हूं वहां पर यही है कि मारल टर्पीट्यूड पर कनविक्शन होने की आवश्यकता नहीं है। वहां इसका लांछन लग जाय, कुछ लोगों को विश्वास हो जाय, प्रबंध समिति के लोगों को, इंस्पेक्टर या डाइरेक्टर इत्यादि को विश्वास हो जाय कि यह अध्यापक इस दोष का अपराधी हो सकता है, यह पर्याप्त है उसे हटाने के लिये। इसलिये जब यह अपराध इतना महत्वपूर्ण और घृणित समझा गया है तो उसे उस पवित्र स्थान पर नहीं रहने देना चाहिये। जिस बटखरे से आप छोटे आदमी को तोलते हैं उसी से बड़े को भी तोलिये। अदालत में जाने की नौबत न आवे, मास्टरों की गुटबन्दी और लड़कों का विद्रोह न हो, सरकार को विधेयक लाने की जरूरत न पड़े, तो कम से कम यूनिवर्सिटी आटोनामी में आप इतना अधिकार तो ले ही लें।

वाइस-चांसलर के विषय में इतना कुछ कहने के बाद अब मैं उस एग्जीक्यूटिव कमेटी की ओर आना चाहता हूं जो आप वाइस-चांसलर को देना चाहते हैं। जिसके अनुसार यूनिवर्सिटी में काम होगा। मेरी समझ में अभी तक यह बात नहीं आई है कि एग्जीक्यूटिव कमेटी का विधेयक सरकार क्यों लाई है। वाइस-चांसलर के बारे में मैंने कुछ समझ लिया और सरकार ने उद्देश्य और कारण भी दिये हैं। लेकिन एग्जीक्यूटिव के विषय में कौन से कारण हैं जिनकी वजह से आपको नये ढंग की एग्जीक्यूटिव ले आने की जरूरत हुई ? पुराने ढंग की एक्ग्जीक्यूटिव में क्या दोष आ गये थे, उसमें कौन-सी गुटबन्दी हो रही थी, किस यूनिवर्सिटी की शिकायत आपके पास इसके बारे में आयी थी? मेरे सामने तो अभी तक ऐसी कोई बात नहीं आयी जिससे मैं यह पता लगा सकता कि जिन दोषों का वर्णन आपने उद्देश्य और कारण में किया है, वे एक्जीक्यूटिव के द्वारा या उसके चुनाव के द्वारा उत्पन्न हुये हों। मैं पहले से जानता हूं कि जो आजकल यूनिवर्सिटीज की एक्जीक्यूटिब्स हैं उनमें आपका प्रभाव मौजूद है क्योंकि उनमें आप दूसरे ढंगों से अपने आदमियों को मनोनीत करके भेज सकते हैं और यूनिवर्सिटियों पर कब्जा कर सकते हैं और बहुत-सी यूनिवर्सिटीज में आपका कब्जा है भी। कोई भी यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं है जिसमें आपका कोई न कोई मंत्री वाइस-चांसलर और चांसलर से ज्यादा प्रभावशाली न हो। इसलिये एक्जीक्यूटिव तो आपके हाथ में पहले से ही थी फिर आप इस कानून का इस्तेमाल किस लिये करने जा रहे हैं ? क्यों नयी एक्जीक्यूटिव बनाने जा रहे हैं ? जो यूनिवर्सिटीज पहले से ही अपंगु थीं उनको और अपंगु क्यों बनाने जा रहे हैं ?

विद्यार्थियों के दिल में श्रद्धा और विश्वास उत्पन्न करने के लिये सबसे बड़ा व्यक्ति वाइस-चांसलर होता है लेकिन दुर्भाग्य से अगर वह विद्यार्थियों में अपना विश्वास उत्पन्न न करा सके और एक्जीक्यूटिव अगर प्रभावशाली हो तो उसमें विद्यार्थियों का विश्वास हो सकता है और उनको यह सांत्वना हो सकती है कि अगर वाइस-चांसलर कोई गलत काम करेगा तो वह एग्जीक्यूटिव

[श्री देवीप्रसाद मिश्र]

से ठीक करा लेंगे। लेकिन इस प्रकार से एक्जीक्यूटिव को भी आप अपंगु बनाकर, अपने हाथ की कठपुतली बनाकर आप यूनिवर्सिटी के वातावरण को और खराब कर रहे हैं। यह बात मैं इस लिये कह रहा हूं क्योंकि मेरे सामने एक ऐसी यूनिवर्सिटी की एक्जीक्यूटिव का मसला है जिसको विद्यार्थियों के एक छोटे से गिरोह ने घेर लिया था तो उसने एक प्रस्ताव पास किया, फिर दूसरा किया। फिर असेम्बली और कौंसिल में आकर उन धन्यमान महात्माओं ने यह बयान भी दे दिया कि लड़कों ने पिस्तौल तान कर ऐसा हमसे करा लिया था। हमारी जान खतरे में थी, उसके डर से हमने ऐसा कर दिया। क्या इससे भी खराब एक्जीक्यूटिव को बनाना चाहते हैं जो लड़कों से डर कर प्रस्ताव पास कर दें ? आप इससे अधिक और किस अवस्था की कल्पना करते हैं। इससे गयी बीती क्या एक्जीक्यूटिव होगी। इन शब्दों के साथ में इस बिल का विरोध करता हूं और प्रवर समिति में भेजे जाने के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। और इसकी परिधि बढ़ा दी जाय ताकि जो कारण आपने बताये हैं वे सचमुच सही हैं तो उन पर विचार किया जा सके। मैंने बताया कि दो चार महीने में ऐसी कोई घटना होने वाली नहीं है, यूनिवर्सिटी का वातावरण बहुत ज्यादा विक्षुब्ध होने वाला नहीं है। अब तो इम्तहान हो रहे हैं, दो तीन महीनों की छुट्टियां होंगी, अगस्त में लड़कों का फिर आना होगा और तब बेचारे मास्टरों को गुटबन्दी करने का अवसर मिलेगा। तो अभी कोई खतरा नहीं है इसलिये ४,५ महीने तक का अवसर सरकार को मिला है। इसलिये मैं चाहता हूं कि इस बिल को इस तरह से शीघ्रता से पास कराने की जिद आप न करें इसको प्रवर समिति में जाने दें जिससे अधिक ढंग से विचार करने का अवसर हो।

यह मैं इसलिये और कह रहा हूं कि यह भाव जो हम लोगों के हृदयों में बन गया है कि सरकार अपनी गुटबन्दी की वजह से यह बिल लायी है, वही गुटबन्दी सरकार की जो नाना रूप लेकर आया करती है उसका एक रूप यह भी है, इसलिये हमारे दिमागों से यह शक भी दूर हो जाना चाहिये। आप शासन करते हैं, हम उम्मीद करते हैं कि शासन करने वालों में एक मत होगा। हम उम्मीद इस बात की भी करते हैं कि यह शासन ऐसा तरीका नहीं अपनायेगा कि शासन के बदलने से उसकी नीति भी बदल जायगी। यह आज है और मुझे शक होता है क्योंकि जब यह सरकार आयी है तभी उसने कहा कि पुराने सरकार के जितने कारनामे हैं उनका उसके ऊपर कोई उत्तरदायित्व नहीं है। उसी समय हमने समझा था कि यह डर है कि उनके कारनामे शायद गलत हैं और अब ये कोई नया कारनामा हमारे सामने रखना चाहते हैं। एक साहब सिर हिला रहे हैं कि उन्होंने यह बात नहीं कही।

अभी अविश्वास के प्रस्ताव के समय जब आया था तो उन्होंने बार-बार हम लोगों के सामने यह पेश किया था कि पुरानी बातों को क्यों हमारे सामने रखते हैं तो सीधे नहीं तो इन्डायरेक्टली वे इस बात को कबूल कर रहे थे कि वे किसी तरह से भी पुरानी सरकार के कारनामों के लिये जिम्मेदार नहीं हैं। मैंने बताया कि उसी प्रवृत्ति की दृष्टि से यह विधेयक आया है। मैं सरकार से यह प्रार्थना करूंगा कि सरकार एक कान्टीनुअस प्रोसेस है। इतनी जल्दी-जल्दी अगर आप पुरानी बातों को छोड़ कर नयी बातों को ग्रहण करते रहेंगे और इतनी जल्दी-जल्दी परिवर्तन लायेंगे तो सरकार के ऊपर से श्रद्धा हट जायगी और बहुत कुछ शक और शंका की गुंजायश हमारे दिमागों में हो जायगी। इसलिये जब आप इसको कर सकते हैं और बिना किसी प्रकार का नुकसान पहुंचाये या उठाये हुये कर सकते हैं तो मेहरबानी करके हमें मौका दीजिये कि हमको बता सकें कि कौन-सा विधेयक उपयुक्त हो सकता है और कम से कम उस आयोग को जो आपने बैठाया और जिसमें कुछ आदमी आपने बढ़ाये हैं कम से कम उनकी इज्जत के लिये आप इसको रोक दीजिये ताकि उनकी रिपोर्ट भी आ सके जिससे उसके आने के बाद जो उचित परिवर्तन इस विधेयक में किये जा सकें वह किये जायं।

श्री उपाध्यक्ष—माननीय श्रम मंत्री।

श्री टीकाराम पुजारी (जिला मथुरा)—श्रीमन्, मैं कल से देख रहा हूं कि हम पीछे वाले चार आदमी बिल्कुल नहीं बोल पाते हैं।

श्री उपाध्यक्ष—मैंने श्रममंत्री जी को पुकारा है, अब आप कृपया बैठ जाइये, आप तो कल इसी विषय पर बोल चुके हैं।

श्री टीकाराम पुजारी—श्रीमन्, आगे वाले तो ६-६ और ७-७ आदमी सारे दिन बोलते रहते हैं और पीछे वालों को बिल्कुल मौका नहीं मिलता है।

श्री उपाध्यक्ष—माननीय पुजारी जी।

श्री टीकाराम पुजारी—हम सच्ची बात कहने वालों की कोई नहीं सुनता।

श्री उपाध्यक्ष—माननीय पुजारी जी, मैंने आपको नहीं आदेश दिया है बोलने का, आप कृपा करके बैठ जांय।

श्री टीकाराम पुजारी—सदन के अन्दर हमारी कोई सुनने वाला नहीं है...

श्री उपाध्यक्ष—माननीय पुजारी जी, मैं आपको कह रहा हूं आप बैठ जाइये, लेकिन आप बराबर बोलते जा रहे हैं।

श्री टीकाराम पुजारी—जब हम लोग खड़े होते हैं....

श्री उपाध्यक्ष—माननीय पुजारी जी। आप चूंकि बिना आज्ञा के बराबर बोल रहे हैं इसलिये मैं आपको आदेश देता हूं कि आप सदन छोड़कर चले जांय।

श्री टीकाराम पुजारी—हम लोगों के साथ अन्याय हो रहा है और हम जब कोई बात कहते हैं तो आप नहीं कहने देते। हम अपनी बात कहना चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष—मैं पुजारी जी आपको आदेश देता हूं कि आप सदन छोड़कर चले जांय।

(श्री पुजारी अपने स्थान से बराबर बोलते रहे)

पुजारी जी बार-बार आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं, इसलिये मैं मार्शल को आदेश देता हूं कि वह उनको बलपूर्वक सदन से निकाल दें।

(मार्शल श्री टीकाराम पुजारी को सदन के बाहर ले गये।)

श्रम मंत्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं आज ढाई रोज से जो यू० पी० यूनिवर्सिटीज बिल पर बहस हो रही है उसको बड़े गौर से सुन रही हूं। मुझ में कुछ कमजोरी है कि जो सरकास्टिक रिमार्क्स या जो बातें यहां पर होती हैं उनमें से बहुत तो मेरी समझ में नहीं आती क्योंकि मुझे यहां के इतिहास से कम वाकफियत है। चूंकि मैं ऐसी सारी बातों को नहीं समझती हूं इसलिये मैं उन सब बातों का जवाब देने की कोशिश नहीं करूंगी। उसके लिये तो आचार्य जी बैठे हुए हैं जो उन सब बातों का जवाब देंगे। मैं थोड़ी सी बातों की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहती हूं जो कि मैं समझती हूं कि बुनियादी हैं।

यहां पर जो भाषण हुए हैं उनमें से कई में तो इस बिल की तह में जो बेसिक प्रोब्लम्स हैं, उनका एनैलिसिस किया गया है। परन्तु कुछ भाषण तो ऐसे हुए कि जिनको सुनकर मालूम होता है कि सदस्यों के दिल में सन्देह है, गुस्सा है और वे गुस्से से ऐसे भरे हुए मालूम पड़ते हैं कि घुमाफिरा कर अपनी निजी फीलिंग्स का ही जिक्र करते हैं। बहुतों ने तो यही कहा कि इस बिल को लाने का मकसद यही था कि जो लखनऊ यूनिवर्सिटी के वाइस-चांसलर हैं उनको कैसे हटाया जाय। इस उद्देश्य को पूरा करने की नियत से जो अन्य ४, ५ यूनिवर्सिटीज

[श्रीमती सुचेता कृपालानी]

हैं उनको भी साथ में लपेट लिया गया यद्यपि इन यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर्स अच्छा काम कर रहे हैं। मैं समझती हूं कि अगर कोई भी सरकार ऐसा कार्य करती है तो वह सरकार कंडेम करने के योग्य है। यूनिवर्सिटी के अन्दर पार्टी पोलिटिक्स को हर्गिज नहीं लाना चाहिये, न सरकार की तरफ से और न यूनिवर्सिटीज की ओर से। मैं ऐसा मानती हूं कि अगर यूनिवर्सिटी में पार्टी पोलिटिक्स को लाया जाता है तो उसका बड़ा सीरियस रिपरकशन न केवल सारी यूनिवर्सिटीज पर पड़ता है बल्कि सारे राष्ट्र पर पड़ता है।

इस बात को हमें समझना चाहिये कि आजादी के बाद हम नये उसूल और नये आदर्शों की बुनियाद पर नये समाज का निर्माण करने का प्रयत्न कर रहे हैं। न्यू कंसेप्ट आफ लाइफ तो हिन्दुस्तान के सामने वही रहेगा जो हमारी इन यूनिवर्सिटीज से पढ़कर निकले हुए नवजवानों का होगा। यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले नवजवानों का माईन्ड कच्चा होता है। इसकी जिम्मेदारी हमारे और आपके ऊपर है कि हम उनमें कैसे दृष्टिकोण की नींव डालें। हम सब लोगों के ऊपर यूनिवर्सिटीज को सुचारु रूप से चलाने की नैतिक जिम्मेदारी है। अगर वे पार्टीबाजी में अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ के दौरान में उलझ जायेंगे, जबकि उन लोगों की जिन्दगी का सबसे कीमती वक्त वही है, तो वे हमारे हिन्दुस्तान के भविष्य को उज्ज्वल नहीं कर पायेंगे। इसलिये यह जिम्मेदारी पार्टी पोलिटिशियन और टीचर पोलिटिशियन सब की है कि वे इस प्रश्न पर डिस्पैशनेट तरीके से विचार करें।

मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस बीच में य० पी० की यूनिवर्सिटीज की बड़ी बदनामी हुई है। एक वक्त था जब हिन्दुस्तान के अन्दर यू० पी० की बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटियों का एक खास स्थान था और लोग यह फख्र के साथ कहते थे कि हम फलां यूनिवर्सिटी से पास करके आये हैं। उनका अपना एक ट्रेडिशन था। आजकल तो यूनिवर्सिटीज में हर किस्म का इनडिसिप्लिन तथा और खराब बातें सुनने को मिलती हैं। यह कमजोरी यहीं की यूनिवर्सिटीज के विद्यार्थियों में नहीं है बल्कि दुनिया के नवजवानों में आजकल ऐसी एक टेंडेंसी पैदा हो गयी है। सेंस आफ सिक्योरिटी की कमी के कारण हो या और किसी वजह से हो, इनडिसिप्लिन का वातावरण नवजवानों में फैलता जा रहा है। मैं पिछले साल इन दिनों में बाहर गयी हुई थी तो आक्सफोर्ड और लन्दन भी गयी थी। वहां के विचारशील लोगों ने भी हमारे सामने इस तरह की समस्या रखी थी। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जब दुनिया में ऐसा वातावरण है तो उसका असर हमारे यहां भी पड़ना स्वाभाविक ही है क्योंकि हिन्दुस्तान उस समाज से अलग नहीं हो सकता। हम अपनी परम्पराओं के आधार से विछिन्न हो गये हैं। हमारी सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन हो रहा है और ऐसे परिवर्तन काल में अव्यवस्था हो जाना स्वाभाविक ही है। हमें नये समाज के लिये नयी परम्परायें बनानी हैं।

आज हम एक बड़े गम्भीर विषय पर विचार कर रहे हैं। इसलिये हमें पार्टी और दल की बात छोड़कर यूनिवर्सिटी की भलाई की बात सोचनी है। हमें कोई ऐसा ढंग निकालना है जिससे यूनिवर्सिटी का कार्य ठीक तरह से चल सके। कोई भी पार्टी हो, सोशलिस्ट पार्टी हो, कम्युनिस्ट पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, सबको मिलकर कोई ऐसा तरीका निकालना चाहिये जिससे यूनिवर्सिटीज को लाभ हो। अगर हम सब डिसस्पैशनेटली सोचें तो वह तरीका अवश्य निकल सकता है।

इस समय हमें इस विषय में कुछ विशेष समस्याओं पर विचार करना है। एक तो प्रश्न यह है कि यू० पी० की यूनिवर्सिटीज की हालत अच्छी है या बुरी। अगर अच्छी है तो कोई तब्दीली की जरूरत नहीं है और हम सब कह सकते हैं कि हम हरगिज कोई बिल नहीं आने देंगे। लेकिन पिछले सालों का जो तजुर्बा है वह हमें बतलाता है कि यू० पी० की यूनिवर्सिटीज में तरह-तरह के झगड़े और फिसाद हैं। पैम्फलेटियरिंग आफ दि वर्स्ट

टाइप इन दिनों में हुआ। इन्क्वायरी कमेटियां लाकर बिठाई गईं, पुलिस लाकर खड़ी की गई। ऐसे कार्यों से यूनिवर्सिटीज का वातावरण दूषित होता है। हमें ऐसे वातावरण को सुधारना है क्योंकि इस दूषित वातावरण में नवजवानों की सही प्रकार से उन्नति नहीं हो सकती। मैं अपने पूर्व वक्ता से पूरी तरह सहमत हूं कि यदि हमें यूनिवर्सिटीज के वातावरण को सुधारना है तो उनमें ऐसे आचार्य रखे जायें जो विद्वान तथा चरित्रवान हों। प्राचीनकाल में हमारे यहां आचार्य का आदर्श क्या था। जब कभी आचार्य शब्द की ओर हमारा ध्यान जाता था उस समय सदैव एक ऐसा विद्वान, गौरवशील तथा चरित्रवान व्यक्ति का रूप हमारे सामने आता था जिसके सामने विद्यार्थी स्वयं अत्यन्त हार्दिक सम्मान की भावना से झुक जाते थे।

मैं यूनिवर्सिटी में अध्यापक रह चुकी हूं। इसके अलावा यूनिवर्सिटी की कौंसिल तथा कोर्ट से भी मेरा काफी सम्पर्क रहा है। इसलिये यूनिवर्सिटी के संचालन तथा उसके वातावरण से मेरा घनिष्ट परिचय है। इस परिचय के आधार पर मैं यह कह सकती हूं कि यदि विद्यार्थियों के सामने कोई ऐसा व्यक्ति हम वाइस चांसलर बनायें जिसमें विद्वता तथा चरित्र हो तो, जैसा कि अभी मेरे एक भाई साहब ने कहा, उससे विद्यार्थियों पर एक अच्छा असर पड़ेगा और उनमें किसी किस्म की अनुशासनहीनता नहीं आने पायेगी। यह स्वभाविक ही है कि यदि हम विद्वता और चरित्र का आदर्श उपस्थित करेंगे तो हमारे विद्यार्थी भी वैसे ही बनेंगे।

अब प्रश्न यह है कि क्या इस प्रकार का वातावरण लाने के लिये ही यह बिल लाया गया है या नहीं। मैं आपको यह बतला दूं कि मैं यहां के पुराने इतिहास से ज्यादा वाकिफ नहीं हूं। दिल्ली में रहकर अखबारों में ही यहां की हालत पढ़ती थी। मैं समझती हूं कि आप सब लोग यह स्वीकार करेंगे कि यू० पी० की यूनिवर्सिटीज की हालत अच्छी नहीं है और उनमें सुधार होना चाहिये। जब हमारी नयी सरकार आई तो उसके सामने तरह-तरह की गड़बड़ियां सामने आयीं। सरकार ने सोचा कि कोई ऐसा कदम उठाया जाय जिससे कि यहां का एटमास-फियर सुधरे। हमारे सामने प्रश्न यह था कि जो इन्क्वायरी कमेटी बैठी हुई है उसकी रिपोर्ट का इन्तजार किया जाय और उसके बाद ही कोई कदम उठाया जाय या कोई फौरी ऐक्शन लिया जाय जिससे जल्द ही थोड़ा बहुत सुधार हो जाय और एक छोटा सा लिमिटेड स्कोप का बिल लाया जाय जिसके जरिये से हम वाइस चांसलर की नियुक्ति करें और छोटी-छोटी बातों के बारे में तुरन्त कुछ सुधार कर सकें।

मैं आप लोगों का अधिक समय नहीं लूंगी और बड़ी-बड़ी अथारिटीज को यहां कोट नहीं करूंगी जैसा कि मेरे कितने ही भाइयों ने किया है। मगर हमारे सामने जो बुनियादी सवाल है उसकी तरफ आपका ध्यान अवश्य आकर्षित करूंगी। सवाल हमारे सामने दो ही हैं। वाइस चांसलर का चुनाव एलेक्शन से होगा या सेलेक्शन से। इस प्रश्न पर बहुत से यूनिव-र्सिटी कमीशन काफी विस्तार से अपनी राय दे चुके हैं। इसलिये इस प्रश्न पर कोई फैसला लेने के लिये नई इन्क्वायरी कमेटी की रिपोर्ट का इन्तजार करने की कोई जरूरत नहीं समझी गयी। बड़ी-बड़ी कमेटियों की राय तो आपके सामने हैं, प्रश्न केवल यह है कि सरकार इस विषय पर अपना मत निश्चित करे।

हमारे सामने दो ही प्रश्न हैं। एक तो यह कि अगर हम वाइस चांसलर का सेलेक्शन करें और एलेक्शन को हटा दें तो क्या इससे डेमोक्रेसी खत्म होती है। और दूसरा सवाल है कि क्या वाइस चांसलर की नये ढंग से नियुक्ति का कानून बनाने से यूनिवर्सिटी की आटोनामी में हस्तक्षेप होता है।

अब एलेक्शन वाली बात ली जाय तो पिछले दिनों में जो वाइस चांसलर होते थे वे बड़े विद्वान आदमी होते थे, अपनी फील्ड में कोई नामी व्यक्ति होते थे। वे यूनिवर्सिटीज में पार्ट टाइम कार्य करते थे। उनको लोग बड़े प्रेम से और बड़े सम्मान से बुलाकर इस कुर्सी पर बिठाते थे। They used to grace the chair of the University. उनको वाइस चांसलर के पद के लिये कनवेस नहीं करना पड़ता था। एक बात और थी। उस समय

[श्रीमती सुचेता कृपालानी]

इस पद में कोई पावर नहीं थी उस वक्त यदि एलेक्शन की बात थी तो ठीक ही थी। लेकिन आज तो वाइस चांसलर का कैरेक्टर ही बिल्कुल बदला हुआ है

V. C. has become the chief executive, whole-time officer of the University.

उसके हाथ में जिम्मेदारी है, पावर है। जब एलेक्शन से वाइस चांसलर को लेते हैं तो उसके पीछे भावना यह है कि एक्जीक्यूटिव कौंसिल, जिसमें अध्यापक अधिक संख्या में होते हैं, उनके बहुमत से यदि चुना जाय तो उसको टीचर्स का गुडविल और कोआपरेशन मिलेगा और वहां का काम सुचारु रूप से चल सकेगा। मगर तजुर्बा यह बतलाता है कि ऐसा नहीं हुआ। होता यह है कि वाइस चांसलर जहां चुना जाता है वहां कन्वेंसिंग चलती है,। वाइस चांसलर को कोई न कोई ग्रुप ढूंढना पड़ता है जिसके भरोसे पर वह एलेक्शन लड़ता है। अब जब कनवेंसिंग करनी पड़ेगी तो नेपोटिज्म जरूर आयेगा। और जब वह चुनकर दो वोट ज्यादा लेकर अपने पद पर बैठता है तो वह अपने को इस पोजीशन में पाता है कि इम्पार्शियली फंकशन नहीं कर सकता। तो जिस मकसद से चुनाव की प्रक्रिया को रखा था वह मकसद सिद्ध नहीं होता। रखा था इसलिये कि उसको मैजारिटी सपोर्ट मिलेगी मगर उसके बजाय एक विषमता पैदा हो जाती है और उसको एक तरफ या दूसरी तरफ झुकना पड़ता है। चुनाव में जो खराबियां हैं उस सम्बन्ध में मैं उन दो रिपोर्ट्स की राय का अवश्य जिक्र कर दूं। राधाकृष्णन रिपोर्ट में कहा गया है :

"Open canvassing and voting for rival candidates may have been tolerable while the post was not much more than a compliment which the University could bestow, though even so it was undignified and led to the formation of factions. But as a means of securing a man of character and reputation for an arduous and highly skilled service it is, to put it bluntly, disastrous folly.....

'Disastrous folly' पर ध्यान दीजिये।

.....So far as we know, no other country chooses the heads of its universities by such methods."

इस कमेटी में बड़े विद्वान थे। यह उनकी सुलझी हुई राय है कि अगर ऐसा एलेक्शन चाल रहा जैसा कि आजकल चल रहा है तो इसका नतीजा खराब होगा।

मूथम कमेटी ने कहा है--

"We attribute the existence within the University of parties whose principal end is the promotion of the personal ambitions of individuals, much of the present unsatisfactory state of the University administration. The possession of power coupled with the pursuit of narrow ends means, we think, that the real problems in the University will not be faced, that scant regard will be paid to statutes and ordinances, and that by permitting the interests of the University to be subordinated to sectional and private interests, the moral tone of the University is lowered. A feeling of frustration and bitterness is created among the teachers and harm is done to the relation of teacher and student."

तो इन दोनों रिपोर्ट्स में बताया कि जिस ढंग से एलेक्शन चलता है उसका नतीजा यह है कि यह व्यवस्था खराब है। यह बात सही है कि राधाकृष्णन् जी ने बहुत सोच विचार कर यह कहा कि चुनाव होना चाहिये क्योंकि वे चाहते थे कि University should learn to choose a Vice-Chancellor wisely.

मगर उसके साथ उन्होंने एक प्रोवाइजो जोड़ दिया था जिसको उधर के माननीय सदस्यों ने नहीं पढ़ा। उनका कहना था कि एलेक्शन होना चाहिये किन्तु अगर इलेक्शन खराब ढंग

से चले तो नतीजा खराब होगा। उस खराबी को दूर करके अगर एलेक्शन चल सके तो ठीक है।

एलेक्शन सही ढंग से चले इसके लिये उन्होंने कहा कि यह बातें आवश्यक हैं।

१—कौंसिल के कम्पोजीशन में हेर फेर हो,

२—कौंसिल यूनानीमस्ली एक ही नाम की शिफारिश करे। अब आप समझ सकते हैं कि परिस्थिति कितनी अच्छी होगी तब ही एक नाम की रिकमेन्डेशन आयेगी।

३—जो नाम चुना जाय उसके सम्बन्ध में कंवेसिंग करने के बजाये स्ट्रिक्ट प्राइवेसी रखी जाय।

४—कोई कंवेसिंगन करे और अगर करे तो इसको डिस्क्वालिफिकेशन माना जाय।

ये चार शर्तें पूरी हों तो एलेक्शन जरूर किया जाय वर्ना एलेक्शन का नतीजा खराब ही होगा। मूथम कमेटी की रिपोर्ट है कि एलेक्शन की जो बुराइयां हैं, ईविल कांसिक्वेंसेज हैं, उनसे अपने को बचाना चाहिये। दूसरे बेस्ट पासिबिल आदमी को कैंडिडेट चुनना चाहिए और इंडिविजुअल का जो इंटरेस्ट है वह यूनिवर्सिटी के इंटरेस्ट के ऊपर नहीं होना चाहिये। इन सब बातों को यदि आप डिसपेशनेटली सोचेंगे तो अवश्य आप इसी नतीजे पर आयेंगे कि चुनाव के तरीके से यूनिवर्सिटी का वातावरण खराब हुआ है। एक्जीक्यूटिव के द्वारा यदि चुनाव होता है तो इसके मानी यह नहीं हैं कि वह कोई बड़ी डेमोक्रेटिक चीज है। अगर एलेक्शन के बजाय सेलेक्शन का तरीका लिया तो आटोनोमी और डेमोक्रेसी खत्म नहीं होगी। हम लोगों ने देखा कि यूनीवर्सिटी के लिये एलेक्शन का नतीजा खराब हुआ है। अगर हम इस कांफ्लूजन पर आते हैं कि ऐसा हुआ तो हम सेलेक्शन के मैथड को ट्रायल दें तो क्या खराबी होगी?

अब सवाल यह है कि वाइस चांसलर को चुनने का कौन सा तरीका लें। यह डिबेटेबिल प्वाइंट है। इसके बारे में लोगों ने बहुत कुछ कहा है। अलग-अलग यूनिवर्सिटीज में अलग-अलग तरीके हैं। कैम्ब्रिज की बातें लोगों ने बतलाई। वहां बाई रोटेशन सीनियर मोस्ट प्रोफेसर आ जाते हैं। पहले यह यूनिवर्सिटीज मोनेस्ट्रीज थीं जिसमें अनुशासन बहुत कड़ा था। इसलिये वहां इनडिसिप्लिन के वातावरण का आना बहुत मुश्किल था। वह जैसी परम्परायें तथा मर्यादायें बनाती थी उसके ही अनुसार काम करती थी। उनकी बड़ी शान थी। उनमें इस संस्था के सम्बन्ध में जो गौरव था वह कोई कम नहीं कर पाता था। वे कोई ऐसा काम नहीं करते थे जिससे संस्था का सम्मान घटे। अमेरिकन यूनिवर्सिटीज में वाइस चांसलर के चुनाव में प्रोफेसरों का बहुत कम हाथ रहता है। हिन्दुस्तान की यूनिवर्सिटीज में भी अलग-अलग तरीके हैं। कहीं चांसलर नामिनेट करता है। कहीं कुछ नाम पास होते हैं जिनमें से एक नाम चुना जाता है। कोई ऐसा हार्ड ऐन्ड फास्ट प्रोसीजर नहीं है कि ऐसा नहीं होगा तो अन्धेर हो जायगा और डेमोक्रेसी खत्म हो जायगी।

दूर की बात छोड़ दीजिये। यू० पी० की बात लीजिये। यहां अभी थोड़े दिन हुए दोनों हाउसेज में आप लोगों ने गोरखपुर यूनिवर्सिटी के लिये एक फैसला सोच समझ कर किया था कि वाइस चांसलर बाई सेलेक्शन होगा। तो क्या उसके लिये आपने कोई निकृष्ट तरीके को अपनाया था और बाकी यूनिवर्सिटीज में आप उस तरीके को अख्तियार नहीं करना चाहते। आप लोगों ने सोच समझकर फैसला किया था और जो मेथड आपने सोच विचार कर, अच्छा समझ कर, एक नई यूनिवर्सिटी में लागू किया उसी तरीके को हमने बाकी यूनिवर्सिटीज में लागू करने के लिये आपके सामने प्रस्ताव रखा है। एलेक्शन का मैथड तो बहुत दिन देख लिया एक नया तरीका अब हमें देखना है।

दूसरा प्रश्न यूनिवर्सिटीज की आटोनोमी का है। जब यूनिवर्सिटी के कांस्टीट्यूशन में कोई तब्दीली की बात आती है तो लोग घबड़ाकर कहते हैं कि यूनिवर्सिटी की आटोनोमी खतरे में है। हममें से कोई नहीं चाहता कि यूनिवर्सिटी की आटोनोमी में कोई हस्तक्षेप हो।

[श्रीमती सुचेता कृपलानी]

मुझसे पहले जो भाई साहब बोल रहे थे उन्होंने इस विषय में बहुत बातें कहीं और उनकी बातों से यह प्रतीत होता था कि टीचर्स के अलावा और कोई पढ़े लिखे लोग नहीं हैं जो यूनवर्सिटीज के बारे में कोई राय दे सकें। विरोधी पक्ष के सदस्यों ने, जिन्होंने इस विषय पर मुझसे पहले भाषण दिये हैं, कहा है कि वाइस-चांसलर को अगर सेलेक्ट किया जाय तो इससे यूनिवर्सिटी की आटोनोमी घटती है।

हमें अब यह विचार करना है कि यूनिवर्सिटी की आटोनोमी का क्या मतलब है। यूनिवर्सिटी के अधिकार प्रथम वह हैं जो यूनिवर्सिटी कोर्ट और सेनेट के द्वारा प्रगट किये जाते हैं। जैसे वे अपने स्टेट्यूट को परिवर्तन कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी के सारे काम का संगठन कर सकते हैं। यह अधिकार उनके पास हैं। स्टेट्यूट बनाने का अधिकार एक बड़ा अधिकार है लेकिन इस अधिकार पर भी कुछ प्रतिबन्ध हैं, जैसे स्टेट्यूट में तब्दीली करने के लिये वाइस-चांसलर की मंजूरी लेनी पड़ती है। सरकार चाहे तो यह स्टेट्यूट बनाने की पावर को वापस अपने हाथ में ले सकती है। दूसरा अधिकार जो यूनिवर्सिटी के पास है वह है यूनिवर्सिटी के एग्जीक्यूटिव कमेटी तथा एकेडेमिक कौंसिल इत्यादि समितियों को यूनिवर्सिटी के अन्दरूनी मामलों के बारे में जैसे स्टाफ की नियुक्ति, पाठ्यक्रम का निर्धारण, इत्यादि। इन अधिकारों पर कुछ हद तक प्रतिबन्ध हैं। यह पूर्णतया आटोनोमस नहीं हैं क्योंकि यूनिवर्सिटी की एग्जीक्यूटिव कौंसिल भी सरकार के एक ऐक्ट से बनती है।

तीसरा अधिकार वित्तीय है। यह भी पूरी तरह आटोनोमस नहीं है क्योंकि हिन्दुतान की यूनिवर्सिटीज में करीब करीब सारा रुपया सरकार के पास से ही आता है। इसलिए सरकार के कानून और उनके निर्देशों के मातहत उनको चलना पड़ता है। इस प्रकार आप देखेंगे कि यूनिवर्सिटीज की जो सो काल्ड आटोनोमस पावर्स हैं उनको भी कहीं न कहीं प्रतिबन्ध लगाकर सीमित कर दिया गया है। हम सब मानते हैं कि यूनिवर्सिटी के अन्दरूनी मामलों में जैसे स्टाफ की नियुक्ति, पाठ्यक्रम का निर्धारण, इत्यादि, इन बातों में सरकार को किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। अगर कोई सरकार करती है तो गलत करती है क्योंकि हम मानते हैं कि यह विशेषज्ञों का कार्य है। एकेडेमिक मैटर्स में किसी तरह का बाहरी दखल नहीं रहना चाहिए। वाइस-चांसलर की नियुक्ति एलेक्शन से हो या सेलेक्शन से, यह कोई ऐसा विषय नहीं है जिसमें अगर सरकार का कोई हाथ रहे तो उसे एकेडेमिक मैटर्स में हस्तक्षेप माना जा सके। इसलिए मैं समझती हूं कि आप लोगों के दिल में जो शंकायें हैं वाइस चांसलर की इस नयी पद्धति से चुनाव के सम्बन्ध में, कि इससे स्वाधीनता में कमी आती है, यह शंकायें ठीक नहीं हैं। साथ ही साथ में यह कहना चाहती हूं कि सरकार यूनिवर्सिटी की स्वाधीनता को कितना ही बचा कर चले अगर वह देखती है कि किसी यूनिवर्सिटी के प्रबन्ध में धांधली या खराबी है और यह देख कर भी यदि वह निर्लिप्त रहे या उसे ठीक करने की कोशिश न करे तो यह ठीक बात नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। अगर किसी यूनिवर्सिटी के अन्दर धांधली चलती है, लड़कों की पढ़ाई के बजाये और कुछ हो रहा है तो क्या सरकार आंख बन्द करके बैठी रहेगी? सरकार का फर्ज है यह देखना कि यूनिवर्सिटी का काम ठीक तरह से चल रहा है। अगर यूनिवर्सिटी काम ठीक से नहीं कर सकती तो सरकार को कोई न कोई स्टेप लेकर उसे ठीक करना होगा। इस सम्बन्ध में मैं आपको बृटिश यूनिवर्सिटीज के बारे में बताना चाहती हूं कि वहां क्या होता है। इस बारे में सर चार्ल्स ग्रांट राबर्टसन कहते हैं--

"When a University has plainly shown that it has neither the power nor the will to discharge the responsibilities that its privileges imply the State has never hesitated to enforce its rights usually by a Royal Commission followed by a legislation."

क्या यूनिवर्सिटी को आटोनोमी दे दी इसलिए वह धांधली किये जाये और सरकार कुछ न कहे। ऐसे तो देश में बहुत सी आटोनोमस बाडीज आजादी के बाद बना रहे हैं। यह ठीक है डे टू डे ऐडमिनिस्ट्रेशन में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। इन सब आटोनोमस बाडीज

के कामों के ऊपर निगरानी रखना सरकार का इनहेरेन्ट अधिकार है। हां, यह मैं मानती हूं कि यदि कोई संदिग्ध तरीकों से यूनिवर्सिटी के काम में दखल दे तो ऐसा करने से न केवल यूनिवर्सिटी का ही नुकसान होगा परन्तु सारे राष्ट्र का नुकसान होगा। सरकार के पास चाहे कितने ही इन्हेरेन्ट पावर्स हों उनको यह समझना चाहिए कि हमारी अपनी मर्यादायें भी कुछ हैं। उसके बाहर अगर वे जायें तो वह गलत काम करेंगे। इस प्रकार आप देखेंगे कि वाइस-चांसलर के सेलेक्शन से यूनिवर्सिटी की आटोनोमी में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होता।

मैं आशा करती हूं कि इस बिल के पास होने के बाद जो वाइस-चांसलर चुने जायेंगे वे बहुत ऊंचे स्तर के व्यक्ति होंगे। उनमें विद्वता और चरित्र दोनों ही मौजूद होंगे। अगर ऐसे व्यक्ति निष्पक्ष तरीके से काम करने में सफल हों तो यू० पी० की यूनिवर्सिटीज की जो आज बदनामी होती है वह जल्द से जल्द दूर हो जायेगी। मैं जानती हूं कि हमारे नवजवान विद्यार्थिगण को यदि ठीक तरीके पर चलाया जाय और उनके सामने अच्छे आदर्श रखे जायें तो वे बड़ी अच्छी तरह से रेस्पान्ड करेंगे।

एक बात कही गई फ्रीक्वेन्ट लेजिस्लेशन की। मैं भी मानती हूं कि यह ठीक नहीं है। अगर हम हर साल एक कानून बनाते हैं तो कोई ट्रेडीशन बन नहीं पायेगी कोई स्थिरता नहीं आ पायेगी। इसलिए जल्दी जल्दी ऐसे कानून नहीं बनाने चाहिए। मगर किन परिस्थितियों में ये कानून बार-बार बने यह मुझे मालूम नहीं है। मैं इतना अवश्य कहूंगी कि अभी हमको नई नई आजादी मिली है, नये नये आइडियाज हम देश में ला रहे हैं, नयी नयी विचार धारा को ला रहे हैं और उसके मुताबिक अपनी सामाजिक संस्थाओं को नया रूप देने की कोशिश कर रहे हैं। हम नये काम करने में लगे हैं तो हो सकता है कि हमने ज्यादा कानून बना लिये हों। ऐसे तो आजादी के बाद हमने इन थोड़े ही दिनों में कांस्टीट्यूशन में कई तब्दीलियां कीं। जब नये काम किये जाते हैं तो पहले पहले परिवर्तन करना तो स्वाभाविक ही है। मगर हम मानते हैं कि अब ऐसा समय आ गया है जब इतनी जल्दी जल्दी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। मैं आशा करती हूं कि हम सब मिल कर यूनिवर्सिटीज के लिए ऐसे कानून बना पायेंगे जो हमें जल्दी जल्दी नहीं बदलने पड़ेंगे।

एक बात और कही गयी कि गवर्नर क्यों यूनिवर्सिटीज का चांसलर बने। ठीक बात है, और लोग भी बन सकते हैं। गवर्नर को चांसलर इसलिए बनाया जाता है कि वह राष्ट्रपति का नुमायन्दा होने के कारण एक अनअसेलेबुल पोजीसशन रखता है। गवर्नर अच्छे लोग ही चुने जाते हैं। राह चलते लोग नहीं चुने जाते। कोई कोई गवर्नर तो हमारे यहां ऐसे हैं जो यूनिवर्सिटी के वाइस-चांसलर भी रह चुके हैं जैसे डाक्टर जाकिर हुसेन बिहार में हैं। गवर्नर को चांसलर करने में एक सहूलियत है कि यूनिवर्सिटी में गवर्नमेंट का पैसा जो जाता है उस पर कुछ कंट्रोल जो होना आवश्यक है वह बना रहता है। यूनिवर्सिटी और सरकार के बीच में एक कोआर्डीनेटिंग फैक्टर होता है। मैं चाहूंगी कि चांसलर अवश्य ही ऐसा व्यक्ति हो जो अपनी खुद की राय रखे। अगर वे अच्छे आदमी हैं तो कोई उनकी बात टाल नहीं सकता। इस परिस्थिति में इस समय अगर गवर्नर यूनिवर्सिटी के चांसलर रहें तो इसमें यनिवर्सिटी और सरकार दोनों का फायदा है, कोई नुकसान नहीं।

इन सब कारणों से मैं यह निवेदन करूंगी कि आप लोग इस बिल को एक संकुचित दृष्टिकोण से न देखें। इस दृष्टिकोण से हम कई साल काम कर चुके हैं अब हम एक नया चैप्टर खोलें। यूनिवर्सिटीज में हमारे बच्चे पढ़ते हैं। इसलिए हमारे बच्चे हमारे आदर्श को देख कर ही अपनी जिन्दगी बनायेंगे। हम लोग ऐसा वातावरण पैदा करें जिससे हमारे बच्चों की जिन्दगी अच्छी हो। जो कुछ तरमीम आप इस बिल में करें वह इसी खयाल से करें। इस खयाल से न करें कि वाइस-चांसलर फला पार्टी का हो या न हो। यह छोटी बातें हैं। इसी मकसद को रख कर आप लोग सोच विचार कर इस बिल पर बहस कीजिए। इन शब्दों के साथ में सिफारिश करती हूं कि आप लोग हमारे इस प्रस्ताव को स्वीकार करें।

*श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से माननीय गौरीशंकर राय जी के प्रस्तुत संशोधन का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। श्रीमन्, अभी अभी आपने और इस आदरणीय सदन के सभी माननीय सदस्यों ने आदरणीय मंत्राणी जी के—मैं समझता हूं कि दस वर्ष के बाद—प्रथम भाषण को इस सदन में सुना है। व्यक्तिगत रूप से मैं समझता हूं कि मुझे भी तथा सदन के सभी माननीय सदस्यों को उस भाषण को सुनकर प्रसन्नता हुई होगी। मैं उनके द्वारा व्यक्त सभी विचारों से सहमत हूं कि आज जो विश्वविद्यालयों का दूषित वातावरण है उसे समाप्त होना चाहिये।

मैं इस बात से भी सहमत हूं कि आज जो हमारे यहां शिक्षा की व्यवस्था है और जिस प्रकार से संवैधानिक रूप से हमें चलानी चाहिये, वह प्रश्न दलीय प्रश्न है, पार्टी पोलिटिक्स का प्रश्न नहीं है। वह कम्युनिस्ट, सोशलिस्ट, प्रजा सोशलिस्ट, जनसंघ या कांग्रेस का प्रश्न नहीं है और मैं उनको तथा सरकार को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इधर के बैठे हुये माननीय सदस्यों का उद्देश्य कभी भी विश्वविद्यालयों के विषय में दलगत दृष्टिकोण नहीं रहता है, चाहे वह १९५४ का इलाहाबाद संशोधन विधेयक हो, चाहे वह लखनऊ विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक हो, चाहे वह वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय विधेयक हो, चाहे गोरखपुर विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक और मूल विधेयक रहा हो, हम इस पक्ष के बैठने वालों ने सदा एक ही परिपाटी को निश्चित रूप से अपनाया है, उन्हीं सिद्धान्तों का बार-बार मूल्यांकन किया है और उन्हीं सिद्धान्तों को बार-बार दुहराया है जिसको कि आज उस पक्ष की ओर से कहा गया है। अगर यह वर्तमान सरकार यह समझती है कि विश्वविद्यालयों में या शिक्षा व्यवस्था में जो आज दोष है या जो आज दूषित वातावरण है वह केवल एक वाइस-चांसलर कौन हो, कौन न हो, उसके चुनाव और चयन की परिपाटी क्या हो, किस प्रकार वाइस-चांसलर चुना जाय, अगर यही मूल दोष विश्वविद्यालय की शिक्षा व्यवस्था का है और अगर सरकार यह समझती है तो हम सरकार से इसमें सहमत नहीं है। हमारे विचार से वाइस-चांसलर किस प्रकार चुना जाय या एक अच्छा से अच्छा वाइस-चांसलर भी अगर आज आप बैठा दें सेलेक्शन की प्रणाली से भी, तो भी वह वर्तमान शिक्षा व्यवस्था के दूषित वातावरण को बदलने में अपना एक व्यक्तिगत आदर्श तो प्रस्तुत करने में सहायक हो सकता है लेकिन वह उस व्यवस्था को बदलने में सहायक नहीं हो सकता। उसके लिए समस्त शिक्षा व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन लाना होगा जिसके लिए कि यह वर्तमान सरकार तैयार नहीं है।

दूसरी ओर, अगर सरकार यह समझती है कि इस प्रकार पांचों विश्वविद्यालयों में आचनक सभी वाइस-चांसलर का टर्म खत्म कर देने से या उनकी अवधि समाप्त कर देने से विश्वविद्यालयों की समस्यायें हल हो जायेंगी तो मैं यह निवेदन करना चाहूंगा बहुत ही नम्रतापूर्वक कि सरकार की यह केवल आत्मप्रवंचना है अगर वह यह समझती है कि इससे सारी समस्यायें हल हो जायेंगी। क्योंकि आज विश्वविद्यालयों की समस्या ऐसे वाइस चांसलरों का होना ही नहीं है बल्कि वहां पर अध्यापकों और विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान किस प्रकार हो, विद्यार्थी अनुशासन की बहुत बात कही जाती है, उसका समाधान किस प्रकार हो, यूनिवर्सिटी में रिसर्च के लिए और लेबोरेटरीज के लिए कौन से तरीके हो सकते हैं, उनका समाधान क्या हो, परीक्षा प्रणाली क्या हो, ऐडमीशन प्रणाली क्या हो, किस प्रकार टीचर्स के सेलेक्शन की प्रणाली हो और फिर जो उच्च शिक्षा प्रणाली यूनिवर्सिटी की है उसका जो हेलमेल है वह सेकेंड्री एजूकेशन सिस्टम से है और आगे चलकर प्राइमरी और बेसिक एजूकेशन सिस्टम से है, तो इस प्रकार जब हम सारी शिक्षा व्यवस्था का सुधार करें तभी हम आज जो विश्वविद्यालयों की शिक्षा व्यवस्था में दूषित वातावरण है उसको समाप्त कर सकते हैं। श्रीमन्, जो सबसे बड़ा दोष मैं देखता हूं वह यही है कि वर्तमान सरकार ने आते ही आते यह समझा कि हम अगर इस प्रकार का एक विधेयक लाकर के ऐसा परिवर्तन कर देंगे तो इससे ही सारी व्यवस्था का सुधार कर लेंगे। इसलिए मैं बड़ी विनम्रता के साथ अपनी असहमति इन मूल सिद्धान्तों के सम्बन्ध में व्यक्त करता हूं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्रीमन्, यह दलगत राजनीति का प्रश्न नहीं है, तो फिर इस सरकार को इसे एक सेलेक्ट कमेटी में भेजने से एतराज क्यों है ? यह विधेयक बड़ी जल्दी में तैयार किया गया है। यह विधेयक केवल सरकार की ओर से तैयार किया गया है और अगर इस पर कुछ विचार हुआ है तो केवल कांग्रेस पार्टी में आन्तरिक रूप से कुछ विचार हुआ है। कांग्रेस पार्टी के अन्दर भी कोई सेलेक्ट कमेटी नहीं बैठी कि जिसने इस पर विचार किया हो। तो अगर जैसा कि आदरणीया श्रममंत्री जी ने स्वतः कहा कि दलगत राजनीति को वह नहीं मानतीं तो फिर मैं तो यह कहूंगा कि सरकार की तरफ से जो इस पर विचार करने का प्रस्ताव है उसे वह वापस ले ले और माननीय गौरीशंकर राय जी के प्रस्ताव को वह स्वीकार करें जिससे कि यह प्रवर समिति में जाय जहां दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सभी पक्षों के लोग वहां बैठें, एक शान्त वातावरण में, गम्भीर वातावरण में, जो कमेटी ऐटमास्फेयर कहलाता है जहां किसी दल का प्रश्न नहीं, कोई विरोध का प्रश्न नहीं, वहां हम इस पर विचार करें और विचार करने के बाद सात दिन के अन्दर या दस दिन के अन्दर इसकी रिपोर्ट आ जाय। तो एक निर्दलीय वातावरण में बैठकर इस पर विचार करने में सरकार को क्या आपत्ति है ?

श्रीमन्, नयी सरकार पार्लियामेंट्री पद्धति को मानने की बात कहती है और दो चार बातें उन्होंने ऐसी दिखायी भी हैं जिसका कि स्वागत होना चाहिए। तो आप देखें कि हाउस आफ कामन्स में प्रत्येक बिल स्टैंडिंग कमेटीज को जाता है। कोई विधेयक वहां ऐसा नहीं होता कि जो स्टैंडिंग कमेटीज को न जाय जिसे कहते हैं अपस्टेयर्स जाना, दि बिल हैज गान अपस्टेयर्स। हमारे यहां वह प्रणाली नहीं है। उनकी और सारी बातों को हमने स्वीकार किया है, लेकिन इस बुनियादी बात को हमने स्वीकार नहीं किया है। खैर, सभी बिलों को न जाने दें, लेकिन विश्वविद्यालय विधेयक जो पांच पांच विश्वविद्यालयों के विधान में परिवर्तन करने वाला है, ऐसा महत्वपूर्ण विधेयक भी प्रवर समिति में हम न भेजें, तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि हम कैसे पार्लियामेंट्री पद्धति को मानने वाले हैं और कुछ मुझे, गुस्ताखी माफ हो, सन्देह होने लगता है कि हम कहां तक दलगत राजनीति के ऊपर जा रहे हैं।

फिर श्रीमन्, यह बात भी देखने की है कि जितनी बार इस सदन के सामने विश्वविद्यालय विधेयक आये हैं वह सब प्रवर समिति में गये हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय विधेयक, लखनऊ विश्वविद्यालय विधेयक और आगरा विश्वविद्यालय विधेयक, ये तीनों विधेयक संयुक्त प्रवर समिति में इसी सदन ने भेजे हैं। जब वह आये तब उस समय आपका भी सहयोग और आपके विचारों का आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ था। आप भी उस सेलेक्ट कमेटी के मेम्बर थे। आदरणीय पन्त जी उस सेलेक्ट कमेटी के कन्वीनर रक्खे गये। उसका इतना महत्व हुआ था कि पन्त जी ने इस बात को स्वीकार किया कि वह उस ज्वाइन्ट सेलेक्ट कमेटी के कन्वीनर हुये। माननीय चन्द्रभानु गुप्त जो आज मुख्य मंत्री हैं और आचार्य जुगल किशोर जो आज शिक्षा मन्त्री हैं वे सब उस ज्वाइन्ट सेलेक्ट कमेटी के मेम्बर थे। डेढ़ महीने तक उस विधेयक पर विचार किया गया।

अगर मैं कोई गुप्त विषय का उल्लेख नहीं करता तो २, ३ दिन तक केवल वाइस-चांसलर के एलेक्शन या सेलेक्शन के विषय पर उस समय परामर्श हुआ था। उस समय राधाकृष्णन् कमीशन की रिपोर्ट के कोटेशन पढ़े गये थे जिसको आज माननीया मन्त्री जी ने पढ़ा है। उस समय भी हमने मूथम कमीशन की रिपोर्ट का हवाला दिया था और एक रास्ता निकाला गया था। इन कांग्रेसी पक्ष के लोगों ने उस समय कहा था कि सबसे अच्छा तरीका यही है उपकुलपति के चुनाव का कि एक्जिक्यूटिव कौंसिल तीन नाम भेजे। अगर उन पर वह एकमत न हो तो फिर १५ दिन के बाद विचार करे और फिर तीन नाम भेजे। योग्यता के क्रम से भेजे और चांसलर के पास भेजे। उस समय बड़े ऊंचे स्वरों में बड़े ही सुन्दर मंजे परिकृष्ट शब्दों में हमारे माननीय मित्रों ने कहा था कि पुराना सिस्टम गलत है। उस समय आदरणीया मन्त्री जी दिल्ली में थीं। उस समय सरकारी पक्ष की ओर से यह कहा गया था कि सबसे अच्छा तरीका विश्वविद्यालयों के उपकुलपति के चुनने का यही है। और उस समय सदन ने

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

उसको माना और बहुमत से माना। फिर यही सरकार और यही मन्त्री बदले और उसी पक्ष की सरकार में पार्टीबाजी हो गयी और दलगत राजनीति हो गई और उसको बदल दिया।

अब तीसरी बार वही पक्ष उसी मूथम और राधाकृष्णन् कमीशन के नाम पर एक नया फार्मूला हमारे सामने रख रहा है। मैं कैसे कहूं। मैं तो यह कहूंगा कि यह हमारे सामने बैठने वाले पक्ष की असफलताओं का बड़ा भारी नमूना है और शिक्षा जगत में सुधार करने की उनकी नीति की असफलताओं का सबसे बड़ा नमूना है। मैं जानता हूं कि अगस्त, सितम्बर या अक्तूबर मास में इस विधेयक के पास होने के बाद उस कमीशन की रिपोर्ट आयेगी तो फिर एक नया संशोधन विधेयक हमारे सामने आयेगा और फिर हमारे सामने उपमंत्री जी शायद वही कहेंगे कि अभी तक जितने कमीशन थे वह सब गलत थे और अब यह जो नया कमीशन बैठा है इसकी रिपोर्ट ही असल में विश्वविद्यालयों में सुधार करने का सबसे अच्छा नमूना रख रहा है और इसको स्वीकार किया जाय, सेलेक्ट कमेटी में न भेजा जाय।

अब श्रीमन्, इस विधेयक में माननीय मंत्री जी ने यह कहा कि आटोनामी का इसमें हनन नहीं हो रहा है और केवल वाइस-चांसलर के सेलेक्शन की बात है। वाइस-चांसलर के सेलेक्शन की प्रणाली को निश्चित करने से विश्वविद्यालय की आटोनामी का हनन नहीं होता। मैं विनम्र शब्दों में यह कहूंगा कि मैं इस विचार से सहमत नहीं हूं। उसी राधाकृष्णन् कमीशन की रिपोर्ट में यह लिखा है जिसका उल्लेख माननीया मन्त्री ने किया कि वाइस चांसलर विश्वविद्यालय के सभी कार्यों का केन्द्र बिन्दु है। जब वह उसके कार्यों का केन्द्रबिन्दु है तो उसकी नियुक्ति किस प्रकार की जाय, यह विषय विश्वविद्यालय के प्रबन्ध से अलग कैसे है? विश्वविद्यालय के रोजमर्रा के काम से या उसकी व्यवस्था से, उसके शैक्षिक, आर्थिक और आन्तरिक संगठन से वह किस प्रकार भिन्न है? मैं अपनी मन्द बुद्धि के अनुसार इसको समझने में असमर्थ हूं।

शायद सरकार यह समझती हो कि वाइस चांसलर का सेलेक्शन या एलेक्शन यूनिवर्सिटी से संबंध नहीं रखता क्योंकि तभी तो यूनिवर्सिटी की आटोनामी का हनन नहीं हो सकता। एब्सोल्यूट आटोनामी की बात कही गयी। यह बात सही है कि आटोनामी शब्द के साथ किसी ने भी एब्सोल्यूट शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। कहीं पर भी, किसी भी विद्वान् ने कभी नहीं कहा है कि यूनिवर्सिटीज को एब्सोल्यूट आटोनामी दी जानी चाहिये। जो एब्सोल्यूट आटोनामी का जिक्र किया जा रहा है, उसके लिये किसी पक्ष से भी किसी सदस्य ने भी नहीं कहा कि यूनिवर्सिटीज को एब्सोल्यूट आटोनामी होनी चाहिये। आटोनामी एक शब्द है, स्वायत्तता एक शब्द है, एक निश्चित शब्द है और उसका उसी अर्थ में प्रयोग होना चाहिए। लेकिन किस प्रकार होना चाहिये, कब होना चाहिये।

श्रीमन्, अगर हम इतिहास को देखें, मैं जर्मन या इंग्लैंड के कोटेशन्स नहीं दोहराना चाहता, लेकिन क्या यह सही नहीं है कि विश्वविद्यालयों में जो स्वतंत्रता थी उससे सारे देशों में, संसार भर में सामाजिक क्रांतियां हुई हैं, चाहे वह औद्योगिक क्रान्ति हो या सामाजिक क्रान्ति रही हो अथवा राजनैतिक क्रान्ति रही हो, उसका पहला प्रकाश स्फुलिंग अगर प्रज्वलित हुआ है तो विश्वविद्यालयों में हुआ है। विश्वविद्यालयों की स्वतंत्रता हमेशा समाज को अग्रसर करती आयी है, अग्रगामी करती आयी है और अगर हम बार-बार विश्वविद्यालयों का विधान बदल कर लुंजपुंज कर दें, कुंठित कर दें, अगर हम विश्वविद्यालयों के अध्यापकों के स्तर को बंधन में ला दें, मैं मोरेल शब्द का प्रयोग नहीं करूंगा, किन्तु यदि संकुचित दृष्टिकोण से हम यह भी कहें कि उनको मोरेल को ठीक करना है, तो विषमता हम में है, हमारे समाज में है, और जो बुनियादी चीज है उससे हम उनको अलग नहीं कर सकते। जो हमारी योग्यता के केन्द्र हैं, क्रीम आफ दि सोसाइटी जिन्हें हम कह सकते हैं, वे अध्यापक अगर ऐसे हैं और उनको हम ठीक करना चाहते हैं तो हम कहां अलग रह जाते हैं?

लोग यह कहते हैं कि पोलिटीशियन टीचर्स हर जगह डामिनेट कर रहे हैं, अगर यह शिकायत है तो पालिटीशियन टीचर तो यहां भी बहुत हो गये हैं और हम लोगों में जो ऐसे हैं उन पर भी यह दोष आता है और इस तरह हम सारी पार्लियामेंटरी, जनतांत्रिक प्रणाली पर कुठाराघात करते हैं। इसलिये हम आटोनामी के प्रश्न पर भी उसी बुनियादी दृष्टिकोण से विचार करें, देखें कि सब से बड़ा कुठाराघात कहां हो रहा है। मैं जोर देकर कहना चाहता हूं कि चांसलर को ही सारी ताकत दी जा रही है। चांसलर का नामिनी कन्वीनर होगा सेलेक्शन कमेटी का जो वाइस चांसलर का चुनाव करेगी और चांसलर कौन होगा? गवर्नर। यह तो मानी हुई बात है। तो कांस्टीट्यूशन के अनुसार गवर्नर अपने डिस्क्रिशन के अनुसार काम नहीं कर सकता। मैं, श्रीमन्, आपकी सेवा में संविधान की धारा १६३ (१) रखना चाहता हूं और सदन का ध्यान उस ओर दिलाना चाहता हूं। उसमें लिखा हुआ है कि "जिन बातों में इस संविधान द्वारा या इसके अधीन राज्यपाल से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपने कृत्यों अथवा उनमें से किसी को स्वविवेक से करे उन बातों को छोड़ कर राज्यपाल को अपने कृत्यों का निर्वहन करने में सहायता और मंत्रणा देने के लिये एक मंत्रि-परिषद् होगी जिसका प्रधान मुख्य मंत्री होगा।" जिन कार्यों की उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे अपने स्वविवेक से करेंगे उनके अलावा और कोई भी कार्य गवर्नर अपने स्वविवेक से संविधान के अनुसार नहीं कर सकते। यह प्राहिबिटिंग क्लाज है। श्रीमन्, इस संविधान में कहीं भी यह नहीं है, चाहे अनुच्छेद ७ देख लिया जाय, या और दूसरे देख लें, कहीं भी नहीं है कि गवर्नर अगर किसी यूनिवर्सिटी का चांसलर होगा तो वह अपने डिस्क्रिशन से काम करेगा। यह कहीं नहीं लिखा है। तो नतीजा यह होगा कि गवर्नर का चांसलर के रूप में कार्य यह एक एग्जीक्यूटिव फंक्शन आफ दि स्टेट हो जाता है जिसमें संविधान के दूसरे प्राविजन्स लागू होते हैं। इसलिये हमारी आदरणीय मंत्राणी जी की सलाह कि अच्छे से अच्छे, योग्यतम व्यक्ति जो पहले वाइस चांसलर रहे हैं, अगर उनको भी हम चांसलर बना दें कांस्टीट्यूशन के प्राविजंस के आधार पर, तो वह मजबूर होगा कि सरकार की सलाह ले और उसकी सलाह पर चले।

जिस प्रकार यहां पर माननीय राज्यपाल भाषण देते हैं और वह वास्तव में सरकार का ही भाषण समझा जाता है, जिस प्रकार हजारों आदेश माननीय राज्यपाल के नाम से निकाले जाते हैं, और वे वास्तव में सरकार के आदेश होते हैं, राज्यपाल महोदय को उनका पता तक नहीं होता, उसी तरह उनके सेलेक्शन में भी यह सरकार जो उनको सलाह देगी वही राज्यपाल महोदय स्वीकार करेंगे। उसी को उनको मानना पड़ेगा। मुझे जहां तक सूचना है, ऐसा भी हुआ है कि राज्यपाल महोदय और सरकार के बीच कुछ मतभेद भी हुआ है, किन्तु आखिर में राज्यपाल महोदय को सरकार की राय ही को मानना पड़ा है। हमारे संविधान की यह मजबूरी है।

तो, श्रीमन्, आज इस विधेयक के द्वारा जहां यह किया जा रहा है कि चांसलर ही वाइस चान्सलर को चुनेंगे, वहां दूसरी ओर यह भी अधिकार उनको दिया जा रहा है कि एफिलिएशन का अधिकार भी उनको ही होगा जिसको कि अब तक वहां की एक्जीक्यूटिव काउन्सिल करती थी। जो शुरू-शुरू में क्लाज रखा गया है उसमें यही है कि लखनऊ विश्वविद्यालय और इलाहाबाद विश्वविद्यालय से जो कालेज एफिलिएटेड होंगे, उनको भी चांसलर ही करेंगे। इसका मतलब तो यह हुआ कि आप एकेडेमिक आटोनामी भी लेना चाहते हैं।

अभी तक, श्रीमन्, आगरा यूनिवर्सिटी का यूनिटरी करैक्टर रहा है और गोरखपुर भी उसी तरह की यूनिवर्सिटी है और लखनऊ तथा इलाहाबाद की यूनिवर्सिटियां इस बात का सदा विरोध करती रही हैं और इसलिये विरोध करती रही हैं कि हम अपनी यूनिवर्सिटियों को एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी नहीं बनाने देंगे। तो यह अधिकार भी आज चांसलर महोदय को दिया जा रहा है जो एक तरह से सरकार ही ले रही है।

जहां उद्देश्य और कारण बताये गये हैं वहां एक यह चीज लिखी हुई है—

"नेशनल कालेज आफ होम्योपैथिक मेडिसिन, लखनऊ को आगरा यूनिवर्सिटी से सम्बद्ध किया जा रहा है.....।"

शिक्षा उपमंत्री (श्री रामस्वरूप यादव)—उन्होंने अपनी कन्सेन्ट दे दी है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—वह तो आपने मांगी होगी, उन्होंने दे दी।

तो मैं यह कह रहा था कि एफिलिएट करने का भी अधिकार सरकार ने लिया है।

दूसरी बात जो अत्यन्त महत्वपूर्ण है वह यह है कि जितने भी कमीशन बैठे हैं उन्होंने इस बात को कभी नहीं कहा है कि वाइस-चांसलर के चुनाव में जो विश्वविद्यालय के अधिकारी होंगे उन्हें अपनी राय देने से वंचित कर दिया जायेगा राधाकृष्णन् कमीशन ने भी यही कहा है कि एक्जीक्यूटिव कमेटी यूनानीमस होकर नाम भेजेगी। माननीय मन्त्री जी ने दिल्ली के पैटर्न को बताया और कहा कि उसमें हमने थोड़ा सा फर्क रखा है। दिल्ली वाली कमेटी में २ आदमी एक्जीक्यूटिव कमेटी के और एक बाहर का है। यानी बहुमत एक्जीक्यूटिव कमेटी का है। यहां पर आपने एक ही आदमी एक्जीक्यूटिव का रखा है और दो बाहर के रखे हैं। मैं तो यह कहूंगा कि आप इस एक आदमी को भी डिलीट कर दीजिये।

आटोनामी का तो मतलब ही नहीं। एक्जीक्यूटिव कमेटी भी वापस ले लीजिये। दो आदमी बाहर के और एक एक्जीक्यूटिव कमेटी का। राधाकृष्णन कमीशन रिपोर्ट के सब ने कोटेशन पढ़े। पता नहीं कैसे पढ़ा जाता है। मैं तो इस बात का आदी हूं कि सारा चैप्टर पढ़ा जाय और उसको देख कर राय बनायी जाती है। उनके पास जो रिपोर्ट है उसमें से शायद इस पेज को काट दिया है, जिसके आधार पर यह बिल बनाया गया है। उन्होंने एक कोटेशन पढ़ा है, मैं भी एक कोटेशन पढ़े बिना तो रहूंगा नहीं, क्योंकि वह तो उन्होंने छोड़ ही दिया—

"The deplorable effect on a University when the appointment of its chief officer becomes a prolonged intrigue for power have led many of our witnesses to urge that the task of choosing the Vice-Chancellor should be taken out of the University's hands and given to an external body like the Public Service Commission".

जो इस प्रकार वहां शक्ति प्राप्त करने की होड़ होती है, उसको देख कर बहुत से गवाहों ने कहा कि बाहर की संस्थाओं से लेकर यह पब्लिक सर्विस कमीशन को दे देना चाहिये।

"In the State Universities, as it is, a Vice-Chancellor is externally appointed".

सरकारी विश्वविद्यालयों में वाइस-चांसलर बाहर से नियुक्त किया जाता है। अब जरा गौर करें।

"After careful consideration, we reject this idea, feeling in the first place, that a Vice-Chancellor for whose appointment the University is responsible will find it easier to gain the responsibility and confidence of his colleagues; and secondly, that it is really the part of a University's duty to learn how to choose its own Vice-Chancellor wisely and that therefore deprive it of this duty would be a council of despair".

उन्होंने दो कारण बतलाये कि जो वाइस-चांसलर हो जिसको बनाने की यूनिवर्सिटी की जिम्मेदारी हो, उसको ऐसा होना चाहिये जो अपने साथी, अध्यापकों का विश्वास प्राप्त करने वाला हो और ऐसा न हो कि यूनिवर्सिटी को अधिकार भी न हो जैसा कि सदन से कहा जाय कि सदन चीफ मिनिस्टर एलेक्ट नहीं कर सकता, तो एक भी सदस्य ऐसा नहीं होगा जो इसका विरोध न करे।

श्री रामायणराय—ये बाहर से ही एप्वाइंट किये गये हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी—खैर, वह दूसरी बात है। राधाकृष्णन कमीशन ने कहा कि उनको अधिकार न हो, बाहर से कमेटी एप्वाइंट की और वह चुने तो उसके लिय उन्होंने कहा है कि यह "It is a matter of great depair" है।

जब कोई रास्ता नहीं रहा तो यह डेस्पेयर वाली बात कही। श्रीमन्, कौन एप्वाइंट कर रहा है वाइस चांसलर को? जब नाम वह कमेटी भेजे जिसमें दो बाहर के और एक यूनिवर्सिटी का होगा और उसको चांसलर जोकि गवर्नर साहब हैं वह सेलेक्ट करें तो कौन एप्वाइंट कर रहा है? हमारे आदरणीय शिक्षा मंत्री जी वाइस-चांसलर को नियुक्त कर रहे हैं यह इसका सीधा-सादा अर्थ है, जोकि दिल्ली में नहीं, राजस्थान में नहीं, कहीं भी नहीं है।

अब कहा जाता है कि गोरखपुर पैटर्न सदन ने मंजूर कर लिया है, लेकिन जब गोरखपुर बिल आया था तो उस वक्त भी हम लोगों ने इधर से उसका विरोध किया था। यह गलत है कि सभी पक्षों ने सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया था। फिर गोरखपुर विश्वविद्यालय में जो परिपाटी वाइस-चांसलर के चुने जाने की है वहां वाइस-चांसलर की टर्म को क्यों कम किया जा रहा है? यानी यह देखिये कि जो धारा ८ है वह गोरखपुर विश्वविद्यालय पर भी लागू हो जाती है।

श्री रामस्वरूप यादव—वह एलेक्टेड नहीं है, वह नामिनेटेड हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी—तो एलेक्टेड करवाइये, गोरखपुर यूनिवर्सिटी के आधार पर कराइये।

श्री रामस्वरूप यादव—अब सब एक से हो जायंगे।

श्री नारायणदत्त तिवारी—तो वहां यह नियम है। श्रीमन्, चांसलर महोदय को एक और अधिकार इसमें दिया गया है जोकि इमरजेंसी प्राविजन है। श्रीमन्, आजतक संसार के किसी विश्वविद्यालय में भी यह इमरजेंसी का प्राविजन नहीं है। मैं जानना चाहूंगा कि किस कमीशन ने, किस कमेटी ने व्यवस्था की है कि चांसलर महोदय को इमर्जेंसी प्राविजन दे दिया जाय। जब कभी चुनाव नहीं हो सकेगा कुछ टाइम के लिये तो चांसलर महोदय वाइस-चांसलर नामिनेट कर दें। आजतक संसार भर में किसी विश्वविद्यालय में यह प्राविजन देखने को नहीं मिलेगा कि चांसलर संक्रमणकाल में वाइस-चांसलर को नामिनेट कर सकें। माननीय मंत्री जी ने तर्क दिया कि रजिस्ट्रार वाइस-चांसलर हो जायगा, इसको रोकने के लिये चांसलर को ताकत दी है। मैं तो कहूंगा कि आप विधायिका शक्ति के ऊपर अन्याय कर रहे हैं और जो गवर्नमेंट की लेजिस्लेटिव कैपेसिटी है, क्या पुराने अधिनियमों में कहीं आपने ऐसी गुंजाइश रखी थी? मैं तो नहीं देखता, कहीं भी ऐसा नहीं था, केवल एक आध दिन या कुछ घंटों के लिये रजिस्ट्रार वाइस-चांसलर के कृत्य सम्पन्न कर सकते हैं, ड्राफ्ट वगैरह साइन कर सकते हैं, लेकिन किसी यूनिवर्सिटी बाडी पर प्रेसाइड नहीं कर सकते ....

श्री रामस्वरूप यादव—यह तो सही है।

श्री उपाध्यक्ष—माननीय उपमंत्री जी से मैं निवेदन करूंगा कि वह बीच-बीच में न बोलें। अन्त में उन्हें उत्तर देने का मौका मिलेगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी—वह हाउस आफ कामन्स की किसी और परिपाटी का अनुसरण नहीं करते, केवल इंटरप्शन वाली परिपाटी ही मानते हैं।

श्रीमन्, ये एक और नयी बात लाये कि वाइस-चांसलर का टर्म बजाय ५ साल के तीन साल कर दिया, लेकिन दो बार न चुना जाय उस क्लाज को छोड़ दिया। इसी सरकार ने पहले कहा था कि पार्टीबाजी को कम करने के लिये यह जरूरी है कि एक वाइस-चांसलर ५ साल से ज्यादा नहीं रखना चाहिये। बड़े जोर-शोर से हमारे शिक्षा मंत्री जी ने इसी सरकार में कहा था कि पांच साल इस लिये कर रहे हैं ताकि पार्टीबाजी न हो। जब दोबारा चुनने की बात होगी तभी वह सांठ-गांठ करेगा, पार्टीबाजी करेगा। उन्होंने इस बात को ग्रुप पालिटिक्स के लिये कुठार माना था और अब फिर ग्रुप पालिटिक्स लाने के लिये यह प्रबन्ध किया जा रहा है कि उप-कुलपति दोबारा चुने जा सकते हैं, लेकिन उनका टर्म तीन साल कर दिया। जैसा कि संत विनोबा जी कहते हैं कि हमारे यहां प्रजातंत्र का अर्थ यह है कि

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

चुनाव के समय, उसके पहले और उसके बाद । एक साल तो चुनाव का, एक साल चुनाव के बाद का और एक साल चुनाव के पहले का, इस प्रकार से तीन साल के चुनाव का पूरा मूल्यांकन हो गया। तो यह जो कदम उठाया गया है इसको किस प्रकार से प्रगतिशील माना जाय, इसका विश्लेषण कर दें। यह पार्टीबाजी बढ़ाने वाला कदम है। आजकल चांसलर या किसी के लिये सिफारिश की छूट तो नहीं है, अब दोबारा मार्ग खुल गया है जिसे सन् १९५४ में माननीय पं० गोविन्द वल्लभ पंत, श्री चन्द्रभानु गुप्त और आचार्य जुगलकिशोर ने ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी में बन्द किया था। वह मार्ग अब फिर खुल गया है ।

अब श्रीमन्, यूनिवर्सिटी आटोनामी की बात एक्जीक्यूटिव कौंसिल में आती है। राधाकृष्णन कमीशन ने और सभी ने कहा है और मैं समझता हूं शायद माननीय मंत्री जी भी कहेंगे कि इंटर्नल और एक्सटर्नल जो तत्व हैं उनका बैलेन्स होना चाहिये। अगर २४ की एक्जीक्यूटिव कौंसिल हो तो १२ बाहरी सदस्य रहें, लेकिन १३ सदस्य ऐसे हों जिनका यूनिवर्सिटी से संबंध हो। अब इसमें क्या हो रहा है ? मैंने अलग-अलग विश्वविद्यालयों का हिसाब लगाया है। आगरा यूनिवर्सिटी की कमेटी में जो लोग बढ़ने वाले हैं उनकी वजह से वहां के लोग अल्पमत में हो जायेंगे। दो सरकारी नुमाइंदे वहां पहुंच जायेंगे और इस तरह से १३ आउट साइडर्स वहां हो जायेंगे। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में भी बाहर के चार लोग पहुंच जायेंगे डाइरेक्टर आफ एजूकेशन, डायरेक्टर आफ मेडिकल ऐण्ड हेल्थ सर्विसेज, प्रिंसिपल इंजीनियरिंग कालेज जो सरकारी नुमाइंदा होगा और प्रिंसिपल कान्स्टीटुयेंट कालेज । इन चार नये के बढ़ जाने का नतीजा यह होगा कि बाहरी व्यक्तियों का वहां बहुमत हो जायगा।

मैं माननीय गोविन्द वल्लभ पंत की राय को पढ़ देना चाहता हूं। इस पर उनके दस्तखत हैं। इसमें लिखा हुआ है—

"एक्जीक्यूटिव का संविधान व्योरे के साथ धारा २० में उल्लिखित होना चाहिये और बाहरी और भीतरी सदस्यों में समानता के हितों, कुलपति द्वारा नामांकित सदस्यों की संख्या, फैकल्टियों के डीनों की संख्या के बराबर होनी चाहिये।" यह सेलेक्ट कमेटी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बारे में भी थी और लखनऊ यूनिवर्सिटी के बारे में भी । इस सिद्धांत को सदन की प्रवर समिति ने स्वीकार कर लिया था कि एक्जीक्यूटिव में बाहरी और भीतरी लोग बराबर होने चाहिये ।

इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के विधेयक में लिखा हुआ है—

"Persons less in number by one than the Deans of Faculties to be nominated by the Chancellor".

एक डीन आफ फैकल्टी को इसी समानता के लिये मेम्बरी से वंचित कर दिया गया था नहीं तो सभी को मेम्बर होना चाहिये था। सदन ने इस समानता के प्रिंसिपल को स्वीकार किया था और यह भी स्वीकार किया था कि बाहरी सदस्यों का बहुमत एक्जीक्यूटिव में नहीं होना चाहिये।

एक्जीक्यूटिव की रचना का, उसके ढांचे का प्रभाव सारे यूनिवर्सिटी जीवन पर पड़ता है। उसी एक्जीक्यूटिव और एकेडेमिक कौंसिल पर सरकारी दखल हो रहा है। मैं चाहता हूं कि या तो माननीय मंत्री जी हमारी मांग को स्वीकार करें और इस बिल को सेलेक्ट कमेटी में भेज दें वरना सरकार यह बताये कि कितनी एक्जीक्यूटिव में बाहरी मेम्बरों की संख्या अधिक होगी। इस बहुमत को करने की उनको क्या आवश्यकता पड़ी ?

श्रीमन्, वाइस-चांसलर के चुनाव का ही तरीका नहीं है, डीन आफ फैकलटीज भी चुने जाते हैं। अगर कोई वाइस-चांसलर नहीं हो सकता है तो अध्यापक की यह दिली ख्वाहिश होती है कि वह डीन आफ फैकल्टी हो जाय या हेड आफ दि डिपार्टमेंट हो जाय, यद्यपि उसका सम्मान उनसे किसी तरह से भी कम नहीं होता। अब डीन आफ फैकल्टीज सीनियारिटी के

आधार पर चुने जाते हैं और इस विधेयक के आधार पर भी चुने जायेंगे, लेकिन आज तक कोई झगड़ा डीन आफ फैकेल्टी के विषय में नहीं है, क्योंकि सीनियर मोस्ट डीन, डीन आफ फैकल्टी नियुक्त हो जाता है। इसी प्रकार से हेड आफ दि डिपार्टमेंट भी होता है। अधि-नियम में यह लिखा हुआ है कि अपने कैडर में जो सीनियर मोस्ट है वह हेड आफ दि डिपार्टमेंट हो जायगा। इसमें कोई झगड़ा है तो तरीके निकल सकते हैं जिनके जरिये से वाइस-चांसलर के चुनाव की पद्धति को भी स्पष्ट करें, लेकिन एक्जीक्यूटिव कौंसिल को बिलकुल वंचित करने की बात, वाइस चांसलर के चुनाव से, मैं समझता हूं कि यह बिलकुल अन्यायपूर्ण है। मुझे व्यक्तियों से कोई मतलब नहीं है, मैं नहीं कहता कि इसके लिये कौन से व्यक्ति, सब जानते हैं कि दोषी हैं और कौन नहीं। मैं यह भी नहीं कहता कि जितने वाइस-चांसलर्स हैं सभी अच्छे हैं या किसी के बदले जाने की आवश्यकता नहीं है। हममें से अधिकांश लोग इस भावना के हो सकते हैं कि जो वाइस-चांसलर हैं उनमें से जो २-१ यूनिवर्सिटियों के वाइस-चांसलर हैं, यदि वे न होते तो अच्छा होता, लेकिन उनके बदलने की क्या परिपाटी होती, उसके बारे में कई रायें हो सकती हैं। बहुत से मंत्री ऐसे हो सकते हैं, बहुत से इस विधान सभा के सदस्य ऐसे हो सकते हैं जो उनको बदलना चाहते हैं, लेकिन क्या उसके लिये हम एक अप्रजातांत्रिक तरीका इस्तेमाल करें? क्या यही हमारा प्रजातांत्रिक तरीका है? मैं अधिक समय न लेता हुआ यही कहता हूं कि आज जिस प्रजातंत्र के संकटकाल से हम गुजर रहे हैं उसकी एक कालिमा और कालिमा से रंजित छाया हम इस विधेयक में पाते हैं।

आज जिस प्रकार से प्रजातांत्रिक मूल्यों से लोगों का विश्वास हटता चला जा रहा है उसके लिये मैं यह नहीं कहता कि आप ही दोषी हैं, हब सब थोड़े बहुत दोषी हैं। आज जो विश्वास प्रजातंत्र पर से हटता चला जा रहा है, उस विश्वास को हटाने की जो प्रक्रियायें हैं उन प्रक्रियाओं को अग्रसर करने वाला यह एक कदम है जो यह सरकार आज उठा रही है और इस नयी सरकार को जैसा यह कहती है अत्यन्त कंट्रोवर्शल है और सराहनीय कदम नहीं है। तो मैं मांग करूंगा कि इस विधेयक पर इतनी शीघ्रता से विचार न किया जाय। इसे अवश्य संयुक्त प्रवर समिति में जाने दें जहां पर हम निर्दलीय दृष्टिकोण से उस पर विचार कर सकें अन्यथा हम दूषित वातावरण को समाप्त करने की चेष्टा में उस वातावरण को और भी दूषित कर देंगे। हम यही व्यवस्था लाने की चेष्टा में वर्तमान व्यवस्था को और भी इस प्रकार से हेय बना देंगे जिससे न हमारा उद्देश्य हल होगा और न सरकार का। इस विनय के साथ मैं यह मांग करूंगा कि माननीय शिक्षा मंत्री जी इसे अवश्य ही संयुक्त प्रवर समिति को भेजें।

श्री चन्द्रसिंह रावत (जिला गढ़वाल)—उपाध्यक्ष महोदय, मैंने आदरणीय सदस्यों के भाषणों को सुना और मुझे प्रसन्नता है कि हर सदस्य ने अपनी पढ़ाई-लिखाई के अनुसार रिपोर्टों को पढ़कर अपने-अपने भाषण किये। मैं चाहता था कि देश की बहबूदी का खयाल रहे और उसी के हिसाब से लोग अपनी पढ़ी-लिखी बातों को सदन के सामने रखें, लेकिन भाषणों को सुनने के बाद हमें वह चीज नहीं मिली। यहां पर बताया गया है कि पालिटिक्स के कारण यूनि-वर्सिटीज में गड़बड़ियां पैदा हो रही हैं। यह बात कुछ हद तक सही है, लेकिन उसका होना अनिवार्य है। क्यों? इसलिये कि जिस राष्ट्र के विकास का स्रोत पालिटिक्स के हाथों में हो, जिसका डाइरेक्शन और कंट्रोल पोलिटिक्स के हाथों में हों, उस राष्ट्र के हर क्षेत्र में पालिटिक्स का असर पड़ना अनिवार्य है। इसको रूल आउट करना मैं समझता हूं कि बुद्धिमत्ता नहीं है। हम पालिटिक्स को अपनी लिखा-पढ़ी से अलग नहीं कर सकते।

कहा जा सकता है कि इसको प्रेक्टिकल बनाया जा सकता है कि हम पालिटिक्स को यूनि-वर्सिटी से बाहर रखें। परन्तु यह कहना कि हम पालिटिक्स के ऊपर विचार और मनन यूनिवर्सिटी से खत्म कर सकते हैं, यह तो दिमाग का दिवालियापन है। यह कहा जाता है कि हमारी यूनिवर्सिटीज में डिसिप्लीन नहीं रह गई है, सिक्योरिटी आफ लाइफ नहीं रह गयी है। मैं कहता हूं कि वह यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी नहीं है जो मुर्दों को पैदा करती है। मैं उस यूनिवर्सिटी को यूनिवर्सिटी नहीं समझता जो कि विद्यार्थियों में जिन्दगी का संचार

[श्री चन्द्रसिंह रावत]

नहीं करती। फिर यह कहना कि हमारे यहां की यूनिवर्सिटीज में इनडिसिप्लीन है, कोई शोभा की बात है ? हरगिज नहीं। डिसिप्लीन आफ लाइफ का ढोल पीटना और उसका गीत गाना तो गुलामी के वक्त के पढ़े-लिखे लोगों के दिमाग की याद हमें दिलाता है। श्रीमन्, किसी भी स्वतंत्र मुल्क के विकास के लिये और उसकी रक्षा के लिये यह कहां तक जायज है ?

विद्यार्थियों को हम सोल्जर्स नहीं बनाना चाहते हैं। विद्यार्थियों की ट्रेनिंग और सोल्जर्स की ट्रेनिंग में फर्क होता है इसलिये मैं कहता हूं कि यह कहना कि यूनिवर्सिटीज में इनडिसिप्लीन है, कतई गलत है। ये दोनों चीजें एक दूसरे से रिलेटेड हैं इसलिये हम उनको रूल आउट नहीं कर सकते हैं। जो साहब ऐसा समझते हैं कि यह बात गलत है, उन्होंने दुनिया के इतिहास को और दुनिया के विकास के इतिहास को पढ़ा नहीं है। अगर उन्होंने पढ़ने की कोशिश की होती तो मैं आपसे कहता हूं कि जहां दो ईविल्स हों वहां लेसर ईविल को ही स्वीकार करना चाहिये। हमारे यहां जो डेमोक्रेसी है उसमें कुछ कमी और खामियां हैं जिनको कि मुल्क खत्म नहीं कर सकता हैं। पढ़े-लिखे लोगों के दिमाग में एक सही और सच्ची सूरत और तस्वीर होनी चाहिये तभी हम एक दूसरे के विचारों के आदान-प्रदान का फायदा उठा सकते हैं।

जहां तक यूनिवर्सिटी का मसला है और वाइस-चांसलर का मसला है, वाइस-चांसलर डाइरेक्टर है जो यूनिवर्सिटी पर कंट्रोल करता है, यूनिवर्सिटी को गाइड करता है। अभी एक भाई ने जो शायद कहीं इंटर कालेज या हाई स्कूल में टीचर हैं उन्होंने कहा कि वे चाहते हैं कि वाइस-चांसलर रोटेशन से हो। यह हमारे पढ़े-लिखे लोगों के दिमाग का एक अजीबोगरीब नमूना है। हमारे विद्वानों ने कहा है—

"The temple of fame must be seated on an eminence across the vale of tears".

अगर इस देश के अन्दर हम इस विषय को महत्व दें तो मैं समझता हूं कि हमारे देश में यह गड़बड़ी इतनी हद तक नहीं रह सकती है। कुछ हद तक आजाद हो जाने के कारण यह बात की जा रही है, उसको आप रोक नहीं सकते हैं। अगर आप उसे रोकना चाहते हैं तो आप मुल्क के विकास में अवश्य ही रोक लगावेंगे। सही लोगों को सही जगह पर एप्वाइंट करने के लिये ही तजवीज इस बिल के द्वारा की गयी है और यह कहा गया है कि वाइस-चांसलर की पोस्ट एलेक्टिव न होकर सेलेक्टिव होनी चाहिये। इस सिलसिले में मैं सन् १९३० में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हुये एक एलेक्शन का उल्लेख करना चाहता हूं जिसमें डाक्टर ताराचन्द्र तथा डाक्टर अमरनाथ झा कैंडिडेट्स थे। जो प्रदर्शन उस एलेक्शन के सिलसिले में उस यूनिवर्सिटी में किया गया वह किसी भी कौम के लिये कोई अच्छी बात नहीं है।

वोटरों को जिस तरह से खींचातानी करके पोलिंग स्टेशन पर ले जाते हैं उसी प्रकार किसी यूनिवर्सिटी के वाइस-चांसलर को एप्वाइंट करना चाहते हैं तो इसके माने हैं कि हम बुद्धि से काम नहीं लेना चाहते। हम चाहते हैं कि विद्वानों को स्थान मिले, जो आदमी जिस योग्य हो, जिसको अनुभव हो, जो ऐडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी रखता हो, जिसमें विद्वता हो, उसे स्थान मिले जिस तरह से कि इलाहादाद यूनिवर्सिटी में एक जमाने में श्री गुरटू थे जिनके जमाने में हमने देखा कि हर व्यक्ति के साथ इन्साफ हुआ। जिनके जमाने में गरीबों को कभी भी इन्साफ से मुक्त नहीं रखा गया और वह एक बेलाग आदमी की तरह रहे, उन को किसी से मलतब नहीं रहा, उनका मतलब केवल देश के भविष्य से, नौजवानों के भविष्य से और यहां के विकास के भविष्य से ही था, यही उनका कन्सर्न था। जो देश के विकास के मार्ग पर चलकर अपने को आगे बढ़ाना चाहता है उसके सामने अनेक समस्यायें आती हैं, लेकिन वह तभी सुलझ सकती हैं जब आपके दिमाग का इक्वीलिब्रियम खराब न हो। अगर वह ठीक होगा तो आपके फैसले भी एबनार्मल न होंगे। अगर वह एबनार्मल होगा तो आप के फैसले भी गलत अवश्यम्भावी होंगे। इसलिये इस बिल में जो यह रखा गया है कि

वाइस-चांलर को डिसमिस किया जा सकता है, मैं कहता हूं कि आप ने अगर टर्म ३ साल का कर दिया तो होगा क्या तीन साल तक वह चलते रहेंगे या छः मास तक चलते रहेंगे ? आज तक किसी ऐक्ट में ऐसा प्राविजन नहीं था। इसके माने यह नहीं हैं कि जिस ऐक्ट को हम आज बनाने जा रहे हैं, अगर हम किसी अनफोरसीन बात को देखने की उसमें कोशिश करते हैं तो हम सही बात को करने की कोशिश करते हैं। अब किस प्रकार करते हैं यह दृष्टिकोण की बात है और वह अनुचित है।

उपाध्यक्ष महोदय, फिर मैं आगे चलकर यह बतलाना चाहता हूं कि हमारे बहुत से भाइयों ने इस बात पर जोर दिया कि जब पार्टी बदलती जायंगी तो यूनिवर्सिटी ऐक्ट भी बदलते जायेंगे। परन्तु यह बात तो तभी हुआ करेगी जब हमारे देश के लोग बुद्धिमत्ता से काम लेने के लिये इन्कार कर देंगे। अगर हमें अपने देश के विकास के कामों को और देश के भविष्य को सामने रखना है तो हम ऐसी गलती कभी नहीं कर सकते। मुझे बड़ा खेद है कि हमारे विरोधी भाई हर बात को सन्देह की नजर से देखते हैं। उनको कानफिडेंस होना चाहिये कि हर व्यक्ति को आशावादी होना चाहिये, वर्ना अगर सन्देह रहेगा तो उनकी जिन्दगी का नाश जल्द होगा और वह कभी जिन्दगी में सफल नहीं हो सकते और तबतक आप एक कदम आगे नहीं बढ़ सकते और जी नहीं सकते जब तक कि आप निराशावादी रहेंगे। आपको कांफिडेंस रखना होगा। अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि उसकी हर बात को मान लिया जाय तो मैं समझता हूं कि इस तरह का एटीट्यूड नाजायज हैं ; क्योंकि यहां सदन में ४३१ मेम्बर बैठे हैं सभी के विचारों को, अन्वेषण को, हमें लेकर चलना है। सब की यूनिटी आफ थाट ऐण्ड ऐक्शन तो फिजिकली और मेटाफिजिकली इम्पासिबिल है। इसलिये मनुष्य को अपने कामों को उस स्टैंडर्ड का बनाना चाहिये जो मनुष्य का स्टैंडर्ड होता है। इन्सानों में खामियां होती हैं, वह मुझमें, आप में, सब में हैं, कोई भी उससे ऊपर नहीं है। अगर कोई है तो वह आदमी ईश्वर है या वह मैन-गाड है। मैं समझता हूं ऐसा क्लेम करना एक निराधार चीज होगी जो किसी को मान्य नहीं हो सकती। अतः चाहते हैं कि हमको हर चीज को परिस्थिति के अनुकूल देखना चाहिये ताकि आगे आने वाली पीढ़ी के चरित्र को दृढ़ कर सकें, दृढ़ संकल्प की भावना जाग्रत कर सकें और मुल्क को ऊंचा उठाने के लिये जो भी कदम आश्वयक हो, जिससे हमारी व्यवस्था अच्छी हो सके, देश की शिक्षा को ऊंचा उठा सकें, उसको उठाने में हमें कोई हिचक नहीं हो सकती है।

परन्तु हम एक लठ लेकर जम्हूरियल के उसूलों को चाहे वह फिट इन करते हों या न करते हो, हांकते रहें, उचित नहीं है। माननीय नारायणदत्त तिवारी जी कहते हैं कि जब हम यूनीवर्सिटी अमेंडमेंट बिल पेश करते हैं तो उन उसूलों का खून करते हैं। वह चाहते हैं उन प्रिंसिपल्स को हम ऐक्स्ट्रीम तक परसू करें। मुल्क की परिस्थितियों से अलग बैठ कर हम उन उसूलों को मुल्क से आगे दौड़ाने के लिये तैयार नहीं हं, वरना मुल्क पीछे रह जायगा, वह उसूल चकनाचूर हो जायेंगे, अगर समयानुकूल नहीं हैं। यदि वह उसूल मुल्क को खींच कर आगे नहीं ले जाते हैं तो वे उसूल अच्छे होते हुए भी किसी भी मुल्क को चकनाचूर कर सकते हैं। आप ऐब्स्ट्रेक्ट फ्रीडम आफ कनसेप्शन को अपने सपोर्ट में रखते हैं और कहते हैं कि इससे मेल ही नहीं खाता है, तो आप गलती करते हैं। मुल्क की गिरी हुई हालत को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, जिसको हम ऊंचा उठाना चाहते हैं। अगर आप चाहें कि हम आजादी और विकास और जम्हूरियत के उसूलों को एक लाठी से बैल की तरह हांक कर, जैसे नारायणदत्त तिवारी जी चाहते हैं आगे ले जायं और मुल्क तरक्की कर सकेगा तो यह नहीं हो सकता। इसलिये आगे चल कर मैं आपको बताना चाहता हूं बार-बार इस सदन में बड़ी-बड़ी रिपोर्टों को पढ़ा जाता है यह रिपोर्ट कतई नाकाबिल रिपोर्टस् हैं। मैं प्रमाण देता हूं। जो दिमाग अंग्रेजी विचारों और भावनाओं के ढांचे में ढले हों, जो दिमाग एक नमूना बना दिया गया हो वह मुल्क की परिस्थितियों को न देख कर केवल उन्हीं विचारों को मुल्क में बिखेरना चाहता हैं जो कि गैरों की लिखी हुई किताबों, भाषणों और भाषाओं से दृढ़ हुए हैं.....

श्री उपाध्यक्ष—यह प्रवर समिति में जाय कि नहीं, इस पर भी तो बोलिये।

(हंसी)

श्री चन्द्रसिंह रावत—मैं कहना चाहता हूं कि मुल्क के विकास को जब हम लेते हैं तो जीनियस आफ दी पीपुल और उसके डेवलपमेंट को नहीं भुलाना चाहिये। जो विकास के साधन दूसरे मुल्कों में हैं वे यहां नहीं हैं। जो विकास के तरीके गैर मुल्कों में लागू हैं वे यहां की जहनियत में शामिल नहीं हैं। इसलिये हर विकास का काम उस देश के लोगों के विचारों के अनुकूल करना चाहिये। जब तक आप अपना नक्शा अपने अनुरूप नहीं बनाते तब तक गैरों के रास्ते पर चल कर इस देश को गड्ढे में फेंकना चाहते हैं। अतः मैं समझता हूं कि हमारे समाज, राष्ट्र और विश्वविद्यालयों में और पढ़े-लिखे लोगों के दिमागों में गड़-बड़ी है उसका क्लीयरेंस होना चाहिये। हमारी सरकार ने गांव और मुल्क की गन्दगी को दूर करने के लिये उसके क्लीयरेंस का इंतजाम किया है, लेकिन हमारी गन्दगी की क्लीयरेंस के

(इस समय ४ बज कर १५ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

लिये कुछ ऐसा दृष्टिकोण होना चाहिये जिससे दिमाग की गंदगी को निकाला जा सके। इसलिये जब हम मुल्क के विकास को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो मैं यह समझता हूं कि हमारी यूनीवर्सिटीज में क्या एब्सोलूट गुड है और क्या एब्सोलूट ईविल है उसे 'एम ऐट' कर सकने में, उसको कायम करने में आप असमर्थ हैं। शुभचिन्तक होते हुए भी, बड़ी भारी क्षमता रखते हुए भी आप नाकाबिल साबित होते ....

एक सदस्य—यह माननीय सदस्य का 'आप' से क्या मतलब है?

श्री चन्द्रसिंह रावत—अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य मुझे समझने में गलती कर रहे हैं। अगर कोई ऐसी बात हो तो मैं चाहता हूं कि उसे ध्यान पूर्वक आप सुनने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष—उनका कहना है कि पार्लियामेंटरी पद्धति में आप-आप नहीं कहा जाता क्योंकि आप से मतलब होता है अध्यक्ष से।

श्री चन्द्रसिंह रावत—हर चीज स्पीकर को एड्रेस करके कही जाती है।

श्री अध्यक्ष—आपका फैसला और निर्णय जो है वह नहीं चलेगा। अध्यक्ष का निर्णय यहां पर चलेगा।

श्री चन्द्र सिंह रावत—I bow to the decision of the chair". मैं बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार पेड़ की बढ़वार होती है उसी प्रकार इंसान और जानवरों की बढ़वार हुआ करती है। बीच की कड़ी तथा विकास को छोड़ देने से आप टाप पर पहुंच सकेंगे, यह नामुमकिन है। बीच की कड़ी जो विकास की है वह खतरों से खाली नहीं, कमियों से तथा खामियों से खाली नहीं। इस सदन में हजार बार बोलने से, भाषण देने से वह कमियां तथा खामियां दूर नहीं हो सकतीं, क्योंकि अधिकतर कमियों तथा खामियों की जिम्मेदारी हमारे चरित्र के ऊपर निर्भर है। अगर हमारी शिक्षा तथा दीक्षा के द्वारा उस चरित्र का निर्माण नहीं किया गया तो मुल्क की सही व्यवस्था नहीं हो सकती।

यह कहा गया कि आपके जो चांसलर हैं, वही गवर्नर हैं और वे गाइडेड होते हैं केबिनेट से तो क्या यह डेमोक्रेसी के उसूल के मुताबिक है? यहां कुछ भ्रान्ति है उसे मैं बतलाना चाहता हूं। वह एक्स आफिशियो जरूर हैं, लेकिन जरूरी नहीं है हर एक यूनीवर्सिटी का चांसलर गवर्नर हो। हो सकता है कि किसी यूनिवर्सिटी का चांसलर गवर्नर न हो। कानून में या व्यवस्था के अन्दर कहीं यह बात नहीं है जो इस बात को रूल आउट करती हो कि किसी यूनिवर्सिटी का चांसलर वही हो सकता है जो उस प्रान्त का गवर्नर हो। तो यह कह देना कि

केबिनेट के निर्णयों के द्वारा ही चांसलर यूनीवर्सिटी के मामलों में काम करेंगे, यह बात चांसलर के साथ अन्यायपूर्ण होगी। चांसलर की भी एक पर्सनालिटी होती है। वह भी यूनीवर्सिटी के मामलों में अपनी इंडिपेंडेंट राय, रोशनी तथा निर्णय दिया करता है। इसलिये मनुष्य की अच्छाइयों में विश्वास न करके केवल बुराइयों में ही विश्वास करना, इससे मैं समझता हूं कि मुल्क के इत्तहाद, एकता और एकमत को कायम नहीं रख सकते। हम लोग मुल्क को तभी आगे बढ़ा सकेंगे, मुल्क के अन्दर संगठन पैदा कर सकेंगे और उसे एक सूत्र में जोड़ सकेंगे जब एक दूसरे के प्रति विश्वास रखेंगे, लेकिन विश्वास को खोकर मुल्क का कल्याण किया जा सकता है यह न कहीं बतलाया गया, न लिखा गया और न लिखा जा सकेगा। इसलिये मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर जोश में आपने होश खो दिया तो मुल्क को खत्म कर देंगे।

इसलिये आपके जोश को कन्ट्रोल करने वाला होश होना चाहिये। Your Intellect must be there to guide, not your enthusiasm. नहीं तो आप सारे मुल्क को एकदम से किसी गड्ढे में डाल देंगे। इसलिये मैं माननीय सदस्यों से दरख्वास्त करना चाहता हूं कि जब हम मुल्क के भाग्य का फैसला करते हैं तो हमें मुल्क की बहबूदी के नुक्तेनजर से ही उन फैसलों को करना चाहिये। हमने एक्जीक्युटिव से यूनिवर्सिटी में एप्वाइंटमेंट को देखा और उससे जो गड़बड़ियां हुईं उनको हम भुला नहीं सकते। इसलिये हम चाहते हैं कि ऊंचे से ऊंचे व्यक्ति जो कि उस चेयर के अधिकारी हों, वाइस-चांसलर कहलाने के अधिकारी हों, जो बड़े विद्वान हों, उन्हीं लोगों को वह चेयर दी जानी चाहिये। चाहे हम सरकार की तरफ से बोल रहे हों, चाहे विरोधी पक्ष की तरफ से बोल रहे हों, हम सब को इस मामले में एक राय रखनी चाहिये। अगर हम अपनी अपनी-ढफली और अपना-अपना राग अलापते रहे, अपनी अपनी खिचड़ी अलग-अलग पकाते रहे तो "You are welcome to do so".

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अमेंडमेंट बिल का समर्थन करता हूं और जो प्रवर समिति में भेजने की बात कही गयी है, उसका विरोध करता हूं।

*श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—माननीय अध्यक्ष महोदय, इस विश्वविद्यालय विधेयक के प्रस्तुत होने के बाद न केवल उस विधेयक से सम्बन्धित बातें बल्कि आज हमारे प्रदेश के अन्दर शिक्षा जगत में जो घटनायें हो रही हैं और शिक्षा जगत में जो गम्भीर संकट, विश्वविद्यालयों के अन्दर जो गम्भीर परिस्थिति पैदा हो गयी है, उन सारी बातों पर यहां विचार किया जा रहा है और यह अच्छा ही हुआ कि एक अवसर प्राप्त हुआ जब हम गम्भीरतापूर्वक उन तमाम बातों पर विचार कर रहे हैं।

पिछले वर्षों में हमारे प्रदेश के विश्वविद्यालयों के अन्दर जो घटनायें घटी हैं उनसे न केवल उन विश्वविद्यालयों को बल्कि हमारे प्रदेश के गौरव और प्रतिष्ठा को भी आघात पहुंचा है। इस सम्बन्ध में न केवल प्रदेश के विभिन्न भागों में बल्कि हमारे देश के अन्दर भी लोगों को इस बात की चिन्ता रही है कि इस प्रदेश के ५, ६ विश्वविद्यालयों के अन्दर जहां हजारों विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, जहां हमारे देश के भावी कर्णधार बन रहे हैं, जहां हम देश के भावी नेता शिक्षित कर रहे हैं, उनकी अगर यह स्थिति है, उन विश्वविद्यालयों के अन्दर जहां हमारे देश और प्रदेश के जाने माने आचार्य रहते हैं, उन विश्वविद्यालयों में जिनसे हमारे प्रदेश की राजनीतियों का सम्बन्ध हो; अगर उनकी यही व्यवस्था है तो प्रदेश और देश का क्या भविष्य होगा, इस सम्बन्ध में विचार करते समय यहां बहुत सी विचार धाराओं को हमने प्रस्तुत किया।

यह सही है कि प्रदेश और देश के अन्दर एक नहीं अनेक शिक्षा आयोग निर्मित किये गये और उन्होंने अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कीं। उन पर समय-समय पर विचार किया गया और कुछ सिफारिशें लागू की गयीं, लेकिन फिर भी शिक्षा का स्तर ऊंचा नहीं हुआ। आज प्रश्न

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री चन्द्रजीत यादव]

केवल यह नहीं है कि जितने हलके ढंग से सरकारी पक्ष की ओर से कहा जा रहा है। मुझे अफसोस इस बात का है कि इस विधेयक को बिल्कुल एक निर्दोष विधेयक के रूप में सदन के सामने प्रस्तुत करने की कोशिश की गयी है। श्रीमन्, यह विधेयक उतना निर्दोष नहीं है। इस विधेयक में जिन बातों की व्यवस्था की गयी है केवल उन्हीं तक हमारी शिक्षा की समस्यायें सीमित नहीं हैं। प्रश्न यह है कि आज हमारी शिक्षा में आमूल परिवर्तन होगा या नहीं? हमारी शिक्षा व्यवस्था का क्या स्वरूप हो, हमारे विश्वविद्यालयों का क्या स्वरूप हो, इन सारी बातों के बारे में हमारी सरकार को निर्णय करना है और जबतक पूरी शिक्षा व्यवस्था का रिओरियन्टेशन नहीं होता है, उसके अन्दर आमूल परिवर्तन नहीं होता है तब तक निश्चित-रूप से यह संकट किसी न किसी रूप में शिक्षा जगत के किसी न किसी स्तर पर विद्यमान रहेगा। इसलिये इन तमाम बातों को हल करने का आज प्रश्न है।

श्रीमन्, यहां यह भी सवाल उठाया गया कि विश्वविद्यालयों के अन्दर आज जो घटनायें हो रही हैं वह केवल इसलिये होती हैं कि देश और प्रदेश की राजनीतिक पार्टियों के राजनीतिज्ञों का सम्बन्ध इन विश्वविद्यालयों से हो गया है। आज हमें यह भी निर्णय करना है कि अपने देश और प्रदेश की राजनीति किसी रूप में इन विश्वविद्यालयों से संबंधित होगी अथवा नहीं। आज तो मूल प्रश्न आता है, जिसको लेकर तरह-तरह की बातें कही गईं कि राजनीति शिक्षा संस्थाओं में घुसने न पाये। आज यह भी कहा गया कि विद्यार्थियों का किसी प्रकार से राजनीतिक नेताओं से तथा राजनीतिक संस्थाओं से संबंध नहीं होना चाहिये। कोई अध्यापक राजनीतिक समस्याओं के बारे में सोच नहीं सकता है और उसे किसी राजनीतिक चुनाव में हिस्सा नहीं लेना चाहिये या किसी राजनीतिक संस्था में हिस्सा नहीं लेना चाहिये।

श्रीमन्, यह भी कहा गया है कि हमारे जो इन विश्वविद्यालयों में सह-शिक्षा हो रही है वह इन सब बातों का मूल कारण है, इसलिये यह समाप्त होनी चाहिये। श्रीमन्, इसके पहले जब लखनऊ विश्वविद्यालय में दुखद घटना हुई थी, गोली चली थी तो उस समय यह कहा गया था कि सह-शिक्षा को समाप्त किया जाय और लड़कियों की उच्च शिक्षा को बंद किया जाय अन्यथा यह हालत बराबर होती रहेगी। मैं यह कहना चाहता हूं कि ऐसी आवाज उठाने वाले विश्वविद्यालयों की राजनीति में प्रतिक्रियावादी विचाराधारा लेकर घुसने का प्रयास करते हैं।

श्रीमन्, आज प्रश्न यह है कि शासन का विश्वविद्यालयों से क्या संबंध होना चाहिये; आज यूनिवर्सिटी आटोनोमी के ऊपर हमला है। एब्सोल्यूट आटोनामी होगी या क्या उसकी सीमा होगी, श्रीमन् यह प्रश्न सदन में उपस्थित किया गया। इसके संबंध में १९५४ से लेकर पिछले विश्वविद्यालय के आन्दोलन की भी चर्चा की गई और यह कहा गया कि यह विधेयक इसीलिये लाना पड़ा कि १९५४ में लखनऊ विश्वविद्यालय में जो आन्दोलन हुआ था उसका सूत्रपात, उसकी साजिश विश्वविद्यालय के प्रांगण में छात्रों और टीचरों ने की थी। और जो राजनीति की शिक्षा चली उसका नतीजा पिछला आन्दोलन हुआ और उसी का परिणाम है कि यह विधेयक सरकार को लाना पड़ रहा है।

श्रीमन्, नवलकिशोर जी यहां नहीं हैं। मैं उनकी सूचना के लिये बताना चाहता हूं कि १९५४ में छात्र आन्दोलन में सम्भवतः उन्हें जानकारी नहीं है, इस आन्दोलन का सूत्रपात, इसकी साजिश, लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रांगण में नहीं हुई थी। मैं उस समय लखनऊ विश्वविद्यालय का छात्र था और मुझे यह गौरव प्राप्त था कि मैंने इस आन्दोलन का नेतृत्व किया था। श्रीमन्, मैंने भूख हड़ताल की थी और मैं विश्वविद्यालय से निष्कासित भी किया गया था, लेकिन मुझे गर्व है कि जिस बड़े काम के लिये, जो सरकार का हमला हुआ था उसके प्रतिरोध में जो आवाज मैंने और छात्र संगठन ने उठाई, वह अंत में मानी गई। हमारे इस आन्दोलन के पीछे प्रदेश का जनमत था, प्रदेश की समझदारी थी और लोग समझते थे कि

अगर छात्र संगठन के ऊपर सरकारी हमला होता है तो उसके विरोध में जो आन्दोलन होता है उसका समर्थन किया जा सकता है ।

उस सरकार के कर्णधार सरकार के अन्दर भी थे और विश्वविद्यालय से भी संबंधित थे । उस आन्दोलन का सूत्रपात और साजिश उत्तर प्रदेश के व्हाइट हाउस में हुई थी । व्हाईट हाउस के कहने से मेरा मतलब अमेरिका के व्हाइट हाउस से नहीं है जहां साम्राज्यशाही की साजिशों का निर्माण होता है । मेरा मतलब अपने प्रदेश के गवर्नर और चांसलर महोदय के निवास स्थान से है। वहां दो व्यक्तियों के द्वारा जिनकी काफी जिम्मेदारी थी, यह साजिश हुई कि छात्र संगठन न बनाया जाय विश्वविद्यालयों में । यूनिवर्सिटी यूनियन पर हमला हुआ और प्रदेश के विद्यार्थी इसके विरुद्ध खड़े हुये और अन्त में सरकार को अपने घुटने टेकने पड़े । इसके बाद से श्रीमन्, विश्वविद्यालयों की हालत बिगड़ती चली आ रही है। मैं स्पष्ट रूप से यह कहना चाहता हूं कि विश्वविद्यालयों में राजनीतिक दृष्टिकोण नहीं जाना चाहिये कि हम छात्रों का प्रयोग अपनी पार्टी के हित में करें और विश्वविद्यालय के प्रांगण को अपनी पार्टी का कार्यक्षेत्र बनायें । इसमें मैं समझता हूं कि सभी एक राय होंगे और सभी मुझ से सहमत होंगे ।

श्रीमन्, यह चीज शुरू कहां से होती है ? जिम्मेदार इसके लिये कौन है ? नम्रतापूर्वक मैं यह कहूंगा कि इसके लिये शासक दल जिम्मेदार है । शासकदल ने विश्वविद्यालय को अपनी राजनीति का क्षेत्र बना रखा है , शासक दल ने विश्वविद्यालय प्रांगण का अपने राजनीतिक स्वार्थों के हित में, गुट--विशेष के हित में, प्रयोग करना प्रारम्भ किया है । इसी दृष्टिकोण को रखकर विश्वविद्यालय के अन्दर अध्यापकों की नियुक्तियां, छात्र-संगठनों को खरीदने की कोशिश, उसकी समितियों के ऊपर अपना अधिकार प्राप्त करना, यह सारी की सारी साजिशें शुरू होती हैं । यहां कहा गया कि लखनऊ विश्वविद्यालय के अन्दर एक समस्या को कितना छोटा बना कर देखा जाता है । ऐसा लगता है कि अगर आज लखनऊ विश्वविद्यालय के वाइस-चांसलर को हम हटा दें, अगर आज इस चुनाव की पद्धति के द्वारा चुने हुए उपकुलपतियों को हम प्रदेश से हटा दें तो सारी की सारी समस्याओं का समाधान हो जायगा, लेकिन समस्यायें इतनी छोटी नहीं हैं, समस्यायें इतनी हल्की नहीं हैं ।

मैं बहुत नम्रतापूर्वक पूछना चाहता हूं कि क्या इसी चुनाव की व्यवस्था के अन्तर्गत हमारे प्रदेश के अन्दर ख्यातिप्राप्त शिक्षाविद् हमारे विश्वविद्यालयों के वाइस-चांसलर चुने गए हैं या नहीं ? चाहे केन्द्रीय विश्वविद्यालय रहे हों, चाहे प्रदेश के विश्वविद्यालय रहे हों, क्या उसी व्यवस्था के अन्तर्गत आचार्य नरेन्द्रदेव, विश्वविद्यालय के वाइस-चांसलर हुए या नहीं ? परांजपे हुए या नहीं ? काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में राधाकृष्णन उसके वाइस-चांसलर हुए या नहीं ? उसी व्यवस्था के अन्तर्गत अलीगढ़ विश्वविद्यालय में डाक्टर जाकिर हुसैन वाइस-चांसलर हुए या नहीं ? तो श्रीमन्, प्रश्न उसका नहीं है । प्रश्न यह है कि अगर एक व्यक्ति को चुनवाने के लिये हम यह चीज रखें, एक व्यक्ति मस्तिष्क में है सरकार के, उसको कहीं रखना चाहती है, उसके लिये सरकार एक्जीक्यूटिव कमेटी में बहुमत बनाती है, उसके लिये सरकार चुनाव प्रचार करती है और उसको वहां अपनी राय देकर के चांसलर के द्वारा उसकी नियुक्ति कराती है । तो समस्या वहां खड़ी होती है और लखनऊ विश्वविद्यालय के अन्दर जो स्थिति हुई वह ठीक यही स्थिति हुई ।

आज यहां बैठी हुई यह सरकार कहती है कि हम विश्वविद्यालय की स्वतंत्रता पर कोई आघात नहीं करने जा रहे हैं । मैं जानना चाहता हूं कि यूनिवर्सिटी आटोनामी पर हमला होता कैसे है? आप वहां अध्यापकों की नियुक्ति को रोकते हैं, तो उसे भी कहते हैं कि हम कोई आटोनामी पर हमला नहीं कर रहे हैं , आप अगर अध्यापकों की नियुक्ति वहां कराते हैं उसमें अपना दखल देते हैं तो भी कहते हैं कि हम आटोमानी पर हमला नहीं कर रहे हैं । अगर यह सरकार अपने लोगों को, अपने अफसरों को वहां की एक्जीक्यूटिव कमेटी में बढ़ाने की व्यवस्था करती है, अपनी इच्छानुसार यूनिवर्सिटी विधेयक के अन्दर सरकार संशोधन करती है तो भी यह कहती है कि हम विश्वविद्यालय की स्वतंत्रता पर हमला नहीं कर रहे हैं। इसी सरकार

[श्री चन्द्रजीत यादव]

ने इसी सदन में बैठे हुए यह कहा था, जब विश्वविद्यालय के अन्दर पुलिस भेजी गई थी, पी० ए० सी० के बूटों से जब वहां के नवजवान कुचले गए थे और जब वहां क्लास के रूमों में पी० ए० सी० के नवजवान बैठे हुए थे। यही नहीं प्राध्यापकों ने बताया कि गम्भीर चिन्ता कीबात तो यह है कि उनकी कक्षाओं में सी० आई० डी० के लोग बैठे रहते थे और तब भी सरकार यह कहती थी कि हमने यूनिवर्सिटी की आटोनामी पर हमला नहीं किया क्योंकि वाइस-चांसलर ने पुलिस मांगी और हमने भेज दी।

मैं फिर जानना चाहता हूं कि यूनिवर्सिटी की आटोनामी पर हमला होता कैसे है? अभी माननीय नारायणदत्त जी ने कहा था कि एकेडेमिक आजादी जो वहां की है उस पर किस प्रकार से प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से सरकार प्रहार कर रही है। मैं जानना चाहता हूं, अगर विश्वविद्यालय को प्रशासकीय स्वतंत्रता नहीं है, अगर विश्वविद्यालय को एकेडेमिक फ्रीडम नहीं है और उसके ऊपर सरकार अपना दखल रखती है तो यूनिवर्सिटी आटोनामी का मतलब क्या होता है? मैं चाहता हूं कि माननीय शिक्षा मंत्री जी इसको बतायें कि यूनिवर्सिटी आटोनामी की सीमा, उसकी परिभाषा क्या है और आजतक उन्होंने उसके ऊपर हाथ उठाया या नहीं? श्रीमन्, राधाकृष्णन् कमीशन की बहुत चर्चा की गई। मैं केवल दो-चार सेन्टेंसेज ही पढ़ना चाहूंगा –

"Higher education is undoubtedly a function of the State but the State aid is not to be confused with State Control....."

आगे एक जगह कहा है––

"Professional integrity requires that teachers should be as free to speak on any controvertial issues as any other citizen of this country. An atmosphere of freedom is essential for developing this morality."

मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सत्य नहीं है कि विश्वविद्यालयों के अन्दर ऐसे प्राध्यापक हैं जिन्होंने इस सरकार के गुट विशेष का विरोध किया है? और जो इनके राजनीतिक कार्यों का, इनकी राजनीतिक विचारधाराओं का और विश्वविद्यालयों में इनकी गुटबन्दी का सरकार द्वारा शिकार न बनाये गये हों? क्या सरकार ने लखनऊ विश्वविद्यालय के अन्दर अपने अधिकारों का दुरुपयोग नहीं किया है? क्या सरकार ने एक्जीक्यूटिव कमेटी की नियुक्तियों को अपने अधिकारों का दुरुपयोग करके अपने हाथ में नहीं लिया है? इसी सदन में माननीय मुख्य मंत्री से प्रश्न पूछे गये उस संबंध में, जिनमें पुरानी सरकार के कुछ व्यक्तियों के ऊपर गम्भीर आरोप थे, यहां के उच्च अधिकारियों पर गम्भीर आरोप थे। सरकार से पूछा गया था कि क्या उसने जांच की तो मुख्य मंत्री ने कहा था कि पुराने मुर्दों को उखाड़ने से कोई लाभ नहीं है। आज भी जांच की जा सकती है, लेकिन उसको वह उचित नहीं समझते। लखनऊ यूनिवर्सिटी के अन्दर सबसे बड़े हेड वाइस-चांसलर हैं जिन्होंने जांच कर ली थी। क्या उस जांच को इस सरकार ने फिर से नहीं रोका? वह मरे मुर्दे उखाड़ना नहीं चाहती है। जहां पर यूनिवर्सिटी की आटोनामी की बात होती है वहां पर सरकार मरे मुर्दे उखाड़ती है और जहां पर उसके प्रशासन का संबंध है, उसके अधिकार का संबंध है, वहां सरकार मौन रहती है और उस पर पर्दा डालने की कोशिश करती है। मैं चाहता हूं कि सरकार इन बातों को स्पष्ट करे।

श्रीमन्, प्रश्न यह है कि हमारे यहां जो पद्धति है इस चीज को लेकर कैसे हम इस्तेमाल करें। मैं नम्रतापूर्वक यह कहना चाहता हूं कि जो आज यह सरकार वाइस-चांसलर के चुनने की पद्धति अपनाने जा रही है उस पद्धति के पीछे यही भावना है कि सरकार विश्वविद्यालयों के ऊपर अधिक से अधिक अधिकार रखना चाहती है। जो कमेटी होगी, जिसके द्वारा हम सेलेक्शन करेंगे यूनिवर्सिटी के अन्दर वाइस-चांसलर की, उस कमेटी में साफ है। अब यह इसमें विवाद नहीं रह गया कि हमारा गवर्नर जो है, चांसलर वह सरकार की राय पर, उसके मशविरे पर काम करेगा

या स्वतन्त्र रूप से काम करेगा। इस बात को माननीय मुख्य मंत्री जी ने स्पष्ट किया था, क्योंकि वह गवर्नर है इसलिये चांसलर है और गवर्नर सरकार की राय पर काम करता है। यहां पर भी सरकारी पक्ष से जो भाषण हुये उनमें इस बात को कहा गया कि सरकार की राय पर ही चांसलर काम करेगा। मैं पूछना चाहता हूं कि अगर यह बात है और इसको आप मानते हैं फिर राधाकृष्णन् कमीशन रिपोर्ट की आड़ में आप उसकी भावनाओं पर पर्दा डालने की क्यों कोशिश करते हैं ? सरकार ने यह कहा कि राधाकृष्णन् कमीशन की रिपोर्ट की जो सिफारिशें हैं उनको हम मुख्य रूप से लागू करना चाहते हैं। राधाकृष्णन् कमीशन की रिपोर्ट के अन्दर यह बात साफ-साफ कही गई है उत्तर प्रदेश का नाम लेकर कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के अन्दर, जहां पर एक से अधिक विश्वविद्यालय हैं वहां पर गवर्नर को चांसलर नहीं होना चाहिये ? क्योंकि अगर वह चांसलर सारे विश्वविद्यालयों के हुये तो जो उनका कर्तव्य है उसका निर्वाह वह सावधानीपूर्वक नहीं कर सकेंगे।

मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि आज हमारे यहां ५ विश्वविद्यालय हैं और मेरठ तथा कानपुर में और दो बनने वाले हैं। हमारे पहाड़ी इलाके में भी मांग है और उचित मांग है, वहां पर भी विश्वविद्यालय बनना चाहिये तो उस वक्त हमारे यहां राज्य में ८, ९ विश्वविद्यालय होंगे। क्या यह जिम्मेदारी एक व्यक्ति द्वारा इतनी आसानी से निभाई जा सकती है ? जब हमारे प्रदेश के अन्दर ४ विश्वविद्यालय थे तो उस वक्त उन्होंने यह विचार प्रकट किये थे और उनकी यह राय थी तो जब हमारे यहां ९, १० विश्वविद्यालय होने जा रहे हैं क्या उस रिपोर्ट की भावना की उपेक्षा नहीं है ? एक नहीं आप चाहे जितने कमीशन नियुक्त करें उनकी कोई वकत नहीं है। जब तक सरकार उन कमीशन की रिपोर्ट की कीमत नहीं समझती है तब तक आप एक नहीं १० कमीशन बना दें उनसे कोई लाभ होने वाला नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि राधाकृष्णन् कमीशन की कितनी सिफारिशें इस प्रदेश के अन्दर लागू की गईं ? मैं पूछना चाहता हूं कि मूथम कमेटी की कितनी सिफारिशें उत्तर प्रदेश में लागू की गईं ? इसलिये मैं पूछना चाहता हूं कि जब सरकार ने स्वयं एक कमीशन नियुक्त किया हो तो यह उस कमीशन की कन्टैम्प्ट है। मैं इस सदन का कंटेम्प्ट नहीं करता, मैं सदन के प्रिविलेज का कोई प्रश्न नहीं उठाता, लेकिन मैं नम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं कि उस कमीशन का यह कंटेम्प्ट है जिसको बैठाया गया है इन सारी बातों पर विचार करने के लिये। जो बातें उसके टर्म्स और रेफरेंस में स्पष्ट कही गई हैं, उसकी रिपोर्ट की प्रतीक्षा किये बिना सरकार अगर इस प्रकार का परिवर्तन करना चाहती है तो यह उसका कंटेम्प्ट है।

श्रीमन् जो शंका प्रकट की गई है शुरू से कि सरकार के दिमाग में एक विश्वविद्यालय किसी रूप में है और इसलिये यह सारी की सारी बातें हैं और उन्हीं को लेकर यह विधेयक हमारे सामने लाया गया है। श्रीमन्, इस के पहले कि मैं उस बात पर जाऊं, मैं बहुत संक्षेप में आपके सामने यह कहना चाहता हूं कि हमारे देश में विश्वविद्यालयों की एक परम्परा रही है। सन् १८५७ में जब पहली बार भारतवर्ष में ३ विश्वविद्यालय अस्तित्व में आये—बंबई, कलकत्ता और मद्रास में तो उस समय की दशा को आप देखें। विश्वविद्यालय में कौन-सा इतिहास बनता गया, उस के अन्दर कौन-सी धारायें विकसित होती गईं, उस पर दृष्टि डालें तो पता चलेगा कि उस वक्त क्या हालत थी और आज क्या है। १८५७ में जब ३ विश्वविद्यालय बने तो उनके अन्दर जो तत्कालीन ब्रिटिश सरकार थी वह उन पर हावी थी। योरोपियन्स उन पर छाये हुये थे। बम्बई की सीनेट में २९ में से ५ भारतीय थे, कलकत्ता में ३८ में कुल ६ भारतीय थे और मद्रास में ४० व्यक्तियों में कुल ३ भारतीय थे सरकार के जो बाकी सब नुमाइंदे थे, योरोपियन थे। इसी पृष्ठभूमि में वे विश्वविद्यालय अस्तित्व में आये। आगे चल कर ज्यों ज्यों राष्ट्रीय आन्दोलन विकसित होता गया, राष्ट्रीय जागरण जैसे जैसे बढ़ता गया, शिक्षा के जगत में भी उसी हिसाब से परिवर्तन होते गये। हमारे वह लोग जो राष्ट्रीय आन्दोलन के एक अंग थे उन्होंने इस बात की आवाज उठाई कि शिक्षा के अन्दर देश की पृष्ठभूमि में, हमारे देश की सांस्कृतिक परम्पराओं के अनुसार, ऐतिहासिक परम्पराओं के अनुकूल, आदर्शों के अनुकूल हमारी शिक्षा होनी चाहिये।

[श्री चन्द्रजीत यादव]

और इसके लिये आवश्यक है कि हमारे विचारकों, शिक्षाविदों को इस बात की आजादी हो कि वे उन समितियों में बैठ कर विचार करें। वह आन्दोलन बढ़ता गया और सरकार को झुकना पड़ा।

१८८२ में एक एजूकेशन कमीशन का निर्माण हुआ। उसने हमारी मांगों को ध्यान में रखते हुये कुछ सिफारिशें कीं, लेकिन हमारी मांगें जितनी थीं, जिस प्रकार की व्यवस्था और आदर्शों का निर्माण हम करना चाहते थे, उन सिफारिशों से वह पूरी नहीं हुईं। श्रीमन्, अन्त में १९०२ में एक उच्च स्तरीय कमीशन निर्मित हुआ। उसने जो सिफारिशें कीं उनके आधार पर १९०४ में यूनिवर्सिटी ऐक्ट इस देश में पहली बार निर्मित हुआ। उसमें जो व्यवस्था थी, जो बातें थीं वह सभी जानते हैं, लेकिन उससे भी हमारी आकांक्षाओं और आदर्शों की पूर्ति नहीं हुई। वह आन्दोलन तेज होता गया और अन्त में चल कर सन् १९२० के आस पास एक दूसरा ऐक्ट आया।

इसके पहले मैं एक मिनट में बतला दूं कि सन् १९१६ में जब कलकत्ता यूनिवर्सिटी के लिये एक कमीशन का निर्माण हुआ था, तो उस कमीशन ने जो अपनी रिपोर्ट दी थी और जिस प्रकार उसकी सिफारिशें थीं वह हमारी आकांक्षाओं और आदर्शों के अनुकूल नहीं थीं। इसलिये आशुतोष मुकर्जी ने हमारे शिक्षाविदों की आवाज को बुलन्द किया। उन्होंने एक आन्दोलन चलाया था और उन्होंने कहा था कि हमारे देश का जो आदर्श है, शिक्षा का जो स्वरूप होना चाहिये, वह उसके अनुकूल होना चाहिये। एक लड़ाई चली, एक आन्दोलन चला। बहुत सी ऐसी बातें मांगी गईं जो हमारे आपके तीन चार साल पहले के यूनिवर्सिटी ऐक्ट में संग्रहीत हैं। उस जमाने में हमने चुनाव की व्यवस्था की थी कि चुनाव के जरिये से एक्जीक्यूटिव काउन्सिल वाइस-चांसलर की नियुक्ति करेगी, लेकिन आज उस दृष्टिकोण पर जिस तरह से हमला हो रहा है, मुझे भय है कि उस से चुनाव पर से हमारा विश्वास उठता चला जा रहा है। मुझे इस बात का भय है कि हमारी श्रम मंत्री महोदया ने जो भाषण दिया उसमें उन्होंने कहा कि चुनाव पद्धति हमारे विश्वविद्यालयों में असफल रही है, चुनाव व्यवस्था से हम किसी अच्छे व्यक्ति का चुनाव नहीं कर पाये हैं और आज अनुभव हमें बताता है कि हमें चुनाव के जरिये नहीं बल्कि जो पद्धति मैंने बतलायी है उसके जरिये उनका चुनाव करना है। हमें आज उस दृष्टिकोण को आगे बढ़ाना है। आगे चल कर यह सरकार यही आवाज उठायेगी कि चुनाव के जरिये यहां विधान परिषद् और विधान सभा में भी अच्छे व्यक्ति चुन कर नहीं आते और यह प्रणाली भी ठीक नहीं है। आज इस आवाज की कमी नहीं है। जो कांग्रेस के मौजूदा प्रेसीडेण्ट हैं उन्होंने भी इस बात को कहा है कि अगर पंचायत स्तर पर चुनाव की प्रणाली अपनाई जाती है और वह बढ़ी, तो एक दिन वह आयेगा कि हमें विधान सभाओं के लिये डाइरेक्ट चुनाव शायद न करना पड़े। तो अपनी कमजोरियों को छिपाने के लिये अगर इन प्रवृत्तियों को उभारा जाता है तो यह देश के लिये बड़ी घातक बात होगी।

श्रीमन्, रूस का हवाला दिया गया कि रूस में शासक दल ही वाइस-चांसलर की नियुक्ति करता है। माननीय गौरीशंकर राय जी ने भी कुछ रूस का हवाला दिया और हिटलर, मुसोलिनी आदि का उदाहरण दिया। मुझे यह सुनकर अफसोस जाहिर करना पड़ता है। अगर हमारे मित्र मजदूर वर्ग और तानाशाही में, फेसिस्ट और तानाशाही में कोई फर्क नहीं समझते तो मुझे अफसोस है, लेकिन श्रीमन्, रूस की शिक्षा व्यवस्था के बारे में कांग्रेस के पिछले अधिवेशन में भाषण करते हुये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही कहा था कि आज स्वास्थ्य और शिक्षा की सर्वोत्तम व्यवस्था रूस के अन्दर है। आज रूस ने जिन व्यक्तियों को पैदा किया उनका चमत्कार आज दुनिया के सामने है। किन्तु प्रश्न यह है कि आपकी दृष्टि उनकी तरफ नहीं जाती। आपकी दृष्टि तो ऐसे व्यक्तियों की तरफ ही जाती है जिनके माध्यम से आप अपनी गुटबाजी को विश्वविद्यालयों के अन्दर लाना चाहते हैं। तो प्रश्न यह है कि हमें आज इन बातों की तरफ ध्यान देना चाहिये।

सन् १९४७ में राधाकृष्णन् कमीशन की नियुक्ति की गई। उस कमीशन ने स्वयं अपनी रिपोर्ट की भूमिका में कहा है कि इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि जब देश ने आजादी हासिल कर ली हो, जब देश में नियोजन चल रहा हो, जब देश में नये नये वाद अपनाये जा रहें हों, जब देश एक आदर्श अपने सामने रख कर कोई कार्य कर रहा हो, तो ऐसे समय में हमारे शिक्षा जगत के अन्दर भी आमूल परिवर्तन होना चाहिये। मैं पूछना चाहता हूं कि सन् १९४७ के बाद से अब तक हमारे सामने राष्ट्रीय स्वरूप का कौन सा खाका पेश किया गया है? सन् १९५० में हमारा संविधान बना, नई नई प्लानिंग की बात की गई, और हमने इस बात को माना कि समाजवादी लक्ष्य ही हमारा लक्ष्य होगा, हमने इस बात को माना कि हम एकता के लिये आगे बढ़ेंगे, तो क्या यह आवश्यक नहीं हो जाता कि इन सारी बातों को लेकर इसी उद्देश्य को लेकर, हम एक ऐसे कमीशन का निर्माण करें जो हमारे इन सभी दृष्टिकोणों को सामने रखकर शिक्षा के अन्दर आमूल परिवर्तन के सुझाव दें? लेकिन सरकार चूंकि इस लक्ष्य की ओर विश्वास नहीं करती, चूंकि सही मानों में वह अपने लक्ष्यों को पूरा नहीं करना चाहती, इसलिये उसके सामने कठिनाइयां हैं और इसी कारण आज सरकार की कथनी और करनी में फर्क है।

इस बात के आधार पर जब हम यहां कहते हैं तो अपने पीछे के अनुभव के आधार पर कहते हैं वरना एक बार अगर एक बात निर्धारित हो जाय तो कोई दिक्कत न हो। कभी नीचे से हम शुरू करते हैं कि प्राइमरी एजूकेशन बेसिक होगी। अब वह गांधी जी के बताये हुये रास्ते पर होगी, उसका क्या स्वरूप होगा, वह तय नहीं हो पाता और उसको छोड़ देते हैं। फिर ऊपर से शुरू करते हैं कि यूनिवर्सिटी एजूकेशन का क्या लक्ष्य होगा। उस तरफ दो कदम बढ़ने के बाद उसको छोड़ देते हैं। फिर बीच से शुरू करते हैं कि माध्यमिक शिक्षा का क्या रूप होगा, वह भी समाप्त हो जाता है। अगर इस तरीके से अस्त-व्यस्त तरीके से हम चलेंगे तो कोई सुधार नहीं हो सकता। आज हमें नीचे से लेकर ऊपर तक आमूल बातों पर विचार करना है, सोचना है।

श्रीमन्, इस विधेयक में जिन बातों की व्यवस्था की गई है, उसमें सरकार ने कहा है कि हम आटोनामी पर हमला नहीं करना चाहते। एक बात की तरफ नारायणदत्त जी ने संकेत किया कि आगरा यूनिवर्सिटी से संबंधित धारा ३ में जब हम संशोधन कर रहे हैं तो लखनऊ और इलाहाबाद विश्वविद्यालयों के क्षेत्र के कालेज आगरा यूनिवर्सिटी से संबंधित होंगे या नहीं, इसका निर्णय चांसलर कर सकते हैं। वहां की कौंसिल, कोर्ट के संबंध में भी चांसलर को अधिकार होगा और वह व्यवस्था करेंगे। यानी सरकार इसकी व्यवस्था करेगी। अब विश्वविद्यालय को अधिकार नहीं होगा कि उसके क्षेत्र का कोई कालेज अगर आगरा विश्वविद्यालय से सम्बद्ध होना चाहता है तो वह उसका निर्णय करे। तो क्या यह यूनिवर्सिटी आटोनामी के ऊपर हमला है या नहीं?

अब हमारे शिक्षा संचालक, कितने मखौल की बात है, क्योंकि वे प्रदेश की शिक्षा का संचालन करते हैं, इसलिये सारे के सारे विश्वविद्यालयों की कार्यकारिणी में उनका स्थान होगा। एक व्यक्ति के ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी डालना कि वह विश्वविद्यालयों की कार्यकारिणी में बैठे, इसलिये नहीं कि वहां के कार्य चलाने में कोई बड़ा योगदान होगा, बल्कि अगर कभी वोट की स्थिति आये तो सरकार का एक वोट और बढ़ जाय, इसलिये शिक्षा संचालक का वहां होना जरूरी है। हमारे डायरेक्टर आफ मेडिसिन और हेल्थ, वह भी होंगें। ठीक है, वह रहें, वह यूनिवर्सिटी है, वह उसके डायरेक्टर हैं, लेकिन उन कालेजों की क्या व्यवस्था हो, क्या स्वरूप हो, अगर सारे के सारे अध्यापक, वहां के छात्र, उन संस्थाओं से संबंधित लोग और सरकार के लोग जो संबंधित हैं, अगर वह उस कार्य को नहीं कर पाते हैं तो वह क्या उसको कर पायेंगे यह समझने में मैं मजबूर हूं। मैं तो यह निष्कर्ष निकालता हूं कि सरकार को वोट ज्यादा प्यारा है, यूनिवर्सिटी, शिक्षा संस्थाओं का उत्थान प्यारा नहीं, इसलिये सरकारी अधिकारियों का जितना अधिक से अधिक स्थान यूनिवर्सिटी में हो, उतना ही अच्छा है।

[श्री चन्द्रजीत यादव]

पिछली बार यहां से सरकार ने कुछ चांसलर के नामिनीज को विश्वविद्यालयों के अन्दर रखा। आज की मौजूदा सरकार का खयाल है कि चूंकि विश्वविद्यालय के अन्दर, एक्जीक्यूटिव के अन्दर ऐसे लोग गये, वहां के वाइस-चांसलर की ऐसी नियुक्ति हुई, इसलिए सारा का सारा पाखंड उसी वजह से शुरू हो गया। मैं पूछना चाहता हूं कि सरकार जो व्यवस्था करने जा रही है, इसमें यह बात निर्विवाद है कि जिसको सरकार चाहेगी वह वाइस-चांसलर होगा, जैसी एक्जीक्यूटिव वह चाहेगी वैसी बनेगी। उन्हीं पाबन्दियों के मातहत, कल को यह सरकार बदली और उसी पार्टी के दूसरे ग्रुप की सरकार आई, तो इस बात की क्या गारन्टी है कि वह यह नहीं कहेंगे कि आपने गलत आदमी चुनकर रख दिये, हम दूसरे रखेंगे ? अगर यही मापदंड है तो साफ साफ सरकार को कहना चाहिये कि सरकार के परिवर्तन के साथ-साथ सारे विश्वविद्यालयों के वाइस-चांसलर इस्तीफा दे दिया करें, ताकि सरकार अपनी इच्छा के अनुसार जिसको चाहे वाइस-चांसलर नियुक्त करे, जिसको चाहे निकाले और इस एक्सपेरिमेंट को करके भी यह सरकार देखे कि क्या विश्वविद्यालयों की स्थिति उससे बदलती है या बिगड़ती है।

मैं इसको साफ कर देना चाहता हूं कि इससे स्थिति बनती नहीं है, बिगड़ती है। आज ये गम्भीर प्रश्न हैं जिन पर विचार होना चाहिये। मैं इस बात को स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि आज एक संशोधन के अन्दर कहा जाना कि विश्वविद्यालयों से किसी राजनीतिक पार्टी का या नेता का संबंध नहीं होना चाहिये, एक सांस में कहा जाना कि विश्वविद्यालय के छात्रों को राजनीति के कामों में हिस्सा नहीं लेना चाहिये, यह इतनी हल्की सी बात नहीं है बल्कि एक गम्भीर बात है जिस पर विचार किया जाय, विचार होना चाहिये और बैठकर उसका स्वरूप निश्चित करना चाहिये। आखिर अध्यापक भी एक समाज का प्राणी है। वह निर्वाचनों में हिस्सा नहीं लेगा, संसद में नहीं आयेगा, विधान सभा में नहीं आयेगा, यह रोक क्यों लगाई जाय ? अगर हमने एयरटाइट कम्पार्टमेंट किया कि शिक्षा ही उनका क्षेत्र है, राजनीति की तरफ नहीं आ सकते, राजनीति का जो क्षेत्र है वह केवल राजनीति है, राजनीतिज्ञ शिक्षा के बारे में कुछ कह नहीं सकते तो यह एक बड़ी खतरनाक स्थिति हो जायगी। सारे संसार में, अगर दृष्टि डाली जाय, ऐसी स्थिति नहीं है। प्रश्न यह है कि एक व्यक्ति का एक विशिष्ट क्षेत्र है उसमें उसको काम करने की पूरी आजादी मिलनी चाहिये, लेकिन दोनों का समन्वय, विचारों का आदान-प्रदान, इन तमाम संस्थाओं का निर्माण और उत्थान ये ऐसी चीजें हैं जिन पर हल्के ढंग से विचार नहीं करना चाहिये। मेरा निवेदन यह है कि सरकार इन बातों पर विचार करते हुये इस बिल को वापस ले ले और निश्चित रूप से उसको वापस लेना चाहिये और सरकार ने जिस कमीशन का निर्माण किया है उसके प्रतिवेदन की प्रतीक्षा करे।

राधाकृष्णन् और मूथम कमीशंस की सिफारिशों को सामने रखकर और जो भावनायें सदन में व्यक्त की गई हैं, जिनमें चिन्ता भी व्यक्त की गई है और सभी ने आश्वासन दिया है कि अगर शिक्षा संस्थाओं की उन्नति के लिये सरकार कदम उठाती है तो उसके अन्दर हमारा पूरा सहयोग होगा, इन सब बातों पर सरकार विचार करे। आज हम सभी लोग जानते हैं कि शिक्षा जगत में क्या संकट पैदा हुआ है, उसके निराकरण में हम सहयोग देंगे। इन बातों पर विचार करने के बाद, जैसा कि मैंने शुरू में कहा, सरकार सेकेन्डरी कमीशन जो कि भंग किया गया, उसको बनाये और प्राइमरी एजूकेशन का क्या स्वरूप हो उसे निश्चित करे और विश्वविद्यालय के कमीशन, इन तीनों स्तर की शिक्षा संस्थाओं के स्वरूप को सामने रख कर अच्छी तरह से विचार करे।

श्री हरिश्चन्द्रसिंह (जिला बदायूं)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विधेयक पर अपने विचार प्रकट करने का अवसर दिया। इस सदन में आज तीसरा दिन विवाद को होते हो गया। मुझे माननीय सदस्यों को सुनने का मौका मिला। कुछ गालियों को छोड़ कर और पार्टी लांछनों को छोड़कर जो मुख्य चीजें

कही गयीं वे यह हैं कि आया उप-कुलपति का चुनाव एलेक्शन के जरिये से हो या उसका चयन हो।

दूसरी चीज जो कही गयी वह यह कि यूनिवर्सिटी आटोनामी पर इसका असर पड़ता है और जनतन्त्र पर कुठाराघात होता है। इसके अलावा और बहुत सी छोटे-छोटी चीजें कही गयीं। मैं अपना मत, गालियों और पार्टी लांछनों को छोड़कर, जो मुख्य चीजें कही गयीं, उन पर ही व्यक्त करना चाहता हूं.....

श्री अध्यक्ष—आप गालियों का जिक्र न करें क्योंकि कोई भी सदस्य जो बोलता है, यह माना जाता है कि उसने कुछ भी कहा हो उसकी जिम्मेदारी मेरी भी है, क्योंकि मैं अपशब्द कहने से लोगों को रोक देता हूं। अगर गाली किसी ने दी होती तो मैं रोक देता हूं। आपका यह शब्द अनपार्लियामेन्टरी है।

श्री हरिश्चन्द्रसिंह—मैं वापस लेता हूं।

श्रीमन्, हमारे सामने बहुत से महत्व के प्रश्न हैं उनमें एक शिक्षा सम्बन्धी भी बड़ा महत्व का प्रश्न है। क्या इस महत्व के प्रश्न को हम सीमित विवाद से ही तय कर सकते हैं? हमको देखना पड़ेगा कि हमारे देश के नवनिर्माण के लिये हमें किस प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता है। मैं समझता हूं शिक्षा ही एक व्यक्ति को बना सकती है....

श्री अध्यक्ष—आप अपना भाषण कल जारी रखें।

अब हम उठते हैं, कल ११ बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ५ बजे अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ;
१६ मार्च, १९६१।

उत्तर प्रदेश विधानसभा

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न २ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३४० पर)

सूची

१—मंडलीय नियोजन समिति में गैर सरकारी सदस्य भी रक्खे जावें ।

२—कुमायूं का भूमि सुधार एवं जमींदारी उन्मूलन कानून शीघ्रातिशीघ्र लागू किया जाय ।

३—निम्नलिखित विद्युत् योजनायें जिन पर अन्वेषण हो चुका है, मंडल में शीघ्र ही लागू कर दी जावें और इनको योजनाओं में अवश्य सम्मिलित कर लिया जावे :

(१) टेहरी, (२) पौड़ी (३) चम्पावत, (४) उत्तरकाशी, (५) नन्दप्रयाग चमोली एवं (६) पिथौरागढ़ ।

४—यातायात की योजनाओं को प्राथमिकता दी जावे और यहां "स्टार और ग्रिड" फार्मूला न अपनाया जाय । इस मंडल के लिये बम्बई में हुई मुख्य अभियंताओं की गोष्ठी में निर्धारित फार्मूला को आधार माना जाय । 'बी' कैटेगरी की समस्त योजनाओं को 'ऐ' कैटेगरी में रक्खा जाय जिससे कि वे योजना काल में ही पूर्ण हो सकें इसके अतिरिक्त निम्न मोटर सड़कों के निर्माण की व्यवस्था भी योजना काल में ही कर दी जाय:—

(१) पौधार : सौठफाटा—३ मील ।

(२) देवीधुरा : दूनाघाट सड़क को पहाड़ पानी से मिलाया जाय—२० मील ।

(३) हल्द्वानी: टनकपुर सड़क को बारहमासी सड़क बना दिया जाय ।

(४) नैनीताल जिले में मनाधेर: पदमपुरी मोटर सड़क को भी केन्द्रीय सरकार से सहायता प्राप्त जो मुख्य योजना से अतिरिक्त सड़कों का प्राविधान हो उसमें प्राथमिकता दी जाय ।

५—तराई इलाके के थारू और बुक्सा आदि वासी जातियों को 'शेड्यूल ट्राइब्स' घोषित किया जाय और उनके लिये शिक्षा सम्बन्धी सुविधायें प्रदान करने के लिये राज्यकीय स्तर से योजनायें लागू की जायं । इस पिछड़े वर्ग की जातियों के लाभ के लिये जो निजी शिक्षा संस्थायें हैं उन्हें मान्यता प्राप्त करने की शर्तों में विशेष छूट दे दी जावें ।

६—इस मंडल के लिये एक हिमालयन इंस्टीट्यूट आफ सांइस की स्थापना की जावे जिसके लिये प्रेम विद्यालय, ताड़ीखेत की उपयुक्तता को ध्यान में रक्खा जाय और उसे केन्द्रीय सरकार के साइन्टीफिक एवं रिसर्च मंत्रालय की देखभाल में व्यवस्थित कर दिया जाय ।

७—इस मंण्डल के लिये एक पीपुल्स कालेज और एडल्ट्स ऐंड सोशल एजूकेशन की स्थापना कर दी जाय और उसको तृतीय योजना का एक भाग मान लिया जाय । ऐसी एक संस्था पाइलेट प्रोजेक्ट के रूप में आगामी १८ फरवरी, १९६१ से हल्द्वानी में स्थापित की जा रही है ।

८—इस प्रदेश के ४०,००० भूमिहीनों की व्यवस्था शीघ्र ही की जाय और कम से कम इनमें से ५,००० परिवारों को प्रतिवर्ष ५ एकड़ भूमि प्रति परिवार की दर से दिलाई जाय और योजना काल में १,००,००० एकड़ भूमि दिलाई जाने की व्यवस्था की जाय ।

९—मौजूदा गोठों में जंगलात विभाग द्वारा बन्दीकरण बन्द कर दिया जाय ।

१०—बरेली की लीसा फैक्टरी का वृहदीकरण जितना हो चुका है उस से अधिक अब भविष्य में न किया जाय और जो अतिरिक्त लीसा यहां के वनों से प्राप्त हो उसे स्थानीय कुटीर उद्योग उत्पादक केन्द्रों को पक्का माल बनाने के लिये दे दिया जाय ।

११—कुमायूं एवं उत्तराखंड की समान समस्यायें एवं भौगोलिक स्थिति होने से यह उचित है कि मंडल की नियोजन समिति दोनों मंडलों की एक ही होनी चाहिये और यह दोनों कमिश्नरियां एक ही आयुक्त की देखभाल में रक्खी जानी चाहिये ।

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न १४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३५३ पर)

प्रश्न सं० १४ (ख) का उत्तर

प्रत्येक वर्ष में स्टाक वेरीफिकेशन की तिथियां निम्न हैं :—

वर्ष १९५५–५६ में १३–८–५६–से १९–८–५६ तक (जैसा ३०–६–५६ तक था)।

वर्ष १९५६–५७ में ५–७–५७ से ३०–७–५७ तक (जैसा ३०–६–५७ तक था)।

वर्ष १९५७–५८ में १२–७–५८ से २५–७–५८ तक (जैसा ३०–६–५८–तक था)।

वर्ष १९५८–५९ में १३–१०–५९ से २३–१०–५९ तक (जैसा ३०–६–५९ तक था)।

वर्ष १९५९–६० में १–८–६० से १३–८–६० तक (जैसा ३०–६–६० तक था)।

संसद सदस्य सूचना प्रणाली

नत्थी 'ग'

(देखिये ताराकित प्रश्न २१ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३५७ पर)

तारांकित प्रश्न संख्या २१ के उत्तर से संबंधित विवरण-पत्र जिसमें मंत्रियों द्वारा रायबरेली तथा सीतापुर की एम० पी० की सीटों के उप-चुनाव के संबंध में किये गये दौरों तथा व्यय आदि का व्यौरा दिखाया गया है

नाम	यात्रा-की तिथि	यात्रा-का स्थान	स्टाफ जो साथ में गया।	अभ्युक्ति
१—अली जहीर	१४-११-६०	सीतापुर	१ शैडो	दौरा प्रदेशीय कांग्रेस कमेटी द्वारा भेजी गई कार से किया गया था।
२—श्री चरणसिंह	१४-१२-६०	रायबरेली	१ शैडो	गृह मंत्री ने प्राइवेट कार द्वारा दौरा किया था।
३—डा० सीताराम	१५-१२-६०	रायबरेली	१ शैडो	आबकारी मंत्री ने प्राइवेट कार द्वारा दौरा किया था।
४—श्री मंगलाप्रसाद	९-१२-६० से १२-१२-६०	रायबरेली	१ शैडो	यह दौरा १८३ मील सरकारी कार द्वारा किया गया था जिसके मोटर पर हुए लगभग *९५ रु० व्यय का भुगतान सहकारिता मंत्री स्वयं करेंगे।
५—श्री कैलाशप्रकाश	१६-१२-६०	रायबरेली	१ शैडो	यह दौरा १८२ मील का सरकारी मोटर कार द्वारा किया गया था जिसके मोटर पर हुए *८६ रु० के व्यय का भुगतान स्वायत्त शासन मंत्री स्वयं करेंगे।
६—श्री चन्द्रभानु गुप्त	१६-१२-६०	रायबरेली	१ आशु-लिपिक	मुख्य मंत्री ने स्वायत्त शासन मंत्री श्री कैलाश प्रकाश के साथ उन्हीं की कार द्वारा लगभग १३४ मील का दौरा किया था।

*सहकारिता मंत्री और स्वायत्त शासन मंत्री का mileage run लगभग बराबर है, लेकिन व्यय में फर्क इसलिये है कि सहकारिता मंत्री जी की गाड़ी का consumption of petrol per mile कुछ अधिक है।

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न २३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३५७ पर)

झांसी डिवीजन में इस वित्तीय वर्ष १९६०–६१ में, खुलने वाले पशु चिकित्सालयों का विवरण

जिला	वे ब्लाक जहां "ए" क्लास पशु चिकित्सालय खुलने हैं	वे ब्लाक जहां "सी" क्लास पशु चिकित्सालय खुलने हैं	वे ब्लाक जहां फर्स्ट-एड पशु औषधालय खुलने हैं
हमीरपुर ..	सरीला	..	चरखारी
	मुस्करा	..	मुस्करा
जालौन ..	नन्दीगांव	डंकोर	डंकोर, नन्दीगांव
बांदा	नरेनी	..	नरेनी
झांसी ..	..	..	महरोनी
योग ..	४	१	६

विधान सभा सचिवालय

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३५९ पर)

१७-९-६० से ३-१०-६० तक राज्य के मंत्रियों, उप-मंत्रियों तथा सभा सचिवों द्वारा सरकारी गाड़ियों तथा रेल द्वारा किये गये दौरों का विवरण

नाम	सरकारी गाड़ियों या टैक्सी द्वारा किये गये दौरों की संख्या	रेल द्वारा किये गये दौरों की संख्या
१—डा० सम्पूर्णानन्द ..	१४	१
२—श्री जगमोहनसिंह नेगी	४	२
३—डा० सीताराम ..	६	४
४—श्री अली जहीर ..	६	२
५—श्री विचित्रनारायण शर्मा	..	१
६—श्री मोहनलाल गौतम	६	..
७—श्री हुकुमसिंह विसेन	२	३
८—श्री कमलापति त्रिपाठी	..	५
९—श्री लक्ष्मीरमण आचार्य	११	१
१०—श्री गिरधारीलाल ..	८	६
उप मंत्री		
११—श्री महावीरप्रसाद शुक्ल	१४	..
१२—श्री रामस्वरूप यादव	२	२
१३—श्री वीरेन्द्र वर्मा ..	९	४
१४—श्री दीनदयालु शास्त्री	२	४
१५—श्री कालीचरण अग्रवाल	३	३
१६—श्री जयराम वर्मा ..	९	४
१७—श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा	९	२
१८—श्री बलदेवसिंह आर्य ..	..	२
१९—श्री महावीरसिंह ..	७	..
सभा सचिव		
२०—श्री धर्मदत्त वैद्य ..	१	५
२१—श्री धर्मसिंह	८	२
२२—श्री महमूद अली खां ..	६	४
२३—श्री राजबिहारीसिंह ..	८	२
२४—श्री कृपाशंकर ..	२	२
२५—श्री इस्तफा हुसैन ..	..	..

नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न ७६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३६४ पर)

तृतीय पंचवर्षीय योजना में फर्रुखाबाद जिले में दो प्रकार के औद्योगिक आस्थान स्थापित करने की योजना है। फर्रुखाबाद में एक छोटा औद्योगिक आस्थान स्थापित किया जायगा। इसे ३.७५ एकड़ भूमि पर बसाया जायगा, किन्तु आवश्यकतानुसार इसे ७ एकड़ भूमि तक बढ़ाया जा सकेगा। इसकी लागत ७.५ लाख रुपये होगी। इस औद्योगिक आस्थान में १२ छोटे कारखानों की इमारतें बनाने की योजना है।

फर्रुखाबाद जिले के कन्नौज नामक स्थान पर कम्यूनिटी प्रोजेक्ट डेवलपमेंट ब्लाक के ब वर्ग के अन्तर्गत एक औद्योगिक आस्थान स्थापित किया जायेगा। इसकी स्थापना ३ एकड़ भूमि पर की जायेगी, किन्तु आवश्यकतानुसार इसे ५ एकड़ भूमि तक बढ़ाया जा सकेगा। इस औद्योगिक आस्थान की लागत २ लाख रुपये होगी। इसमें ५ बड़े शेड बनाने की योजना है।

पी० एस० यू० पी० ए० पी०—३०१ एल० ए०—१९६१—८४५।